



NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

2024-25

Annual Accounts

*

Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India

*

Annual Report

INDEX

English Version

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Annual Accounts | Page 1 to 36 |
| 2. | Audit Report of Comptroller and Auditor General of India | Page 37 to 43 |
| 3. | Annual Report | Page 45 to 108 |

अनुक्रमणिका

Hindi Version

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | वार्षिक लेखा | पेज 111 से 150 |
| 2. | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट | पेज 151 से 158 |
| 3. | वार्षिक रिपोर्ट | पेज 159 से 244 |

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेख-परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है । यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।



NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

2024-25

Annual Accounts

Contents

Annual Accounts : F.Y 2024-25

Annexure	Particulars	Page No.
A.	Balance Sheet	3
B.	Income and Expenditure Account	4-5
C.	Receipts and Payments	6
D.	Schedules	7-23
E.	Grants Allocation & Fund Surrendered	24-27
F.	Accounting Principles	28-30
G.	Notes for the Schedules	31-32
H.	Utilization Certificate	33-36

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Balance Sheet as on 31.03.2025 of National Legal Aid Fund

Corpus/ National Legal Aid Fund and Liabilities	Schedule	Current Year		Previous Year	
		Amount	Total	Amount	Total
Corpus Fund	1				
National Legal Aid- Fund					
Balance as on 1st April, 2024		8,09,61,511.00	-	9,33,60,570.00	-
Add: Amount Transferred From Income & Expenditure A/C (National Legal Aid Fund)		-2,55,41,861.00	5,54,19,650.00	-1,23,99,059.00	8,09,61,511.00
Reserves and Surplus	2				
Earmarked/ Endowment Funds	3		-		-
Secured Loans and Borrowings	4		-		-
Unsecured Loans and Borrowings	5		-		-
Deferred Credit Liabilities	6		-		-
Current Liabilities and Provisions	7		8,97,793.00		8,06,409.00
Total			5,63,17,443.00		8,17,67,920.00
Assets					
Fixed Assets	8		5,32,665.00		13,12,858.00
Investments-from Earmarked/Endowment Funds	9		-		-
Investments-Others	10		-		-
Current Assets, Loans, Advances, etc.	11		5,57,84,778.00		8,04,55,062.00
Miscellaneous Expenditure					
(to the extent not written off or adjusted)					
Total			5,63,17,443.00		8,17,67,920.00

Significant Accounting Policies 24
Contingent Liabilities and Notes on Accounts 25



Accounts Officer



Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Income and Expenditure Account of National Legal Aid fund for the year ended 31st March 2025

Amount in ₹

Income	Schedule	Current year	Previous year
Income from Sales/Services	12	9,90,627.00	64,500.00
Grants/Subsidies	13	3,12,97,60,654.00	4,00,17,78,730.00
Fees/Subscriptions	14	-	-
Income from Investments(Income on Investment from earmarked/ endowment funds transferred to funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication, etc.	16	-	-
Interest earned	17	20,02,708.00	97,03,123.00
Other Income	18	16,30,000.00	1,05,000.00
Increase/(decrease) in stock of finished goods and works-in-progress	19	-	-
Total (A)		3,13,43,83,989.00	4,01,16,51,353.00
Expenditure			
Establishment Expenses	20	-	-
Legal Aid Promotion Expenses	21	1,73,59,571.00	5,52,91,577.00
Other Administrative Expenses, etc. (All India Meet and Lok Adalat Expenses)	21	56,190.00	4,42,361.00
Expenditure on Grants, Subsidies, etc	22	3,14,17,29,896.00	3,96,83,16,474.00
Interest	23	-	-
Depreciation (Net total at the end of year corresponding to Schedule)	8	7,80,193.00	-
Total (B)		3,15,99,25,850.00	4,02,40,50,412.00
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		(2,55,41,861.00)	(1,23,99,059.00)
W/off of TDS of Yearlier Years		-	-
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to/from General Reserve			
Balance being unutilized Grant/ Other collections transferred to Legal Aid- Fund		(2,55,41,861.00)	(1,23,99,059.00)

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes on Accounts

24
25



Accounts Officer Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Income and Expenditure Account (Corpus Fund) for the year ended 31st March 2025

Amount in ₹

Income	Schedule	Current year	Previous year
Income from Sales/Services		-	-
Grants/Subsidies		-	-
Fees/Subscriptions		-	-
Income from Investments(Income on Investment from earmarked/ endowment funds transferred to funds)		-	-
Income from Royalty, Publication, etc.		-	-
Interest earned		-	-
Other Income		-	-
Increase/(decrease) in stock of finished goods and works-in-progress		-	-
Total (A)		-	-
Expenditure			
Establishment Expenses		-	-
Other Administrative Expenses, etc.		-	-
Expenditure on Grants, Subsidies, etc		-	-
Interest		-	-
Depreciation (Net total at the end of year corresponding to Schedule)		-	-
Total (B)		-	-
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		-	-
Transfer to Special Reserve (Specify each)		-	-
Transfer to/from General Reserve		-	-
Balance being Deficit, Carried to Corpus Fund		-	-

Significant Accounting Policies
Contingent Liabilities and Notes on Accounts

24
25

Member Secretary

Accounts Officer

Member Secretary

Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Receipts and Payments for the period/Year ended 31.03.2025

Receipts	Payments		Amount in ₹	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1. Opening Balances a) Cash in hand b) Bank Balances in i) Current Accounts ii) Holding Account iii) Savings Accounts iv) Savings Accounts DISHA	- 1,12,449.00 14,09,001.00 5,03,22,854.00 2,86,10,758.00	- 1,77,997.00 4,25,38,234.00 5,06,44,339.00	1,74,15,761.00 6,91,873.00 72,025.00 - 3,410.00 (30,798.00)	- 5,57,33,938.00 (6,91,873.00) - - (3,410.00) (72,026.00)
2. Grants Received a) From Govt. of India for National Legal Aid Fund b) From Govt of India for LADCS Scheme c) Fund received back from SLSAs (NCW) d) Fund Received from NCW e) Grants Received for DISHA Scheme f) Amount of DISHA Received Back from Haryana SLISA	2,00,00,00,000.00 1,47,92,50,000.00 91.00 1,20,00,000.00 - -	2,00,00,00,000.00 2,00,00,00,000.00 85,95,501.00 - - 32,544.00	1,98,18,91,514.00 1,47,92,50,000.00 - 1,20,00,000.00 3,00,74,858.00 852.00 2,109.00	1,94,49,85,730.00 2,00,00,00,000.00 - 82,79,769.00 2,14,92,850.00 1,534.00 4,05,906.00
(Grants for Capital & Revenue expenditure to be shown separately)				
3. Income on Investments from a) Earmarked/Endowment Funds b) Own Funds (Other Investment)	- -	- -	- -	- -
4. Interest Received a) On Bank deposits b) Loans, Advances, etc., c) On Unspent Grant d) Interest received from SLISA, Punjab e) Interest received from SLISA, UT of Chandigarh	- - 20,02,708.00 81,123.00 16,30,000.00	- - 20,32,715.00 76,70,408.00 1,05,000.00	- - - - -	13,12,858.00
5. Other Income(Cost) 6. Advance Grant 7. TDS Refund Received 8. Other Receipts (Cash deposited by someone) 9. Other Receipts (UPI unidentified) 10. Misc Receipts (IAM, tax refund etc) 11. Misc Receipts Condemnation of Vehicle by Assam SLISA 12. Misc Receipts Condemnation of Vehicle by H.P SLISA 13. Misc Receipts Condemnation of Vehicle by Karnataka SLISA 14. Misc Receipts Condemnation of Vehicle by Sikkim SLISA	- - - - 9,90,625.00 1,21,541.00 1,40,500.00 4,84,732.00	- - 39,000.00 100.00 64,500.00	3,840.00 1,02,897.00 3,99,576.00 5,52,78,457.00 8.00	- 1,12,449.00 14,09,001.00 5,03,22,854.00 2,86,10,758.00
Total	3,57,71,56,382.00	4,11,19,00,338.00	3,57,71,56,382.00	4,11,19,00,338.00



Accounts officer



Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

SCHEDULE - 1 : Corpus Fund	Current Year		Previous Year	
Corpus Fund				
Balance on the beginning of the year	-	-	-	-
Add: Cost of Addition to Fixed Assets				
Add/(Deduct): Net Balance of Income & Expenditure A/c (Corpus Fund)		-		-
Less : Adjustment of W.D.V. of Building, Vehicle, Furniture and Office Equipment		-		-
transferred from the Income and Expenditure Account.		-		-
Balance as on the end of the Year		-		-



Accounts Officer



Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

SCHEDULE 2-RESERVES AND SURPLUS	Current Year		Previous Year	
1. Capital Reserves:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year	-	-	-	-
Less deductions during the year	-	-	-	-
2. Revaluation Reserve:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year	-	-	-	-
Less deductions during the year	-	-	-	-
3. Special Reserves:				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year	-	-	-	-
Less deductions during the year	-	-	-	-
4. General Reserve				
As per last Account	-	-	-	-
Addition during the year	-	-	-	-
Less deductions during the year	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Accounts Officer Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

SCHEDULE 3- EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	UNDP Fund	Fund-Wise break up			Total	
		Name of Fund	Name of Fund	Name of Fund	Current Year	Previous Year
a) Opening balance of the fund	-	-	-	-	-	-
b) Additions to the funds:						
i) Donations/grants	-	-	-	-	-	-
ii) Income from investments made on account of funds	-	-	-	-	-	-
iii) Other additions (specify nature)	-	-	-	-	-	-
Total (a+b)	-	-	-	-	-	-
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds						
i) Capital Expenditure	-	-	-	-	-	-
Fixed Assets	-	-	-	-	-	-
Others	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
ii) Revenue Expenditure	-	-	-	-	-	-
Salaries, Wages and Allowances, etc.	-	-	-	-	-	-
Grant Paid	-	-	-	-	-	-
Other Administrative expenses	-	-	-	-	-	-
Total c	-	-	-	-	-	-
Net Balance as at the end of the Year (a+b+c)	-	-	-	-	-	-

Note 1. Disclosers shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

Note 2. Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate fund and not to be mixed up with any other fund.


Accounts Officer


Member Secretary

National Legal Aid Fund

Name of Authority - National Legal Services Authority

Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

SCHEDULE 4- SECURED LOANS AND BORROWINGS:	Current Year	Previous Year
1. Central Government	-	-
2. State Government	-	-
3. Financial Institutions	-	-
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks	-	-
a) Term Loans	-	-
Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans	-	-
Interest accrued and due	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others	-	-
Total	-	-



Accounts Officer



Member Secretary

National Legal aid Fund

Name of Authority - National Legal Services Authority

Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

SCHEDULE 5-UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		Current Year	Previous Year
1. Central Government	-	-	
2. State Government	-	-	
3. Financial Institutions	-	-	
4. Banks:	-	-	
a) Term Loans	-	-	
b) Other Loans	-	-	
5. Other Institutions and Agencies	-	-	
6. Debentures and Bonds	-	-	
7. Fixed Deposits	-	-	
8. Other	-	-	
Total	-	-	
SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES:		Current Year	Previous Year
a) Acceptances Secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-	
b) Others	-	-	
Total	-	-	



Accounts Officer



Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

Amount in ₹

SCHEDULE 7-CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:	Current Year	Previous Year
A. Current Liabilities		
1. Acceptances		
2. Sundry Creditors:		
a) For Goods	-	-
b) Others (BSNL)	-	6,91,873.00
c) Others (Duda)	-	3,410.00
3. Unutilised Grant	-	-
4. Interest accrued but not due on:	-	-
a) Secured loans/borrowings	-	-
b) Unsecured loans/borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities		
a) Overdue	-	-
b) Others(TDS on GST)	30,798.00	72,026.00
6. Other Current Liabilities	-	-
Interest on Savings deposited by UT Chandigarh	81,123.00	
Amount received from condemnation of Vehicles		
-From Himachal Pradesh SLSA	1,21,541.00	
-From Karnataka SLSA	1,40,500.00	
-From Sikkim SLSA	4,84,732.00	
UPI unidentified transaction	100.00	100.00
Cash deposited by someone	39,000.00	39,000.00
Total (A)	8,97,794.00	8,06,409.00
B. Provisions		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. Others	-	-
Total (B)	-	-
Total (A+B)	8,97,794.00	8,06,409.00



Accounts Officer



Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Depreciation Schedule For The Year ending 31st March, 2025

SCHEDULE 8

Amount in ₹

Particulars	Cost as on beginning of the year as on 1.4.2024	Addition during the year		Deletion/Sales	Cost valuation at year end as on 31.03.25	Depreciation as on 1.4.2024	Depreciation for the year as on 31.03.2025	Assets Discarded	Total Depreciation up to 31.03.2025	WDV as on 31.3.25	WDV as on 31.3.24
		Ist Half	IInd Half								
Computers/Peripherals	13,12,858.00	-	-	-	13,12,858.00	4,25,082.00	3,55,111.00	-	7,80,193.00	5,32,665.00	-
	-	-	-	-	13,12,858.00	-	3,55,111.00	-	7,80,193.00	-	-
	13,12,858.00				13,12,858.00	4,25,082.00	3,55,111.00	-	7,80,193.00	5,32,665.00	13,12,858.00
Previous year	-	8,12,550.00	5,00,308.00	-	13,12,858.00	-	-	-	-	13,12,858.00	-



Accounts Officer



Member Secretary

National Legal Aid Fund

Name of Authority - National Legal Services Authority

Schedules forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

SCHEDULE 9- INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS:		Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		-	-
2. Other Approved Securities		-	-
3. Shares		-	-
4. Debentures and Bonds		-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-	-
6. Others		-	-
Total		-	-

SCHEDULE 10- INVESTMENTS-OTHERS		Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		-	-
2. Other Approved Securities		-	-
3. Shares		-	-
4. Debentures and Bonds		-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-	-
6. Fixed Deposits with Bank		-	-



Accounts Officer



Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

Amount in ₹

SCHEDULE 11-CURRENT ASSETS,LOANS,ADVANCES,ETC.	Current Year	Previous Year
A. Current Assets		
1. Inventories:		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-Trade		
Finished Goods	-	-
Work-in-progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors/Loans and Advances		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Advance Given to Hotel Ambassador	3,840.00	-
3. Cash balances in hand (including cheques / drafts and imprest)	-	-
4. Bank Balances		
a) With Scheduled Bank		
On Current Accounts	1,02,897.00	1,12,449.00
On Holding Account	3,99,576.00	14,09,001.00
On Sweep/Saving Accounts	5,52,78,457.00	5,03,22,854.00
On Saving Account (DISHA)	8.00	2,86,10,758.00
b) With non-Scheduled Banks		
On Current Accounts	-	-
On Deposit Accounts	-	-
On Savings Accounts	-	-
5. Post Office-Savings Accounts	-	-
Total(A)	5,57,84,778.00	8,04,55,062.00

SCHEDULE 11-CURRENT ASSETS,LOANS,ADVANCES,ETC. (CONT.)	Current Year	Previous Year
B. Loans, Advances and Other Assets		
1. Loans:		
a) Staff Loans	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Security Deposit	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) On Capital Account	-	-
b) Repayments	-	-
c) Others	-	-
3. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked/ Endowment Funds	-	-
b) On Investments-Others	-	-
c) On Loans and Advances	-	-
d) Others	-	-
4. TDS Recievable	-	-
Total(B)	-	-
Total(A+B)	5,57,84,778.00	8,04,55,062.00



Accounts Officer



Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedules forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

SCHEDULE 12-INCOME FROM SALES/SERVICES	Current Year		Previous year	
	Amount	Total	Amount	Total
(Irrevocable Grants and Subsidies Received)				
1. Income from Sales	-		-	-
a) Sale of Finished Goods	-		-	-
b) Sale of Raw Material	-		-	-
c) Sale of Scrap	-		-	-
d) Condemnation of Vehicle by Assam SLISA	-		64,500.00	64,500.00
2. Income from Services				
a) Labour and Processing Charges	-		-	-
b) Professional/ Consultancy Charges	-		-	-
c) Agency Commission and Brokergae	-		-	-
d) Maintenance Services (Equipment/ Property)	-		-	-
e) International Advanced Mediation Training	-		-	-
f) Income Tax Refund	9,90,001.00			
g) Rounded Off	550.00			
h) Bank Charges	7.00			
	69.00	9,90,627.00		
Total	9,90,627.00	9,90,627.00	64,500.00	64,500.00

SCHEDULES 13-GRANTS/SUBSIDIES	Current Year		Previous year	
	Amount	Total	Amount	Total
(Irrevocable Grants and Subsidies Received)				
1. Central Government				
Grant Received for National Legal Aid Fund	2,00,00,00,000.00		2,00,00,00,000.00	
Grant Received for LADCS Scheme	1,47,92,50,000.00		2,00,00,00,000.00	
	-		-	
Less: Unspent Grants surrendered/lapsed during the year by SLISAs (NLAF)	2,89,31,965.00		65,97,781.00	
Less: Unspent Grants surrendered/lapsed during the year by SLISAs (LADCS)	33,25,56,620.00		2,50,000.00	
Less: Unspent Grant surrendered/lapsed by NALSA during the year	852.00	3,11,77,60,563.00	1,534.00	3,99,31,50,685.00
2. State Governments Unspent Grants Received Back	-		-	-
3. Government Agencies	-		-	-
4. Fund Received from N C W	1,20,00,000.00	1,20,00,000.00	-	-
5. NCW Unspent Fund Received Back from Odisha SLISA	91.00	91.00	85,95,501.00	85,95,501.00
6. International Organisations	-		-	-
7. Grant Received for DISHA Scheme	-		-	-
8. Others - Consolidated Fund	-		-	-
9. DISHA Unspent Grant Received Back from Haryana SLISA	-		32,544.00	32,544.00
Total		3,12,97,60,654.00		4,00,17,78,730.00



Accounts Officer



Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

SCHEDULE 14-FEES/SUBSCRIPTIONS	(Amount - Rs.)	
	Current Year	Previous Year
1.Entrance Fees	-	-
2.Annual Fees/ Subscriptions	-	-
3.Seminar/Program fees	-	-
4. Consultancy Fees	-	-
5. Others (Specify)	-	-
Total	-	-
Note:- Accounting Policies towards each item are to be disclosed		


Accounts Officer


Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

SCHEDULE 15-INCOME FROM INVESTMENTS		Investment from earmarked fund		Investment-Others	
(Income on Invest from Earmarked/Endowment Funds transferred to funds)					
		Current year	Previous Year	Current year	Previous Year
1. Interest	a) On Government Securities	-	-	-	-
	b) Other Bonds/Debentures	-	-	-	-
	2. Dividends:				
	a) On Shares	-	-	-	-
	b) On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
3. Rents		-	-	-	-
4. Others(Specify)		-	-	-	-
Total		-	-	-	-

Transferred to Earmarked/ Endowment Funds



Accounts Officer



Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedules forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

		Amount in ₹	
		Current Year	Previous Year
SCHEDULE 16-INCOME FROM ROYALTY,PUBLICATION,ETC.			
1. Income from Royalty		-	-
2. Income from Publications		-	-
3. Others (Specify)		-	-
	Total	-	-
SCHEDULE 17-INTEREST EARNED		Current Year	Previous Year
1. On Term Deposits			
a) With Scheduled Banks		-	-
Less Interest on Library fund (FD) Tsfd to Corpus Fund		-	-
b) With Non-Scheduled Banks		-	-
c) With Institutions		-	-
d) Others		-	-
2. On Savings Accounts:			
a) With Scheduled Banks		20,02,708.00	20,32,715.00
b) With Non-Scheduled Banks		-	-
c) Post Office Savings Accounts		-	-
d) Others - Interest on Unspent Grant		-	-
e) Interest on Saving by SLSA (Punjab)		-	-
f) Interest on Saving by SLSA (UT Chandigarh)		-	76,70,408.00
3. On Loans:			
a) Employees/Staff		-	-
4. Interest on Debtors and Other Receivables		-	-
	Total	20,02,708.00	97,03,123.00
Note:- Tax deducted at source to be indicated			

Muskan

Accounts Officer

RSR

Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedules forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

SCHEDULE 18-OTHER INCOME	Amount in ₹	
	Current Year	Previous Year
1. Profit on Sale/Disposal of Assets:		
a) Owned assets	-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2. Donation Recived	-	-
3. Cost received	16,30,000.00	1,05,000.00
4. Miscellaneous Income		
Total	16,30,000.00	1,05,000.00

SCHEDULE 19-INCREASE/DECREASE IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS	Amount in ₹	
	Current Year	Previous Year
a) Closing stock		
Finished stock	-	-
Work-in-progress	-	-
b) Less: Opening Stock		
Finished goods	-	-
Work-in-progress	-	-
Net Increase/Decrease(a-b)	-	-
Total	-	-

M. K. S. S.

Accounts Officer

M. K. S. S.

Member Secretary

National Legal Aid Fund

Name of Authority - National Legal Services Authority

Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

SCHEDULE 20-ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Previous Year
a) Salaries and Wages	-	-
b) Allowances and Bonus	-	-
c) Contribution to Provident Fund	-	-
d) Interim Relief Arrears	-	-
e) Pay and Allowances Arrears	-	-
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits	-	-
g) Others	-	-
<u>Total</u>	-	-




National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

	Amount in ₹	
Schedule 21-LEGAL AID AND PROMOTIONS EXPENSES (A)	Current Year	Previous Year
a) Advertisement and Publicity	-	-
b) Tableaux Expenses for participation in Republic Day Parade 2022	-	-
c) Award money to Children disbursed	-	-
d) Expenditure on Toll free Helpline Number 15100	1,65,71,839.00	92,10,866.00
e) Regional Conference on Access to Legal Aid in Criminal Justice System-Global South	-	4,60,80,711.00
f) Expenditure incurred in connection with Advance Commercial Mediation Training	7,87,732.00	-
Total (A)	1,73,59,571.00	5,52,91,577.00
Schedule 21-OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES, ETC. (B)		
a) Purchase	-	-
b) Labour and Processing expenses	-	-
c) Cartage and Carriage Inwards	-	-
d) Electricity and Power	-	-
e) Conveyance	-	-
f) Repairs and Maintenance	-	-
g) Vehicles Running and Maintenance	-	-
h) Postage, Telephone and Communication Charges	-	-
i) Printing and Stationery	-	-
j) Tour and Travelling Expenses	-	-
k) Subscription Expenses	-	-
l) Auditors Remuneration	-	-
m) Professional Charges	-	-
n) Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances	-	-
o) Bank Charges	-	-
p) Annual day Sahyog Exps.- Seminar Exps. (1st All India DLSAs Meet)	-	-
Lok Adalat Expenses-Special Duty Exps.	56,190.00	35,952.00
q) Special Duty Allowances -Regional Conference on Access to Legal Aid in Criminal Justice System - Global South	-	4,06,380.00
r) Bank Charges	-	29.00
Total (B)	56,190.00	4,42,361.00
Total A + B	1,74,15,761.00	5,57,33,938.00


Accounts Officer


Member Secretary

National Legal Aid Fund
Name of Authority - National Legal Services Authority
Schedules forming part of Balance Sheet as on 31.03.2025

		Amount in ₹	
SCHEDULE 22-EXPENDITURE ON GRANTS,SUBSIDIES ETC.		Current Year	Previous Year
a) Grants given to Institutions/Organisations to SLSAs, SCLSC, MCPC of NILAF		1,98,18,91,514.00	1,94,49,85,730.00
b) Grants given to Institutions/Organisations for LADCS Scheme		1,47,92,50,000.00	2,00,00,00,000.00
c) Less: Grants not utilised and Surrendered by SLSAs		(2,89,31,965.00)	(65,97,781.00)
d) Less: Grants Surrendered by SLSAs for LADCS Scheme		(33,25,56,620.00)	(2,50,000.00)
e) Grants of NCW (refund back by SLSAs) and allocated to concerned SLSAs		1,20,00,000.00	82,79,769.00
f) Grants of DISHA Scheme utilised by SLSAs		-	2,14,92,850.00
g) Return to Consolidated fund of India through BharatKosh		3,00,74,858.00	-
h) Refund of unutilised grants to NCW		2,109.00	4,05,906.00
Total		3,14,17,29,896.00	3,96,83,16,474.00
Details as per Annexure			

SCHEDULE 23- INTEREST	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans(Including Bank Charges)	-	-
c) Others	-	-
Total	-	-



Accounts Officer



Member Secretary

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

(As on 31.03.2025)

**GRANTS ALLOTTED TO VARIOUS STATE LEGAL SERVICES AUTHORITIES DURING THE FINANCIAL YEAR 2024-25 -
LEGAL AID DEFENSE COUNSEL SYSTEM (LADCS) Scheme Code - 4287.**

(Amount in ₹)			
S.No	Name of the State Authority	Amount Allotted	Amount not utilised by SLSAs and Surrendered/Lapsed
1	Andhra Pradesh State Legal Services Authority	2,01,00,000.00	1,27,36,991.00
2	Arunachal Pradesh State Legal Services Authority	75,00,000.00	75,00,000.00
3	Assam State Legal Services Authority	12,20,00,000.00	30,26,789.00
4	Bihar State Legal Services Authority	4,40,00,000.00	2,12,44,764.00
5	Chhattisgarh State Legal Services Authority	6,56,00,000.00	2,26,82,846.00
6	Goa State Legal Services Authority	68,00,000.00	5,01,871.00
7	Gujarat State Legal Services Authority	10,00,00,000.00	2,47,34,014.00
8	Haryana State Legal Services Authority	4,33,00,000.00	22,76,851.00
9	H.P. State Legal Services Authority	5,85,00,000.00	92,34,393.00
10	Jammu and Kashmir State Legal Services Authority	1,85,00,000.00	1,00,00,000.00
11	Jharkhand State Legal Services Authority	6,01,00,000.00	1,59,78,800.00
12	Karnataka State Legal Services Authority	7,40,00,000.00	3,92,45,927.00
13	Kerala State Legal Services Authority	3,50,00,000.00	1,49,51,880.00
14	Madhya Pradesh State Legal Services Authority	10,05,00,000.00	2,40,01,316.00
15	Maharashtra State Legal Services Authority	17,21,00,000.00	2,99,43,330.00
16	Manipur State Legal Services Authority	50,00,000.00	-
17	Meghalaya State Legal Services Authority	1,31,00,000.00	32,66,101.00
18	Mizoram State Legal Services Authority	53,00,000.00	30,00,000.00
19	Nagaland State Legal Services Authority	70,00,000.00	-
20	Odisha State Legal Services Authority	3,36,00,000.00	1,00,66,997.00
21	Punjab State Legal Services Authority	4,40,00,000.00	36,40,025.00
22	Rajasthan State Legal Services Authority	5,70,00,000.00	23,18,991.00
23	Sikkim State Legal Services Authority	53,00,000.00	2,75,890.00
24	Tamil Nadu State Legal Services Authority	10,00,00,000.00	3,48,81,004.00
25	Telangana State Legal Services Authority	7,31,00,000.00	11,51,342.00
26	Tripura State Legal Services Authority	2,15,00,000.00	1,42,44,258.00
27	U.P. State Legal Services Authority	10,50,00,000.00	16,11,912.00
28	Uttarakhand State Legal Services Authority	2,70,00,000.00	-
29	West Bengal State Legal Services Authority	2,35,00,000.00	1,50,00,000.00
30	UT Chandigarh Legal Services Authority	25,00,000.00	6,61,997.00
31	Dadra & Nagar Haveli State Legal Services Authority	7,00,000.00	3,38,226.00
32	Daman and Diu Legal Services Authority	16,50,000.00	-
33	Delhi State Legal Services Authority	2,00,00,000.00	-
34	UT Puducherry Legal Services Authority	20,00,000.00	40,105.00
35	UT of Ladakh Legal Services Authority	40,00,000.00	40,00,000.00
TOTAL		1,47,92,50,000.00	33,25,56,620.00



Accounts Officer



Member Secretary

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

(As on 31.03.2025)

GRANTS ALLOTTED TO VARIOUS STATE LEGAL SERVICES AUTHORITIES DURING THE FINANCIAL YEAR 2024-25 FROM NATIONAL LEGAL AID FUND UNDER THE SCHEME CODE- 2298.

S.No	Name of the State Authority	(Amount in ₹)
		Grant Allotted
1	Andhra Pradesh State Legal Services Authority	3,02,00,000.00
2	Arunachal Pradesh State Legal Services Authority	5,50,00,000.00
3	Assam State Legal Services Authority	5,96,00,000.00
4	Bihar State Legal Services Authority	9,15,00,000.00
5	Chhattisgarh State Legal Services Authority	4,81,00,000.00
6	Goa State Legal Services Authority	1,22,00,000.00
7	Gujarat State Legal Services Authority	10,48,00,000.00
8	Haryana State Legal Services Authority	6,27,00,000.00
9	H.P. State Legal Services Authority	4,18,00,000.00
10	Jammu and Kashmir State Legal Services Authority	6,75,00,000.00
11	Jharkhand State Legal Services Authority	4,83,00,000.00
12	Karnataka State Legal Services Authority	8,99,65,797.00
13	Kerala State Legal Services Authority	6,48,00,000.00
14	Lakshadweep State Legal Services Authority	32,00,000.00
15	Madhya Pradesh State Legal Services Authority	8,50,00,000.00
16	Maharashtra State Legal Services Authority	11,23,00,000.00
17	Manipur State Legal Services Authority	8,61,00,000.00
18	Meghalaya State Legal Services Authority	1,68,00,000.00
19	Mizoram State Legal Services Authority	2,94,00,000.00
20	Nagaland State Legal Services Authority	1,84,00,000.00
21	Odisha State Legal Services Authority	6,70,00,000.00
22	Punjab State Legal Services Authority	7,94,00,000.00
23	Rajasthan State Legal Services Authority	6,32,00,000.00
24	Sikkim State Legal Services Authority	98,00,000.00
25	Tamil Nadu State Legal Services Authority	8,39,00,000.00
26	Telangana State Legal Services Authority	5,51,00,000.00
27	Tripura State Legal Services Authority	2,38,00,000.00
28	U.P. State Legal Services Authority	15,68,00,000.00
29	Uttarakhand State Legal Services Authority	4,27,00,000.00
30	West Bengal State Legal Services Authority	8,46,00,000.00
31	Andaman & Nicobar Legal Services Authority	36,00,000.00
32	UT Chandigarh Legal Services Authority	2,75,717.00
33	Daman and Diu Legal Services Authority	18,50,000.00
34	Delhi State Legal Services Authority	11,84,00,000.00
35	UT Puducherry Legal Services Authority	62,00,000.00
36	UT Ladakh Legal Services Authority	1,14,00,000.00
37	Dadra & Nagar Haveli	12,00,000.00
38	Supreme Court Legal Services Committee (SCLSC)	3,00,00,000.00
39	Mediation and Conciliation Project Committee (MCPC)	1,50,00,000.00
TOTAL		1,98,18,91,514.00



Accounts Officer



Member Secretary

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY		
		(As on 31.03.2025)
GRANTS NOT UTILISED AND SURRENDERED/LAPSED w.r.t. NALSA AND CONCERNED STATE LEGAL SERVICES AUTHORITIES, SCLSC & MCPC DURING THE FINANCIAL YEAR 2024-25		
		(Amount in ₹)
A	GRANT SURRENDERED FROM NATIONAL LEGAL AID FUND	852.00
B	GRANT SURRENDERED BY CONCERNED STATE LEGAL SERVICES AUTHORITIES	
S.No	Name of the State Authority	Amount not utilised by SLAs and Surrendered
1	Assam State Legal Services Authority	19,931.00
2	Chhattisgarh State Legal Services Authority	95,69,130.00
3	Goa State Legal Services Authority	6,55,622.00
4	Jammu Kashmir State Legal Services Authority	17,91,861.00
5	Jharkhand State Legal Services Authority	11,90,000.00
6	Sikkim State Legal Services Authority	28,00,002.00
7	Tamil Nadu State Legal Services Authority	13,77,217.00
8	Telangana State Legal Services Authority	1,80,715.00
9	Tripura State Legal Services Authority	67,112.00
10	West Bengal State Legal Services Authority	2,95,230.00
11	Andaman & Nicobar Legal Services Authority	28,67,375.00
12	Dadra and Nagar Haveli Legal Services Authority	8,76,580.00
13	Lakshadweep Legal Services Authority	15,00,107.00
14	Puducherry Legal Services Authority	811.00
15	Ladakh Legal Services Authority	20,31,278.00
16	Supreme Court Legal Services Committee (SCLSC)	10,924.00
17	Mediation and Conciliation Project Committee (MCPC)	36,98,070.00
	TOTAL	2,89,31,965.00
A+B	Grants not utilised by the Authority, SLSAs, SCLSC and MCPC and surrendered/lapsed during the year end	2,89,32,817.00


Accounts Officer


Member Secretary

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY		
(As on 31.03.2025)		
GRANTS RECEIVED FROM NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN & ALLOCATED TO VARIOUS STATE LEGAL SERVICES AUTHORITIES DURING THE FINANCIAL YEAR 2024-25.		
(Amount in ₹)		
S.No	Name of the State Authority	Grant Allotted
1	Andhra Pradesh State Legal Services Authority	26,80,000.00
2	Goa State Legal Services Authority	40,000.00
3	Haryana State Legal Services Authority	5,60,000.00
4	Himachal Pradesh State Legal Services Authority	3,40,000.00
5	Jharkhand State Legal Services Authority	10,60,000.00
6	Karnataka State Legal Services Authority	9,60,000.00
7	Kerala State Legal Services Authority	6,20,000.00
8	Punjab State Legal Services Authority	6,20,000.00
9	Tamil Nadu State Legal Services Authority	15,60,000.00
10	Tripura State Legal Services Authority	2,60,000.00
11	UP State Legal Services Authority	33,00,000.00
TOTAL		1,20,00,000.00



Accounts Officer



Member Secretary

FORM-3

**Appendix forming part of Accounting of National
Legal Aid Fund for the Year ended 31st March, 2025/
Name of Authority**

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

SCHEDULES – 24 : Significant Accounting Policies

1. **Accounting Convention:** The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the Accrual Basis of accounting.
2. **Inventory, Investments, Deferred Revenue and Sales:** The Authority has no Inventory, no Investments, no Deferred Revenue Expenditure and no Sales.
3. **Government Grant / Subsidies:**
 - Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects treated as Capital Reserve.
 - Grant in respect of specific fixed assets, if any, acquired are shown as an addition to Corpus Fund.
 - Government grants / subsidy is accounted for on realization basis.
4. **Foreign Currency Transactions, Lease and Excise duty:** The Authority has no foreign currency, no lease and no excise duty transactions.
5. **Fixed Assets:**
 - Fixed assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties taxes and incidental and direct expenses relating to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses, from part of the value of the assets capitalized.
 - From the Financial Year 2015-16, the Authority has decided to account for the addition of fixed assets only when the same are financed from National Legal Aid Fund.
 - Since no addition of fixed assets was financed out of National Legal Aid Fund, no addition of fixed assets has been considered.

- Building shown under Balance Sheet has been written off with Corpus Fund, as there is no building in the name of Authority financed from National Legal Aid Fund.
 - Computer/Peripherals, Furniture and Fixtures, Office Equipment and Vehicles has been written off with corpus Fund, as there are no assets in the name of Authority financed from National Legal Aid Fund.
 - Section 15(1)(c) of Legal Services Authorities Act, 1987 provides that the Central Authority shall establish a fund to be called the National Legal Aid Fund consist of any amount received by the Central Authority under the orders of any court or from any other source. Hence interest earned has been taken as amount received by the Central Authority from any other source.
6. **Depreciation:** Depreciation has been provided on fixed assets as per Income Tax Act.
 7. The Grants given to various State Legal Services Authorities, Supreme Court Legal Services Committee and Mediation & Conciliation Project Committee is treated as expenditure for the year. The utilization certificates in respect of National Legal Aid Fund related to the Financial Year 2019-20 to 2023-24 amounting to ₹353.30 crores are pending.
 8. During the year an amount of ₹1.20 crore has been received from National Commission for Women (NCW), previous year balance amounting to ₹2,109/- and unspent grants of financial year 2023-24 received back from Odisha State Legal Services Authorities amounting to ₹ 91/- (which has already been refunded to NCW), out of which ₹1,20,00,000/- were distributed to 11 State Legal Services Authorities for organization of Legal Awareness Programme at grass-roots level in collaboration with NALSA and ₹2,109/- refunded by NALSA to NCW.
 9. During the Financial Year 2024-2025 under TSA Model of PFMS National Legal Services Authority received grants-in-aid amounting to ₹200.00 Crore from Ministry of Law & Justice and previous year balance amounting to ₹5.18 Crore, out of which, grants-in-aid amounting to ₹198.19 Crore have been released to 37 State Legal Services Authorities, Supreme Court Legal Services Committee (SCLSC) and Mediation and Conciliation Project Committee (MCPC) during the Financial Year 2024-25 and ₹1,74,15,761/- has been spent on NALSA's toll free help line number 15100 and other Legal Aid Programmes.
 10. During the Financial Year 2024-2025, National Legal Services Authority received grants-in-aid amounting to ₹147.92 Crore for Central Sector Scheme namely Legal Aid Defense Counsel System (LADCS) scheme under Hybrid TSA Model of PFMS from Ministry of Law & Justice, out of which an amount of ₹147.92 crore were distributed as grants-in-aid to various State Legal Services Authorities and previous year balance amounting to ₹79.07 crore (available with SLSAs/DLSAs has also been utilized by the Sub-Agencies.

11. During the financial year 2024-25, an amount of ₹3,00,76,080/- i.e. (principal of ₹2,84,09,257/- and interests of ₹16,65,601/- + ₹1,223/-) has been deposited in Consolidated Fund of India (CFI) through Bharat Kosh by National Legal Services Authority as Central Nodal Agency (CNA) for DISHA Scheme (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India).
12. Corresponding figures for the Previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.



Accounts Officer



Member Secretary

FORM-4

Appendix forming part of Accounting for the Period/ Year ended 31st March, 2025 of National Legal Aid Fund, Name of Authority:

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

SCHEDULES – 25

Certificate in respect of contingent Liabilities and Notes on Accounts

1. Contingent Liabilities during the year under reference – NIL

(Previous year – NIL)

- Claims against the entity acknowledged as debts – NIL
- In respect of
 - Bank Guarantees given by / on behalf of the Entity – Nil
 - Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity- NIL
 - Bills discounted with Banks – NIL
- Disputed demands in respect of
 - Income – Tax Rs. NIL
 - Sales – Tax – NIL
 - Municipal Tax – NIL
- In respect of claims from parties for non – execution of orders, but contested by the Entity - NIL

2. Capital Commitments during the year under reference - NIL

(Previous year – NIL)

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advance) – NIL

3. Lease obligations during the year under reference – NIL (Previous year – NIL)

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to – NIL

4. Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in Balance Sheet.

5. Taxation

In view of there being no taxable income under Income Tax Act, 1961, no provision for Income Tax has been considered necessary.

6. Foreign Currency Transaction during the year under reference - NIL (Previous Year NIL)

Particulars	(Amount Rs.)	
	Current Year	Previous Year
1. Value of Imports Calculated on C.I.F. Basis:		
- Purchase of finished Goods	NIL	NIL
- Raw Materials & Computers (including in transit)	NIL	NIL
- Capital Goods	NIL	NIL
- Stores, Spares and Consumables	NIL	NIL
2. Expenditure in foreign Currency:		
- Travel	NIL	NIL
- Remittances and Interest payment to Financial Institutions / Banks in Foreign Currency	NIL	NIL
- Other expenditure		
* Commission on Sales	NIL	NIL
* Legal and Professional Expenses	NIL	NIL
* Miscellaneous Expenses	NIL	NIL
3. Earnings:		
- Value of Exports on FOB basis	NIL	NIL
4. Remuneration to auditors:		
- Taxation matters	NIL	NIL
- For Management Services	NIL	NIL
- For certification	NIL	NIL

7. Appendix 1 to 23 are annexed to and form an integral part of the Annual Account comprising Income and Expenditure, Receipt & Payment and Balance Sheet for the year ended.

8. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/ rearranged, wherever necessary.



Accounts officer



Member Secretary

UTILISATION CERTIFICATE

Grants-in-Aid : National Legal Aid Fund (Scheme Code 2298) Financial Year 2024-2025

Sl. No.	Particulars (File No. & Date)	Amount in (₹)	
1.	F No. A-60011/6/ 2024-LAP(JUS) Date 13/05/2024	83,00,00,000	Certified that balance of previous year amounting to ₹5,18,42,195/- was added by grants received during the year of ₹2,00,00,00,000/- as per details given in the margin through TSA model of PFMS, Cost received ₹16,30,000/-, Interest received ₹18,16,864/-, Interest received from UT Chandigarh Legal Service Authority ₹81,123/-, Condemnation of Vehicle by H.P., Sikkim and Karnataka State Legal Services Authority ₹7,46,773/- and amount received for Advance Commercial Mediation Training ₹9,90,001/- and Bank Charges and other ₹625/- making a total of ₹2,05,71,07,581/- . Out of which, ₹1,98,18,91,514/- were distributed as grants-in-aid to various State Legal Service Authorities, SCLSC & MCPC (₹2,89,31,965/- not utilized and surrendered/lapsed w.r.t. SLSAs, SCLSC & MCPC) and ₹1,74,15,761/- were spent on NALSA's Toll Free help line number 15100 and other Legal Aid Programme, ₹6,91,873/- paid to NALSA's Toll Free help line number for previous year dues, ₹3,410/- paid to Duda for previous year dues, ₹72,025/- paid for previous year TDS on GST, ₹3840/- GST extra paid, ₹852/- surrendered/lapsed from National Legal Aid Fund and ₹12,79,478/- transferred to DISHA account to deposit interest into CFI through Bharat Kosh, ₹ 30,798/- due for deposition of TDS, and balance of ₹5,57,79,625/- is lying with bank in the account of National Legal Aid Fund of NALSA.
2.	F No. A-60011/6/ 2024-LAP(JUS) Date 07/10/2024	67,00,00,000	
3.	F No. A-60011/6/ 2024-LAP(JUS) Date 18.12.2024	50,00,00,000	
	Total	2,00,00,00,000	

Certified that we have satisfied ourselves that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled and that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.



Accounts officer



Member Secretary

UTILISATION CERTIFICATE

b. Legal Aid Defense Counsel System (Scheme Code 4287) Financial Year 2024-2025

Sl. No.	Particulars (File No. & Date)	Amount in (₹.)	
1.	F No. A-60011/22/2023- LAP(JUS) – PART(2) (E-8954) Date 20/09/2024	50,00,00,000	Certified that balance of previous year amounting to ₹0/- was added by grants received during the year of ₹147,92,50,000/- as per details given in the margin through Hybrid TSA model of PFMS, out of which an amount of ₹1,47,92,50,000/- were distributed as grants-in-aid to various State Legal Service Authorities. ₹33,25,56,620/- not utilized and surrendered/lapsed w.r.t. SLSAs from Hybrid TSA model of PFMS.
2.	F No. A-60011/22/2023- LAP(JUS) – PART(2) (E-8954) Date 14/01/2025	50,00,00,000	
3.	F No. A-60011/22/2023- LAP(JUS) – PART(2) (E-8954) Date 12/03/2025	47,92,50,000	
	Total	1,47,92,50,000	

Certified that we have satisfied ourselves that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled and that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.



Accounts officer



Member Secretary

UTILISATION CERTIFICATE

c. National Commission for Women Fund Financial Year 2024-2025

Sl. No	Particulars (File No. & Date)	Amount in (₹.)	
1.	F No. 05-3/3/2023/ WW&CBC (NCW) Date 01/08/2024	50,00,000	Certified that unspent balance of previous year amounting to ₹2,109/- was added by grants received during the year of ₹1,20,00,000/- as per details given in the margin and ₹91/- received back of NCW Fund from Odisha SLISA making a total of ₹120,2,200/-. Out of which an amount of ₹120,00,000/- were distributed to various State Legal Services Authorities for organization of Legal Awareness Programme at grass-root level in collaboration with NCW, ₹2109/- refunded by NALSA to NCW and unspent balance of ₹91/- which is already refunded.
2.	F No. 05-3/3/2023/ WW&CBC (NCW) Date 21/11/2024	70,00,000	
	Total	1,20,00,000	

Certified that we have satisfied ourselves that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled and that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.



Accounts officer



Member Secretary

UTILISATION CERTIFICATE

d. Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India (DISHA) (Scheme Code 3955) **Financial Year 2024-2025**

Sl. No	Particulars (File No. & Date)	Amount in (₹.)	
1.		0.00	Certified that balance of previous year amounting to ₹2,86,10,758/- was added by grant received during the year of ₹NIL as per details given in the margin, ₹12,79,478/- received from National legal aid fund as it was kept for transferring the same to CFI and interest received from bank ₹1,85,844/- making a total of ₹3,00,76,080/-. Out of which, ₹3,00,74,858/- deposited into Consolidated Fund of India through Bharat Kosh and unspent balance of ₹1,222/- is lying with bank in the CNA Account of NALSA.
	Total	0.00	

Certified that we have satisfied ourselves that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled and that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Accounts officer

Member Secretary



NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

2024-25

**Audit Report of the
Comptroller and Auditor General of India**

Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Legal Services Authority (NALSA) for the year ended 31 March 2025

Opinion

We have audited the financial statements of National Legal Services Authority (NALSA), which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19(2). of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 18 of the Legal Services Authorities Act 1987.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller& Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately

In our opinion the accompanying financial statements of National Legal Services Authority (NALSA), read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Separate Audit Report, **which** follows, **give a true and fair view** of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and (of) its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with uniform format of accounts.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the financial statements

The Chief Justice of India is the Patron in Chief of NALSA. A serving or retired Judge of the Supreme Court of India is nominated by the President, in consultation with the chief Justice of India is the Executive Chairman of NALSA. Member-Secretary of the NALSA is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts, and for internal control as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material mis-statement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations / standards/ manuals/guidelines/ guidance-notes/ orders/circulars etc.

For and on behalf of the CAG of India



DGA (Central Expenditure)

Place: New Delhi

Date: 17/10/2025

Separate Audit Report on the Accounts of National Legal Services Authority (NALSA) for the year ended 31 March 2025

A Balance Sheet

A.1 Corpus / National Legal Aid Fund and Liabilities

A.1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule-7) Rs. 8.97 Lakh

A.1.1.1 During the year 2024-25, NALSA earned an interest of Rs. 20.03 lakh on unspent Grants. However, the same was neither surrendered to the Ministry nor shown as liabilities under the Current Liabilities and Provisions. This resulted in understatement of Liabilities and overstatement of Corpus Fund by Rs. 20.03 lakh.

A.1.1.2 The above does not include an amount of Rs. 554.19 lakh shown under National Legal Aid Fund being unspent balances lying with NALSA. The unspent amount should have been either refunded to the Govt. of India or liabilities should have created in the books of accounts of the NALSA for the year 2024-25.

This resulted in understatement of current liabilities and overstatement of National Legal Aid Fund by Rs. 554.19 lakh.

B. Assessment of Internal Controls

a. Adequacy of Internal Control System:

Internal Control system is not adequate in the NALSA as Recruitment Rules Service Regulation was not framed & staff were not provided training to upgrade the skills.

b. Adequacy of Internal Audit System:

There is no internal audit department or cell in the Authority. Internal audit of NALSA is being conducted by CCA, M/o Law & Justice. The Internal Audit was conducted up to 2018-19 only and Internal audit for the years 2019-20 to 2024-25 is still pending.

c. System of Physical verification of fixed assets:

Physical Verification of the Fixed assets for the year 2024-25 was conducted and no discrepancy was reported.

d. System of Physical verification of inventory:

Not Applicable as inventory is not purchased from the Grant in Aid.

e. Regularity in payment of statutory dues:

No statutory dues were outstanding as on 31.03.2024.

C. Grants in aid

i) National Legal Aid Fund :

NALSA received grant in aid of Rs. 200.00 crore from the Ministry of Law and Justice for the National Legal Aid Fund.' NALSA had unspent balance of previous years amounting to Rs 5.18 crore. During the year NALSA had internal receipt of Rs. 0.53 crore. Thus, out of available fund of Rs. 205.71 crore, amount of Rs. 200.13 was utilized by the NALSA leaving a balance of Rs. 5.58 crore. Out of grant released of Rs. 198.19 crore to State legal Services Authorities, Rs. 2.89 crore was lapsed to the Government of India by State legal Services Authorities.

ii) Legal Defense Counsel System (LADCS) :

NALSA received grants in aid of Rs. 147.93 crore received during the year 2024-25 for LADCS, the NALSA released a sum of Rs. 147.93 crore to State legal Services Authorities leaving a balance of Rs. "Nil" core as unutilized as on 31 March 2025. Out of grant released Rs. 147.93 crore to State legal Services Authorities, Rs. 33.26 crore was lapsed to the Government of India by State legal Services Authorities.

iii) DISHA Fund :

No grant was received during the year for DISHA scheme. An unspent balance of previous year amounting Rs. 2.86 crore and an amount of Rs. 0.15 crore earned from internal sources. Thus, out of total available fund of Rs. 3.01 crore, 3.01 crore was deposited to CFI by leaving a balance of Rs. 1222/-.

iv) National Commission for Women Fund :

NALSA received grants in aid of Rs. 1.20 crore from National Commission for Women (NCW) during the year 2024-25, NALSA utilized a sum of Rs. 1.20 crore and returned remaining amount of Rs.2200 to NCW leaving a balance of Rs. nil as unutilized grant as on 31 March 2025.

Annexure

(Reference: D.O. No. AMG-I/04-90/SAR/NALSA/2025-26/ dated .10.2025)

1. An amount of Rs. 11000 has been paid by NALSA on 12.01.2023 towards award money to a child for his performance on the occasion of closing ceremony of PAN India legal awareness and outreach campaign held on 14.11.2022. However, the same amount has been reversed back into the account of NALSA on 24.01.2023. The amount of Rs. 11000/- has not been depicted in Schedule-7 as current liability. This has resulted in understatement of current liability as well as overstatement of Corpus Fund by Rs. 11000/-. This observation was also raised during the previous years through SAR.
2. Adjustment to Corpus Fund / National Legal Aid Fund, including addition of amount transferred from income and Expenditure Accounts have been directly depicted in Balance Sheet without reflecting the same in corresponding Schedule-1.
3. NALSA received an amount of Rs. 7,46,773/- from three state SLSAs on account of condemnation of vehicles and an amount of Rs. 81,123/- as Interest on savings by UT Chandigarh. However these were not deposited to Consolidated fund of India.



NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

2024-25

Annual Report

INDEX

S. No.	Contents	Page No.
1.	Introduction	48-49
2.	Organogram of Legal Services Institutions	50
3.	Conferences, Visits, and Collaborative Initiatives of NALSA • State Conference of District Legal Services Authorities of Odisha. • State Conference of District Legal Services Authorities of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana & Chandigarh. • State Conference of District Legal Services Authorities of Tamil Nadu and Puducherry • State Conference of District Legal Services Authorities of Kerala and Lakshadweep • State Conference of District Legal Services Authorities of Jammu & Kashmir and Ladakh • Regional Conference of Punjab, Haryana and U.T Chandigarh SLSAs. • Regional Conference on Mediation.	51-58
4.	Details of funds less than ₹2 crore provided to Legal Services Authorities of States /Union Territories during the F.Y. 2024-25	58-59
5.	National Lok Adalat	59-62
6.	Legal Awareness and Outreach Programmes • Collaboration with National Commission for Women Under the Initiative: “<i>Vidhi Se Samadhan</i>” • Human Rights Day-2024 • Jail Visit – Nagpur Central Prison • State Outreach Visit • Legal Services Day-2024 • Mega Legal Services Camp • Other Legal Awareness and Outreach Programmes	62-74
7.	UTRC Framework and Quarterly Meetings	73-75
8.	Capacity Building by LSIs • Launch of Online Mediation Training Portal. • 15- Hours Advanced Commercial Mediation Training Program. • Signing of Memorandum of Understanding with the Department of Social Justice & Empowerment. • Capacity Building and Legal Empowerment Initiatives.	75-79

S. No.	Contents	Page No.
9.	NALSA Schemes, SOPs & Guidelines • Revision of NALSA Schemes for Children and Persons with Mental Illness or Intellectual Disabilities	79-80
10.	Success Stories	81-83
11.	Statistical Highlights • ADR and Mediation Statistical Information • Beneficiary of Legal Services Provided Under Legal Services Authorities Act, 1987 • Legal Literacy/ Legal Awareness Camps/ Programme • Statistical Information of Para-Legal Volunteers. • Statistical Information in respect of Permanent Lok Adalat • Training Programmes Conducted by SLSAs/DLSAs etc • Victim Compensation Scheme u/s. 357-A • Legal Services Clinics	84-101
12.	Legal Aid Defense Counsel System (LADCS)	102-108

INTRODUCTION

Article 39A of the Indian Constitution provides for free legal aid in order to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. Articles 14 and 22 (1) mandate the state to ensure equality before law. In the year 1987, the Legal Services Authorities Act was enacted by the Parliament which came into force on 9th November 1995 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity.

The National Legal Services Authority (NALSA) was formed on 9th November 1995 under the Legal Services Authorities Act, 1987. The principal objective of NALSA is to provide free and competent legal services to the weaker sections of society and to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities, and to organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes. Hon'ble Dr. Justice Bhushan Ramkrishna Gavai, the Chief Justice of India is the Patron-in-Chief of NALSA and Hon'ble Mr. Justice Surya Kant, Judge, Supreme Court of India is the Executive Chairman of NALSA.

In every State/UT, State Legal Services Authority (SLSAs) have been constituted to give effect to the policies and directions of NALSA, to give free legal services to the people and to conduct various other activities such as Lok Adalats and Awareness Campaigns in their respective States. Similarly, in every District, a District Legal Services Authority (DLSA) and Taluk Legal Services Committees (TLSC) have been constituted to implement Legal Services Programmes at the District and Taluk levels.

As per Section 12 of the Legal Services Authorities Act 1987, the following categories of persons are entitled to free legal services:

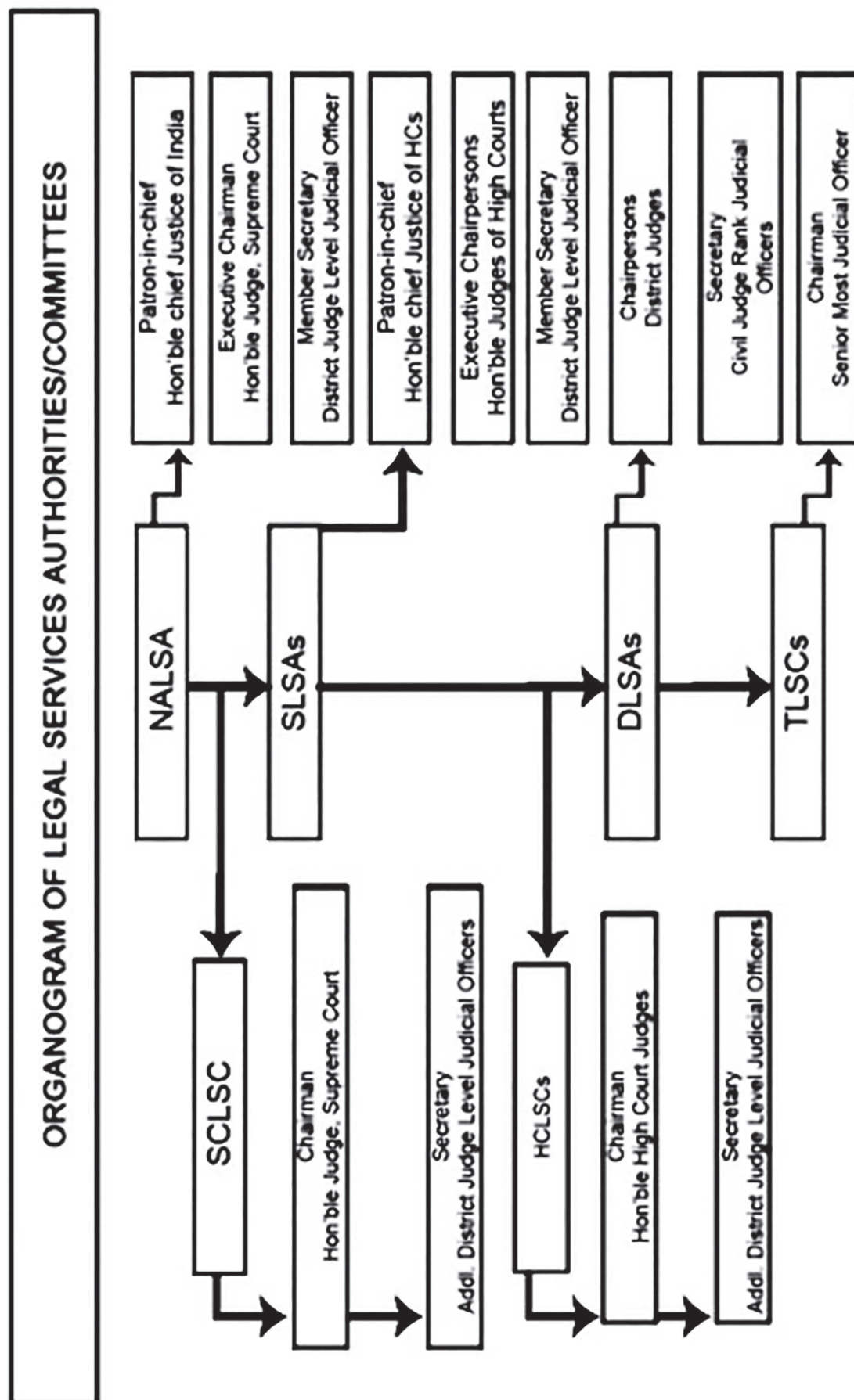
- (a) *A member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe;*
- (b) *A victim of trafficking in human beings or beggar as referred to in Article 23 of the Constitution;*
- (c) *A woman or a child;*
- (d) *A mentally ill or otherwise disabled person;*
- (e) *A person under circumstances of undeserved want such as being a victim of a mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster; or*
- (f) *An industrial workman; or*
- (g) *In custody, including custody in a protective home within the meaning of clause (g) of Section 2 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956(104 of 1956); or in a juvenile home within the meaning of clause (j) of Section 2 of the Juvenile Justice Act, 1986 (53 of 1986); or in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home within the meaning of clause (g) of Section 2 of the Mental Health Act, 1987(14 of 1987); or*
- (h) *a person in receipt of annual income less than the amount mentioned in the following schedule (or any other higher amount as may be prescribed by the State Government), if the case is before a Court other than the Supreme Court, and less than Rs 5 Lakh, if the case is before the Supreme Court.*

NALSA's Motto is "Access to Justice for All," and its Vision is "to promote an inclusive legal system, in order to ensure meaningful justice to the marginalized and disadvantaged sector."

Guided by this vision, NALSA's mission is "to legally empower the marginalized and excluded groups of society by providing effective legal representation, legal literacy and awareness, and to bridge the gap between legally available benefits and the entitled beneficiaries."

Together, these principles reflect NALSA's unwavering commitment to building a just, inclusive, and equitable society where every individual, regardless of their socio-economic background, can realize their right to justice.

ORGANOGRAM OF LEGAL SERVICES INSTITUTIONS



CONFERENCES, VISITS, AND COLLABORATIVE INITIATIVES OF NALSA

During the financial year 2024–25, a series of State and Regional Conferences and related events were organized to deliberate on challenges in legal aid delivery, share best practices, and outline strategies for strengthening access to justice across the country. These initiatives fostered **collaboration, coordination, and shared responsibility** among the State Legal Services Authorities (SLSAs), District Legal Services Authorities (DLSAs), and other stakeholders in the justice system.

The following are some of the **notable events** held during the year.



Vignette from State Conference of DLSAs of Odisha on 17th August, 2024
at the Odisha Judicial Academy, Cuttack, Odisha

On 17th August 2024, the Odisha State Legal Services Authority organized the Conference of District Legal Services Authorities at the Odisha Judicial Academy, Cuttack. The Conference was presided over by Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA, in the presence of Hon'ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh, Chief Justice, High Court of Orissa and Patron Chairman, OSLSA, along with Hon'ble Judges of the High Court. District Judges-cum-Chairpersons, Secretaries of 30 DLSAs, and PLVs from across the State participated. The Conference focused on addressing challenges in outreach and court-based legal services, promoting ADR mechanisms, sharing innovative practices, and strengthening collaborations to ensure equitable access to justice.

STATE CONFERENCE OF DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES OF HIMACHAL PRADESH, PUNJAB, HARYANA & CHANDIGARH



Vignette from State Conference of DLSAs of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana & Chandigarh at Dalhousie, Himachal Pradesh

On 6th October 2024, the State Conference of District Legal Services Authorities of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, and Chandigarh was organized at Dalhousie, Himachal Pradesh, under the aegis of NALSA. The Conference aimed to enhance coordination among DLSAs, address common challenges, share best practices, and strengthen the delivery of legal aid and justice services across the region.

The event was graced by Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA; Hon'ble Mr. Justice Rajiv Shakdher, Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh & Patron-in-Chief, HPSLSA; Hon'ble Mr. Justice G.S. Sandhawalia, Hon'ble Mr. Justice Arun Palli, Hon'ble Mrs. Justice Lisa Gill, and Hon'ble Mr. Justice Tarlok Singh Chauhan. Member Secretaries and Officers of NALSA, PSLSA, HSLSA, and Chandigarh SLA, along with Chairpersons and Secretaries of DLSAs, PLVs, Legal Aid Counsels, and Anganwadi Workers, also participated.

In his address, Justice Khanna emphasized the fundamental purpose of Legal Services Institutions and the vital role of legal aid functionaries in assisting those entangled in the justice system. He underscored the importance of providing legal aid at the pre-arrest and arrest stages, strengthening Under Trial Review Committees, and expanding the Legal Aid Defence Counsel System. Highlighting the transformative potential of digital platforms like the Legal Services Management System and Legal Aid Case Management System, he called for greater publicity of NALSA's National Helpline (15100).

Vignette from State Conference of DLSAs of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana & Chandigarh at Dalhousie, Himachal Pradesh



Justice Khanna also interacted with Para Legal Volunteers (Adhikar Mitra), commending their dedication and encouraging them to be strategically positioned at Legal Aid Clinics, Police Stations, and public offices to directly assist citizens. He further urged the use of e-Seva Kendras and Mobile Vans to enhance legal awareness and extend access to justice to remote areas.

STATE CONFERENCE OF DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES OF TAMIL NADU AND PUDUCHERRY

On 28th April 2024, Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA, addressed the Chairpersons and Secretaries of DLSAs of Tamil Nadu and Puducherry during the Conference held at the ADR Building, Madras High Court. The Conference served as a platform to discuss challenges faced by DLSAs, share innovative practices adopted by Legal Services Institutions, and chart the way forward for effective legal aid delivery.

Later in the day, Justice Khanna visited the Madurai Central Prison to gain insights into the prison system, assess inmate facilities, review legal services being provided, and identify areas for improvement. During the visit, he inspected the barracks, Prison Hospital, kitchen, Vocational Training Centre, and the Prison Legal Services Clinic, and interacted with inmates, jail officials, doctors, and counsellors.

Justice Khanna also inaugurated the Convict Paralegal Volunteer Training Programme titled "*PATTAM Project*," conceptualized by PRISM NGO in collaboration with DLSA Madurai and the Prison Authorities. Additionally, he visited a Legal Aid Camp organized at Vellaripatti village, where he interacted with villagers and encouraged community engagement in legal awareness initiatives.



Vignettes from the Conference of DLSAs of Tamil Nadu and Puducherry at Chennai, Tamil Nadu on 28th April, 2024

STATE CONFERENCE OF DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES OF KERALA AND LAKSHADWEEP



Vignettes from the Conference of DLSAs of Kerala and Lakshadweep on 6th June, 2024

The State Conference of DLSAs of Kerala and Lakshadweep was held on 6th June 2024 at the Kerala High Court Auditorium, Kochi, chaired by Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA. The event was also attended by Hon'ble Mr. Justice Ashish K. Desai, Chief Justice, High Court of Kerala & Patron-in-Chief, KeLSA; Hon'ble Mr. Justice A. Muhamed Mustaque, Judge, High Court of Kerala & Executive Chairman, KeLSA; along with the Member Secretaries of NALSA and KeLSA, and the Director of the ADR Centre.

During his visit, Justice Khanna also toured the Office of Legal Aid Defence Counsels, Ernakulam, the District Jail and Women's Jail, Kakkanad, and Kadamakkudy Village, interacting with legal aid functionaries and villagers. The Conference provided a platform for stakeholders to deliberate on strategies to enhance access to justice and explore innovative approaches to legal aid delivery.

STATE CONFERENCE OF DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES OF JAMMU & KASHMIR AND LADAKH

Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA, visited Jammu & Kashmir and Ladakh from 17th to 22nd June 2024 for the State Conference of District Legal Services Authorities (DLSAs).

On 17th June, Justice Khanna visited the Central Prison, Srinagar, interacting with inmates, jail authorities, and functionaries of the Prison Legal Aid Clinic. On 19th June, he participated in the Community Awareness Programme organized by the Ladakh Legal Services Authority and DLSA Kargil, engaging with Panel Lawyers, Para Legal Volunteers, Legal Aid Defence Counsels, civil society members, Anganwadi Workers, One Stop Centre personnel, and Mission Shakti and Mission Poshan workers.

On 21st June 2024, he chaired the State-Level Conference of DLSAs of Jammu & Kashmir and Ladakh at the Jammu & Kashmir Judicial Academy, Srinagar. The Conference was attended by Hon'ble Mr. Justice N. Kotiswar Singh, Chief Justice of High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh & Patron-in-Chief, JKSLSA; Hon'ble Mr. Justice Tashi Rabstan, Judge & Executive Chairman, JKSLSA; and Hon'ble Mr. Justice Atul Sreedharan, Judge & Executive Chairman, Ladakh Legal Services Authority.



Vignettes from the Conference of DLSAs of Jammu & Kashmir and Ladakh in June, 2024

REGIONAL CONFERENCE OF PUNJAB, HARYANA AND U.T CHANDIGARH SLSAs



November 17, 2024: Punjab, Haryana, and U.T. Chandigarh SLSAs jointly organized the Regional Conference on “Empowering the Marginalized and A Step Towards Social Justice” at Chandigarh Judicial Academy. Hon’ble Mr. Justice B. R. Gavai, Executive Chairman, NALSA, graced the occasion, marking it as the first official event in this role. The conference witnessed the launch of the Victim Care and Support System, an initiative aimed at assisting victims of crime in overcoming trauma and reintegrating into society. Further, a drug awareness video was unveiled, produced in regional languages by the organizing SLSAs, to educate the public about the dangers of substance abuse. Additionally, the Online Accounts Portal was introduced, offering a secure and transparent system for managing financial transactions.



November 30, 2024: Maharashtra SLSA, in collaboration with the Bombay High Court’s Mediation Committee, organized a Regional Conference on Mediation. Hon’ble Mr. Justice B.R. Gavai, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA, inaugurated the event, emphasizing the transformative potential of mediation under the Mediation Act, 2023, to reduce litigation and promote harmonious dispute resolution. His Lordship also released the Maharashtra SLSA’s Handbook on Mediation, the MSLSA theme song, and an E-launch of a social media message on free legal aid, underscoring the integration of modern outreach initiatives in legal services. Key addresses by Hon’ble Mr. Justice Prasanna B. Varale, Judge, Supreme Court, and Hon’ble Mr. Justice Devendra Kumar Upadhyaya, Chief Justice, High Court of Bombay and Patron-in-Chief, MSLSA, reinforced the importance of mediation in ensuring accessible justice.

Key Takeaways

1. **Strengthening Legal Services Institutions:** Across all regional and state conferences, a central focus was placed on enhancing the efficiency, coordination, and outreach of Legal Services Authorities at the state and district levels to ensure effective delivery of justice.
2. **Focus on Access to Justice and Inclusivity:** Each conference reinforced NALSA’s vision of “Access to Justice for All”, emphasizing the need for equitable legal aid and meaningful justice for marginalized and disadvantaged groups.
3. **Emphasis on Pre-Arrest and Arrest-Stage Legal Aid:** Hon’ble Mr. Justice Sanjiv Khanna stressed the importance of providing legal assistance at the earliest stages of criminal

proceedings—especially during pre-arrest and arrest—to safeguard individual rights and prevent unnecessary detention.

4. **Strengthening Undertrial Review Committees (UTRCs):** The role of UTRCs was underlined as critical in ensuring that undertrials, particularly those charged with petty offences, are not subjected to prolonged incarceration.
5. **Role of Legal Aid Defence Counsels (LADCs):** Justice Khanna acknowledged the indispensable contribution of LADCs in representing indigent persons and called for their further institutional expansion and capacity building.
6. **Empowerment and Rebranding of Para Legal Volunteers (PLVs):** PLVs, now known as “Adhikar Mitra”, were recognized as the cornerstone of grassroots legal awareness. Their strategic deployment at Legal Aid Clinics, Police Stations, and public offices was emphasized to enhance accessibility.
7. **Use of Technology and Digital Transformation:** Conferences across states promoted the adoption of digital tools such as the Legal Services Management System and Legal Aid Case Management System for efficiency, transparency, and improved case monitoring. The NALSA Helpline (15100) was also highlighted for wider publicity and citizen access.
8. **Collaboration and Inter-State Coordination:** Regional conferences (e.g., Dalhousie, Himachal Pradesh; Chandigarh; and Maharashtra) fostered collaboration between neighbouring State Legal Services Authorities to share best practices and address common challenges collectively.
9. **Promotion of Alternative Dispute Resolution (ADR) and Mediation:** The Maharashtra Regional Conference underscored the transformative role of mediation under the Mediation Act, 2023, as a means to reduce pendency, promote reconciliation, and ensure faster, amicable resolutions.
10. **Prison Outreach and Rehabilitation:** Visits to prisons in Madurai, Srinagar, and Kakkanad focused on improving legal aid delivery within correctional institutions. The launch of the “PATTAM Project” for Convict Paralegal Volunteers exemplified NALSA’s commitment to prisoner rehabilitation and reintegration.
11. **Community Engagement and Awareness Initiatives:** Justice Khanna’s interactions with villagers, PLVs, Anganwadi workers, and civil society representatives in Kerala, Tamil Nadu, and Ladakh highlighted the importance of localized outreach, public participation, and awareness-building through mobile vans and e-Seva Kendras.
12. **Launch of Innovative Initiatives under NALSA Leadership:** Under Hon’ble Mr. Justice B.R. Gavai’s leadership, several new initiatives were launched, including:
 - Victim Care and Support System – to aid victims of crime in recovery and reintegration.
 - Drug Awareness Campaigns – multilingual public awareness videos on substance abuse.
 - Online Accounts Portal – to promote transparency in fund management.
 - MSLSA Handbook on Mediation and Theme Song – strengthening mediation awareness and outreach.

13. **Commitment to Legal Empowerment and Social Justice:** Every event reaffirmed NALSA's mission to legally empower marginalized communities through effective representation, legal literacy, and awareness—bridging the gap between legal entitlements and beneficiaries.

Statement showing the quantum of funds less than ₹2 crore provided to Legal Services Authorities of States/Union Territories during the F.Y. 2024-25 and the purpose for which they were utilized for the information of the Parliament.

The following Union Territory State Legal Services Authorities getting fund less than ₹2 Crore from all resources including NALSA grants during the F.Y. 2024-25, a statement showing the quantum of funds provided to each of these Union Territory State Legal Services Authorities and purpose for which they were utilized is given below, in terms of Lok Sabha Secretariat's OM No.LAFEAS-CBII067/05/2020-CBII dated 2nd July, 2020:

Financial Year 2024-25

S. No	Name of the Legal Services Authority	Grants received from NALSA (Rs.)	Grants received from all other sources i.e. (UT Government/ UT Administration) (Rs.)	Total Grants Received (Rs.)	Purpose
1	Andaman & Nicobar Islands	36,00,000	26,40,000	62,40,000	Provided free and competent legal services to the weaker sections of the society to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities and organised Lok Adalats to secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity.
2	Dadra & Nagar Haveli	19,00,000	-	19,00,000	
3	Daman & Diu	35,00,000	-	35,00,000	
4	Lakshadweep	32,00,000	-	32,00,000	
5	UT of Puducherry	82,00,000	-	82,00,000	

The following State Legal Services Authorities getting fund less than ₹2 Crore from NALSA during the F.Y. 2024-25, a statement showing the quantum of funds provided to each of these State Legal Services Authorities and purpose for which they were utilized is given below, in terms of Lok Sabha Secretariat's OM No.LAFEAS-CBII067/05/2020-CBII dated 2nd July, 2020:

Financial Year 2024-25

S. No.	Name of SLSA	Fund Provided (Amount in ₹)	Purpose for which fund was utilized
1	Goa	1,90,00,000	Provided free and competent legal services to the weaker sections of the society to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities and organised Lok Adalats to secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity.
2	Sikkim	1,51,00,000	
3	Mediation & Conciliation Project Committee	1,50,00,000	

NATIONAL LOK ADALATS

Lok Adalats are defined under Chapter VI of the Legal Services Authorities Act, 1987. The procedure for the organization and conduct of the Lok Adalats have been mentioned under the NALSA (Lok Adalat) Regulations, 2009. These Lok Adalats are organized to further the objective of 'Speedy and Effective Justice' and for amicable settlement between the parties. In Lok Adalats various cases such as Criminal Compoundable Cases, Revenue Cases, Bank Recovery Cases, Motor Accident Claims, Matrimonial Disputes, Cheque Bounce Cases under the Negotiable Instrument Act, Labour Disputes and other Civil Cases are taken up. The Power of Lok Adalats is to only settle disputes between the parties and not to issue any directions in respect of such disputes.

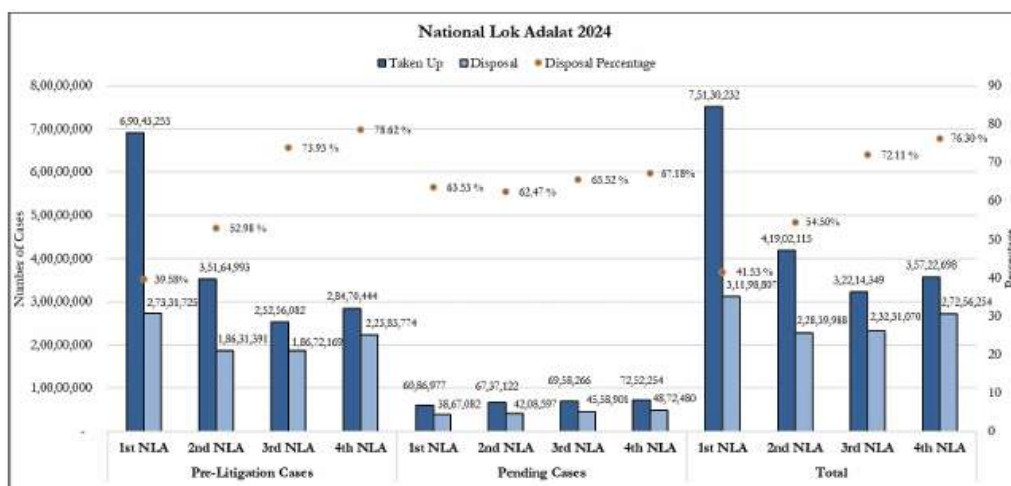


National Lok Adalats take place regularly on a designated day, spanning across the entire nation, from the Supreme Court to the Taluk Levels. These Lok Adalats facilitate the expeditious disposal of a huge volume of cases. Legal Services Institutions, under the aegis of NALSA, organize four National Lok Adalats every year.

NATIONAL LOK ADALATS Resolving Disputes, Restoring Harmony



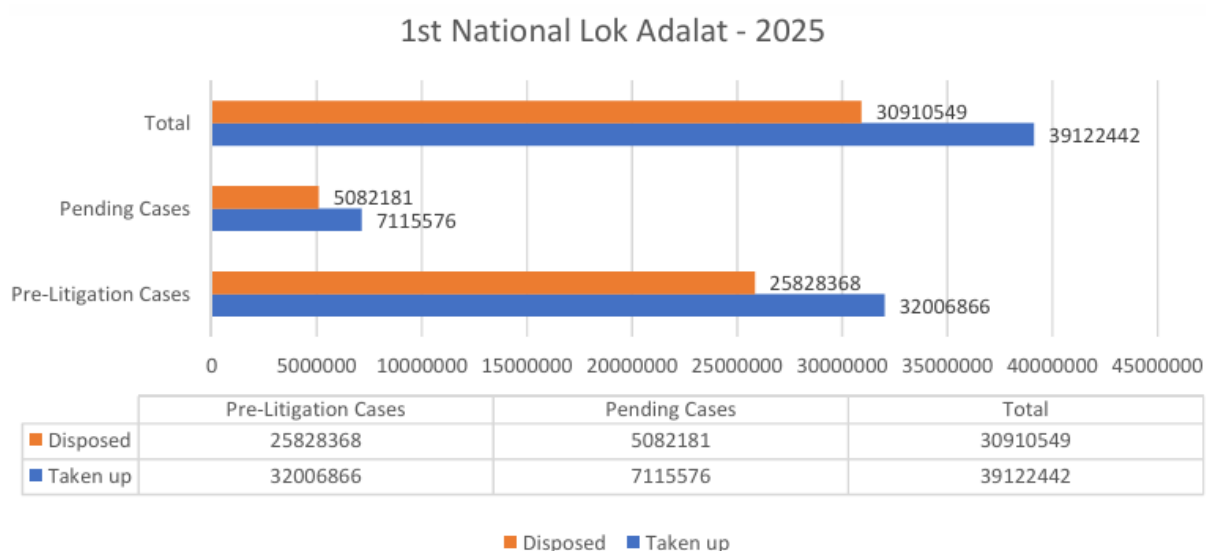
The National Lok Adalats, organized across India, according to the annual calendar of NALSA, have served as a pivotal mechanism in fostering amicable resolutions beyond the conventional judicial framework. They provided litigants a swift, cost-effective means of resolving disputes, while simultaneously alleviating the burgeoning caseload of the formal judicial system by promoting alternative dispute resolution methods. The four National Lok Adalats held in 2024 successfully disposed of over 10.45 crore cases, significantly preventing 8.7 crore new cases from entering the judicial system, while concurrently mitigating 1.75 crore ongoing cases that were straining an already overburdened judiciary. The importance of addressing pre-litigation cases is underscored by data, showing that a greater number of these cases are resolved compared to pending ones.



The disposal rate of cases has consistently increased from the 1st to the 4th National Lok Adalat of 2024, rising from 41.53% in the 1st to 54.50% in the 2nd, to an impressive 72.11% in the 3rd, and 76.30% in the 4th National Lok Adalat. This progressively increasing success of the Lok Adalat system is a testament to the public's unwavering trust in this expeditious and accessible mechanism, reflecting NALSA's steadfast commitment to facilitating amicable resolutions and restoring societal harmony.



Lok Adalats serve as an effective alternative dispute resolution mechanism, facilitating amicable settlements between parties outside the formal court system. The scope of Lok Adalats extends across a wide range of cases, including criminal compoundable offences, traffic challans, revenue matters, bank recovery disputes, motor accident claims, cheque dishonour cases, labour disputes, matrimonial matters (excluding divorce cases), land acquisition cases, consumer disputes, and IPR-related issues. In 2025, four National Lok Adalats are scheduled, with the first being set on March 8, 2025. This 1st National Lok Adalat of 2025 marked a significant milestone in expeditious justice delivery, achieving a high disposal rate of 79.01%. A total of 3.09 crore cases were resolved across 37 States and Union Territories, including 2.58 crore pre-litigation cases and 50.82 lakh pending cases. The settlements, amounting to 18,212.23 crores, provided substantial financial relief to individuals and institutions. Uttar Pradesh recorded the highest number of case disposals, while Jharkhand achieved an exceptional disposal rate of 99.95%. The success of the 1st National Lok Adalat of 2025 reaffirms the effectiveness of alternative dispute resolution in delivering swift and accessible justice.



Key Takeaways

- In 2024, four National Lok Adalats collectively disposed of over 10.45 crore cases, including 8.7 crore pre-litigation matters, easing the burden on courts nationwide.
- The case disposal rate showed steady improvement — from 41.53% in the 1st Lok Adalat to 76.30% in the 4th, indicating rising public confidence in the system.
- The 1st National Lok Adalat of 2025, held on 8th March 2025, achieved a record disposal rate of 79.01%, settling 3.09 crore cases across 37 States and UTs.
- Settlements worth ₹18,212.23 crore were recorded, providing significant financial relief to litigants and institutions.
- Uttar Pradesh reported the highest number of disposals, while Jharkhand achieved an exceptional 99.95% disposal rate.
- The consistent success of Lok Adalats highlights their effectiveness in alternative dispute resolution, promoting speedy, accessible, and amicable justice.

LEGAL AWARENESS & OUTREACH PROGRAMMES

COLLABORATION WITH NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN UNDER THE INITIATIVE : “*VIDHI SE SAMADHAN*”

NALSA, in collaboration with the National Commission for Women (NCW), is conducting Legal Awareness Programmes at the Block level across 11 States—Andhra Pradesh, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Punjab, Tamil Nadu, Tripura, and Uttar Pradesh—under the initiative “Vidhi Se Samadhan”. The programme, covering 1,495 blocks, aims to promote legal literacy among women, with the first phase running until March 2025.

Preparatory activities were undertaken in September 2024 to ensure effective implementation. The camps seek to empower women by providing essential knowledge on their rights, entitlements, and legal remedies under laws such as the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Indian Penal Code, 1860, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, and the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Participants are also informed about the roles of institutions like NALSA, NCW, and Courts, and about government schemes promoting skill development and financial independence for rural women.

Each SLSA identifies 2–3 women per block as local champions, who will advocate for women's rights and raise awareness within their communities. The initiative ultimately aims to create a network of informed women capable of inspiring others, fostering a more just and equitable society.



December 10, 2024: NALSA celebrated Human Rights Day at the Supreme Court of India under the theme “Every Right, Every Life.” To mark the occasion, NALSA launched a Special Campaign for Old and Terminally-ill Prisoners from December 10, 2024, to March 10, 2025. The campaign aims to expedite the release of these prisoners by providing effective legal aid. NALSA also released various awareness materials, including a brochure outlining NALSA’s mission and schemes. Further, two pamphlets were introduced—one highlighting the Toll-Free Helpline Number and another detailing the beneficiaries under the Legal Services Authorities Act, 1987. Additionally, a video was launched to educate suspects and accused persons about their rights at different stages of the legal process. Furthermore, NALSA also released the 2025 schedule for the Under-Trial Review Committee (UTRC).

JAIL VISIT - NAGPUR CENTRAL PRISON



December 1, 2024: Hon'ble Mr. Justice B.R. Gavai, Executive Chairman of NALSA, conducted a visit to Nagpur Central Prison, accompanied by Justices Ravindra V. Ghuge and Nitin W. Sambre. The visit emphasized the role of judicial oversight in addressing prison reforms. His Lordship inspected vocational training programmes, e-prison systems, and medical facilities while personally engaging with inmates, including women and children. His Lordship concluded the visit by issuing several pertinent directives. Certain key directives included proposals for new prison, enhanced video conferencing facilities, better medical support, and increased post-release financial grants for inmates.

STATE OUTREACH VISIT - RAJASTHAN



January 4, 2025: Rajasthan SLSA in Jaipur marked an important occasion with the unveiling of its official logo, the launch of badges for Para-Legal Volunteers (Adhikar Mitrs), and the introduction of "Nyay Ro Sarthi", a periodic newspaper initiative to promote legal awareness. A monthly scholarship scheme for specially-abled children was also initiated, underscoring the commitment to inclusive and accessible justice. The event was graced by Hon'ble Mr. Justice B. R. Gavai, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA; Hon'ble Mr. Justice Sandeep Mehta, Judge, Supreme Court of India along with Hon'ble Chief Justice Manindra

Mohan Shrivastava, Hon'ble Mr. Justice Pankaj Bhandari, and other distinguished Judges of the Rajasthan High Court.

STATE OUTREACH VISIT - UTTAR PRADESH



January 18, 2025: Uttar Pradesh SLSA inaugurated its newly constructed office building in Lucknow in the august presence of Hon'ble Mr. Justice B. R. Gavai, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA; Hon'ble Mr. Justice Vikram Nath, Judge, Supreme Court of India; Hon'ble Mr. Justice Arun Bhansali, Chief Justice of the Allahabad High Court and Patron-in-Chief, UPSLSA; and Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Gupta, Senior Judge, Allahabad High Court and Executive Chairman, UPSLSA. The visit featured a tour of exhibition stalls showcasing products made by jail inmates, the inauguration of a One-Day Sensitization Programme for judicial officers and stakeholders at the Judicial Training and Research Institute, and the launch of a Compendium of Standard Operating Procedures to streamline legal aid services in the state.

LEGAL SERVICES DAY - 2024



November 9, 2024: NALSA celebrated Legal Services Day at the Administrative Buildings Complex, Supreme Court of India. This day commemorates the enactment of the Legal Services Authorities Act, 1987, aimed at providing free and competent legal services to marginalized sections of society. The event was graced by Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna, then Executive Chairman, NALSA and presently Hon'ble the Chief Justice of India; Hon'ble Mr. Justice B.R. Gavai, then Chairman, Supreme Court Legal Services Committee and presently Executive Chairman, NALSA; and Shri Arjun Ram Meghwal, Hon'ble Minister of State for Law and Justice. Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna commended the dedication and commitment of legal aid functionaries, including Panel Lawyers, Legal Aid Defence Counsels (Nyaya Rakshaks), and Para legal Volunteers (Adhikar Mitrs), in ensuring access to justice for marginalized communities. His Lordship elaborated on NALSA's existing legal aid framework, shedding light on its recent initiatives, ongoing projects, and vision for the future, which aims to further streamline and enhance legal aid accessibility across the nation. Hon'ble Mr. Justice B.R. Gavai underscored NALSA's crucial role in upholding and safeguarding citizens' rights, stressing the importance of an uninterrupted and efficient legal aid process. His Lordship emphasized the SCLSC's initiative to increase the number of empanelled lawyers, a step aimed at broadening the outreach and impact of legal services. The event featured the release of a Special Newsletter of NALSA, along with the launch of two key schemes: the NALSA (Child-Friendly Legal Services for Children) Scheme, 2024, and the NALSA (Legal Services to Persons with Mental Illness and Persons with Intellectual Disabilities) Scheme, 2024. Additionally, a Training Module on the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013, was introduced to enhance awareness and ensure compliance with the judgment of the Hon'ble Supreme Court in *Aureliano Fernandes v. State of Goa*, [2023] 7 S.C.R. 772.



MEGA LEGAL SERVICES CAMP - MAHARASHTRA (DHARNI)



February 9, 2025: Marking a major step towards justice, inclusion, and social upliftment, the Mega Legal Services Camp at Zilla Parishad Ground, Dharni, Amravati (Maharashtra), saw participation from over 10,000 individuals and directly benefited 32,520 people. Held under the chairmanship of Hon'ble Mr. Justice B.R. Gavai, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA, the camp featured over 40 government stalls delivering essential services, extended legal aid to marginalized communities, and facilitated the distribution of wheelchairs, cheques, and certificates. Special focus was laid on empowering Adivasi communities through awareness of government schemes.

MEGA LEGAL SERVICES CAMP - MAHARASHTRA (WASHIM)



February 22, 2025: The Mega Legal Services Camp held at Watane Lawns, Washim (Maharashtra), under the chairmanship of Hon'ble Mr. Justice B.R. Gavai, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA, facilitated wide-ranging outreach initiatives. Among the key interventions were the distribution of mobility tricycles under government welfare schemes, provision of onsite legal assistance to marginalized sections, and facilitation of access to various entitlements through 24 government service stalls. A street play based on the POCSO Act was also staged to enhance public legal awareness. The camp reaffirmed NALSA's commitment to promoting inclusive and accessible justice. It witnessed enthusiastic participation from beneficiaries and stakeholders, creating a vibrant platform for legal empowerment. The

multi-sectoral presence of welfare departments ensured that the community received holistic support. Such initiatives are a testament to the collaborative approach adopted to bridge the gap between law and society.

MEGA MEDICAL CAMP - MANIPUR



March 22, 2025: Hon'ble Mr. Justice B.R. Gavai, Executive Chairman, NALSA, visited Manipur along with Hon'ble Mr. Justice Vikram Nath, Judge, Supreme Court of India; Hon'ble Mr. Justice M.M. Sundresh, Judge, Supreme Court of India; Hon'ble Mr. Justice K.V. Vishwanathan, Judge, Supreme Court of India, and Hon'ble Mr. Justice N. Kotiswar Singh, Judge, Supreme Court of India. During the visit, Mega Medical Camps were conducted across 290 relief camps established for Internally Displaced Persons (IDPs). These camps were made possible through the dedicated efforts of over 400 doctors and 800 support staff, who provided essential healthcare services. Four Legal Aid Clinics were launched, sanads were distributed to 41 newly enrolled advocates, and study materials were provided to re-enrolled students. Essential relief items such as mosquito nets, milk powder, diapers, and emergency lamps were distributed in Churachandpur and Bishnupur districts.

MEGA LEGAL AWARENESS PROGRAMME CAMP - ARUNACHAL PRADESH



March 29 & 30, 2025: A Mega Legal Awareness Programme Camp-cum-Sewa Apke Dwar was held in Dirang, Bomdila, and Tawang, Arunachal Pradesh, organized by the Arunachal Pradesh SLSA under the aegis of NALSA, in collaboration with local authorities. The programme was graced by the presence of Hon'ble Mr. Justice B.R. Gavai, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA, and Hon'ble Mr. Justice Ujjal Bhuyan, Judge, Supreme Court

of India. It successfully reached out to tribal communities, who constitute over 68% of the state's population, spreading awareness on key legislations such as the Forest Rights Act, 2006, and NALSA's Tribal Rights Scheme, 2015. The camp facilitated on-the-spot legal aid, grievance redressal, and access to Central and State welfare schemes. As part of their visit, the Hon'ble Justices also visited a jail and a children's home in Tawang, furthering NALSA's commitment to accessible and inclusive justice.

Other Legal Awareness & Outreach Programmes

1. At Community Level: Empowering Communities through Knowledge

- **Arunachal Pradesh (Namsai & Lohit):** One-day Mega Legal Awareness Programme with Justice B.R. Gavai and Justices Vijay Bishnoi & Suman Shyam; aimed at enhancing public legal awareness and access to justice.
- **Majuli, Assam (6th April 2024):** Mega Legal Awareness Programme attended by ~1,000 participants.
- **Andhra Pradesh (5th June 2024):** Special campaign on Solid Waste Management for World Environment Day, led by Chief Justice Dhiraj Singh Thakur.
- **Leh, Ladakh (1st May 2024):** Legal awareness for construction workers on rights, compensation schemes, and safety practices.
- **Jaipur (9th May 2024):** Awareness programme on child sexual abuse at Eklavya Gyanpeeth School, in collaboration with Aasra Foundation.
- **Leh, Ladakh (May 2024):** Legal awareness and pre-institution mediation session for senior citizens and villagers by Justice Tashi Rabstan.



2. At Educational Institutions: Empowering Future Leaders

- **Kargil (25th May 2024):** Legal awareness for school students on human rights.
- **Imphal West (12th April 2024):** Programme on children's rights at Royal Academy of Advance Learning; interactive Q&A.

- **Delhi (3rd May 2024):** “Vidhi Vaarta” Certificate Course for Miranda House students; included visits to courts and mediation centers.
- **North-East Delhi (May 2024):** “School Chalo” Project facilitated admissions for ~110 slum children; culmination at Tis Hazari Courts.
- **Gurugram (22nd April 2024):** World Earth Day awareness and poster competition for school students.
- **Kohima (12th April 2024):** Legal awareness programme on children’s rights for school students.



Vignette from the Legal Awareness Programme in Kargil

3. At Jails: Rekindling Hope behind Bars

- **Delhi (May 2024):** Prisoners’ rehabilitation project; Job Mela for skill-trained inmates.
- **Naini Jail, UP (4th May 2024):** Justice M.K. Gupta visited, inspected prison facilities, and monitored Legal Aid Clinic.
- **Nainital, Uttarakhand (25th May 2024):** Legal & health awareness camp for prisoners; inspection by Principal District Judge.
- **Srinagar Central Jail (18th June 2024):** Justice Sanjiv Khanna visited; emphasized rehabilitation, skill development, and reintegration.



Vignette from the visit of Hon’ble Justice Mr. M.K. Gupta District Judge, Prayagraj to Central Jail.

4. Legal Awareness Programmes (Women & Vulnerable Groups)

- **Vidhi Se Samadhan (Oct–Dec 2024):** 569 block-level legal awareness camps across 11 states for women, focusing on rights and government schemes.
- **Kanpur (30th Nov 2024):** Mega Legal Awareness Camp at CSJM University; 1,587 participants received legal aid and welfare benefits.
- **Delhi IITF (14–27 Nov 2024):** Legal awareness help desk reaching ~9,500 visitors.
- **Upper Siang, Arunachal Pradesh (16th Nov 2024):** Remote village awareness programme covering rights, schemes, and legal aid.
- **Jharkhand (14th Dec 2024):** Inauguration of 1,030 Legal Services Clinics in panchayats for grassroots access.
- **Dehradun, Uttarakhand (5–6 Dec 2024):** Mobile van campaign spreading legal awareness in rural areas.

5. At Colleges & Schools: Empowering Future Leaders

- **Dibrugarh, Assam (21st Oct 2024):** Awareness on Rights of Persons with Disabilities & Child Marriage Act; 70 students participated.
- **Chandigarh (23rd Oct 2024):** Legal awareness session for 100+ students on POCSO, cybercrime, and child protection.
- **Delhi DISHA Initiative (Sept–Oct 2024):** 209 awareness programmes across 46 schools, benefiting ~45,700 students & staff.
- **Bijwasan, Delhi (8th Nov 2024):** Awareness session on waste management, personal safety, and POCSO Act for 100 students.
- **Tamenglong, Manipur (7th Nov 2024):** ‘Child Rights’ programme; 50 students engaged in interactive learning.
- **Kurukshetra, Haryana (26th Nov 2024):** Constitution Day awareness drives & quiz; 8,500 students participated.



6. Continued Community & College Engagement (2025)

- **Law Colleges (3rd Jan 2025):** “Connecting with the Cause” competition to promote NALSA schemes and pro-bono culture.
- **Gujarat (3rd Feb 2025):** Mobile Legal Aid Van for awareness in remote districts.
- **Ambala, Haryana (18th Feb 2025):** Awareness on rights of trafficking and exploitation victims; 300 participants.

- **Ukhrul, Manipur (28th Jan 2025):** Programme on drug abuse and legal remedies; 50 participants.
- **Kra-Daadi, Arunachal Pradesh (20th Feb 2025):** Legal awareness for 48 participants on key welfare schemes & laws.
- **South-East Delhi (5th Mar 2025):** Session on rights of transgender persons and sex workers; 40 participants.
- **MNLU Nagpur & Mumbai, NLU Delhi (2025):** Clinical legal education internships and practical training for law students.
- **Chandel, Manipur (31st Jan 2025):** Painting competition on drug abuse; 100 students.
- **Dehradun, Uttarakhand (30th Jan 2025):** Awareness & cleanliness rally at school; focus on POCSO, cybercrime, drug abuse.
- **Dibang Valley, Arunachal Pradesh (24th Feb 2025):** Free legal awareness camp for students on child protection laws.
- **Andaman & Nicobar (21st Feb 2025):** Legal awareness at VKV Zilla Parishad School; focus on children's rights & hygiene.
- **Jaipur, Rajasthan (11th Mar 2025):** Awareness campaign for marginalized groups on rights and legal protections; 35 students participated.

Key Takeaways

1. Widespread Legal Awareness Initiatives
 - NALSA, in collaboration with SLSAs, NCW, and local authorities, has conducted numerous legal awareness programmes across communities, schools, colleges, and jails in multiple states.
 - Initiatives cover women's rights, child protection, environmental awareness, disability rights, trafficking prevention, and prisoners' welfare.
2. Community Empowerment
 - Programmes such as "Vidhi Se Samadhan" and local awareness camps aim to empower women and vulnerable populations with knowledge about legal rights, welfare schemes, and government entitlements.
 - Local champions and Para-Legal Volunteers (Adhikar Mitrs) are trained to sustain awareness and advocacy at the grassroots level.
3. Focus on Marginalized & Remote Populations
 - Special outreach to tribal areas, slums, border villages, prisoners, sex workers, transgender persons, and Adivasi communities ensures inclusive access to justice.
 - Mobile Legal Aid Vans, mega camps, and jail visits bridge the gap between citizens and legal services.
4. Child & Youth Education
 - Large-scale programmes in schools and colleges cover POCSO, Juvenile Justice, cyber safety, human rights, and child marriage laws.

- Initiatives like DISHA, Vidhi Vaarta, and painting/quiz competitions actively engage students and foster a culture of awareness.
- 5. Rehabilitation & Prisoner Support
 - Prison visits and legal awareness camps aim at rehabilitation, skill development, and reintegration of inmates.
 - Special campaigns for old, terminally-ill, and under-trial prisoners highlight NALSA's commitment to humane justice and expedited legal aid.
- 6. Integration with Welfare Services
 - Mega legal services camps combine legal aid with social welfare delivery, including healthcare, financial support, mobility aids, and skill development.
 - Focused collaboration with government departments ensures holistic community support.
- 7. Promotion of Pro-Bono and Legal Education
 - Competitions, internships, and training programmes for law students encourage pro-bono culture and experiential learning.
 - Initiatives help future legal professionals understand real-world challenges and legal service mechanisms.
- 8. Technology & Media Integration
 - Use of digital media, brochures, helplines, awareness videos, and mobile vans enhances outreach, especially in remote or underserved areas.
- 9. Monitoring, Oversight, and Institutional Strengthening
 - Judicial visits, inspections, and SOP compendiums improve efficiency, transparency, and quality of legal aid services.
 - Expansion of Legal Services Clinics ensures greater accessibility in rural and semi-urban region

UTRC FRAMEWORK AND SCHEDULE FOR QUARTERLY MEETINGS -2024



On 08th April, 2024, Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA, formally released a "Framework and Schedule for Quarterly

Meetings of Under Trial Review Committees” for the year 2024. The virtual launch was attended by the Hon’ble Executive Chairpersons and Ld. Member Secretaries of the various State Legal Services Authorities; Ld. Chairpersons and Secretaries of the DLSAs; and other members of the UTRCs. Hon’ble Mr. Justice Sanjiv Khanna, while highlighting the crucial mandate of UTRCs to prevent long periods of incarceration during pendency of trial, gave a rallying call for further streamlining, strengthening, and reinvigorating functioning of the UTRCs in every district across India.

RELEASE OF THE FRAMEWORK AND SCHEDULE FOR QUARTERLY UTRC MEETINGS- 2024



On 08th April, 2024, Hon’ble Mr. Justice Sanjiv Khanna, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, NALSA, formally released a Framework and Schedule for Quarterly Meetings of Under Trial Review Committees in the year 2024. This initiative was in furtherance of several directives of the Hon’ble Supreme Court of India for conducting periodic review of detention of all prisoners.

The virtual launch was attended by the Hon’ble Executive Chairpersons and Ld. Member Secretaries of the various State Legal Services Authorities; Ld. Chairpersons and Secretaries of the DLSAs and other members of the UTRCs. In 2024, these meetings will be conducted across all districts in India as per the schedule released. Hon’ble Mr. Justice Sanjiv Khanna, while highlighting the crucial mandate of UTRCs to prevent long periods of incarceration during pendency of trial, gave a rallying call for further streamlining, strengthening, and reinvigorating functioning of the UTRCs in every district across India. He emphasized upon the need to increase awareness among lawyers about the fourteen categories of prisoners eligible for review, timely filing of bail applications, recourse to appellate remedy where bail applications are rejected. He further emphasized the need to undertake confidence building steps with prisoners as well as their families, to boost their trust in legal services. He also observed that during the two special campaigns of NALSA in the years 2022 and 2023, around 50,000 prisoners were released from the prisons. He stated that these figures were a testament to the seminal role played by the UTRCs. He, however, sounded a note of caution here and stated that though on the face of it, the numbers of prisoners released were encouraging, an institutional reflection and analysis of the functioning and efficacy of UTRCs done by NALSA, revealed some gaps, which need to be addressed at the earliest to enhance UTRC’s reach and efficacy. He further stated that if the UTRCs are conducted in a uniform and concerted manner across the country, as is being sought to be done by this “Framework and Quarterly Schedule of UTRC Meetings”,

the outcomes are bound to be much better. Pursuant to the Schedule released in April, 2024, the 1st and 2nd Quarterly meetings of the UTRCs were held across all districts in India on 15th April and 15th July, 2024.

The State and District Legal Services Authorities are prioritizing the filing of appropriate applications for all cases recommended and ensuring that releases are made in cases where bail is granted by the Courts. The data received from the SLSAs regarding the functioning of the UTRCs is a positive indication of a strengthened mechanism for periodic review of prisoner's cases. The data for the third Quarterly Meeting of the UTRCs for 2024 held on 16th October 2024 is yet to be received from the States. In the UTRC Quarterly meeting held in April, a total of 24,100 prisoners were identified for review, leading to the recommendation of 15,777 prisoners for release, which resulted in release of 7,421 prisoners. In the UTRC Quarterly meeting held in July 2024, 20,103 prisoners were identified for review, leading to recommendation of 14,048 prisoners for release, which resulted in release of 7,366 prisoners.

Key takeaways:

1. **UTRC Framework Launched:** Standardized schedule in April 2024 to review under-trial prisoners nationwide.
2. **Reducing Pre-Trial Detention:** Focus on timely bail applications, lawyer awareness, and boosting prisoner-family confidence.
3. **Impact:** April – 7,421 released; July – 7,366 released, showing effective prisoner review.
4. **Continuous Improvement Needed:** Gaps remain; uniform implementation and strengthened engagement essential for better outcomes.

CAPACITY BUILDING BY LSI's

LAUNCH OF THE ONLINE MEDIATION TRAINING PORTAL



Vignette from the Inaugural Ceremony of the Online Mediation Training Web Portal at The Judges' Lounge, Supreme Court of India



Vignette from the Inaugural Ceremony of the Online Mediation Training Web Portal at The Judges' Lounge, Supreme Court of India

It is one of the institutional mandates of NALSA to advance the use of alternative dispute resolution mechanisms. In line with this, the Online Mediation Training Web-Portal was officially launched on 18th September, 2024, by Hon'ble Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India & Patron-in-Chief, NALSA along with Hon'ble Justice Sanjiv Khanna, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA at the Supreme Court of India. This significant initiative was developed by NALSA in collaboration with the Mediation and Conciliation Project Committee of Supreme Court of India with a view to promote alternative dispute resolution mechanisms in India. The Online Mediation Training Web Portal combines theoretical knowledge with practical skills, covered by 50+ lectures on 20 topics pertaining to mediation and 10+ hours of online/ interactive practical sessions. The curriculum was developed through extensive consultations with national and international experts in mediation, ensuring a robust knowledge base.

The aim of this Online Mediation Training Programme is to make mediation the first and default mode of dispute resolution, broaden its use as a conflict resolution mechanism, increase the number of trained mediators and open avenues for community mediation. Anyone who enrolls for this online course will be equipped to turn disputes into deals and new opportunities.

15-HOURS ADVANCED COMMERCIAL MEDIATION TRAINING PROGRAM



Vignette from the Inaugural Day of the 15-Hours Advanced Commercial Mediation Training Program on 14th October, 2024 at the Administrative Buildings Complex, Supreme Court of India

NALSA in collaboration with the International Academy of Mediators, successfully conducted a 15-hours Advanced Commercial Mediation Training Program from 14th to 16th October, 2024, at the Supreme Court of India. This three-day event brought together esteemed legal professionals, mediators, and judges to enhance their mediation skills, particularly in managing complex commercial disputes. The program was inaugurated by Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA in the august presence of Hon'ble Mr. Justice M.M. Sundresh, various members of the Supreme Court Mediation and Conciliation Project Committee, along with representatives from the National Legal Services Authority and the Supreme Court Legal Services Committee. The training program featured leading global experts in mediation, including Mr. Jonathan Lloyd-Jones, Mr. Claude Amar, Mr. Tat Lim, Ms. Prachi Mehta, and Ms. Anveeksha T. Jain, who covered essential topics such as the unique aspects of commercial mediation and techniques for managing complex disputes. The sessions included interactive elements, case studies, and practical simulations to enhance participants' learning experiences. The training concluded with a Valedictory Session on October 16th, during which participants received certificates of completion of training. This initiative represents a significant advancement in promoting commercial mediation as a preferred dispute resolution method in India, furthering NALSA's commitment to integrating alternative dispute resolution mechanisms into the Indian judicial system.



NALSA signed a Memorandum of Understanding with the Department of Social Justice and Empowerment (DoSJE), Government of India, on 30th September 2024 at Dr. Ambedkar International Centre, Janpath, New Delhi. The MoU was signed in the august presence of Shri Virendra Kumar, Union Minister for Social Justice & Empowerment; Hon'ble Shri Justice Sanjiv Khanna, Judge, Supreme Court of India & Executive Chairman, NALSA and Shri B.L. Verma, Hon'ble Minister of State for Social Justice and Empowerment. Mr. Bharat Parashar, Member Secretary, NALSA and Shri Amit Yadav, Secretary, DoSJE also graced the occasion. The event also witnessed the official launch of the SARTHIE 1.0 initiative, a joint effort intended

to empower disadvantaged communities, including Scheduled Castes (SCs), Other Backward Classes (OBCs), Senior Citizens, Transgender Persons, Victims of Alcoholism and Substance Abuse, persons engaged in the act of Begging, De-notified and Nomadic Tribes, and more. Under this partnership, State Legal Services Authorities (SLSAs) and District Legal Services Authorities (DLSAs), will organize awareness camps across the country. The services of Paralegal Volunteers and Panel Lawyers shall be taken for these camps. The camps will also focus on spreading awareness about provisions of legislations such as the Protection of Civil Rights Act, 1955; Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989; The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007; The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019; and Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 etc.

Capacity Building and Legal Empowerment Initiatives

Orientation & Capacity Building Programmes

From May 2024 to March 2025, various SLSAs organized training and capacity-building programmes for Judicial Officers, Panel Lawyers, and Para-Legal Volunteers. Andhra Pradesh SLSA conducted 40-hour mediation training sessions to enhance dispute resolution skills, while Delhi and Jharkhand organized programmes to orient lawyers on new laws, professional ethics, courtroom skills, and storytelling techniques. PLVs in Arunachal Pradesh, Sirsa, and Ajmer received training on NALSA schemes, child protection laws, and community outreach. Advocates working with Child Welfare Committees and Juvenile Justice Boards were trained in child psychology, age determination, and best interest principles, equipping them to represent children more effectively.



Legal Awareness at Jails

DLSAs across the country conducted extensive legal awareness initiatives in prisons, focusing on undertrial prisoners, women inmates, and vulnerable groups. These programmes educated inmates on their legal rights, bail, parole, premature release, and available NALSA schemes, while also facilitating applications and legal consultations. Special campaigns targeted old, terminally

ill, and unrepresented prisoners, ensuring timely interventions. Mental health awareness sessions were conducted to address emotional well-being and resilience, and emphasis was placed on skill development, vocational training, and rehabilitation to promote post-release reintegration.



DLSA Nainital (Uttarakhand) at District Jail Nainital and Sub Jail Haldwani



DLSA, New Delhi at Tihar Jail

Key Highlights & Outcomes

These initiatives collectively strengthened the capacity of judicial officers, lawyers, and PLVs, improved access to legal aid for prisoners and marginalized communities, and promoted mediation, alternative dispute resolution, and mental health awareness. The programmes reinforced holistic approaches combining legal literacy, rehabilitation, and empowerment, ensuring that beneficiaries are equipped to navigate the justice system effectively while fostering a more inclusive and accessible legal framework.

NALSA SCHEMES, SOPs & GUIDELINES

REVISION OF NALSA SCHEMES FOR CHILDREN AND PERSONS WITH MENTAL ILLNESS OR INTELLECTUAL DISABILITIES

NALSA, with the approval of Hon'ble Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Patron-in-Chief, NALSA; Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna, Executive Chairman, NALSA, and the learned members of its Central Authority, released two new schemes viz. NALSA (Child-Friendly Legal Services for Children) Scheme, 2024 and NALSA (Legal Services to Persons with Mental Illness and Persons with Intellectual Disabilities) Scheme, 2024.

The former Scheme consolidates and revises previous two schemes on children and focuses on the provision of free legal services to children, including children with disabilities. It envisions implementation of a preventive, strategic, need-based and responsive legal services programme for vulnerable children. The latter Scheme updates and revises NALSA's previous scheme and seeks to align the mandate of the Legal Services Institutions with the legislative provisions

under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the Mental Healthcare Act, 2017, with the aim to ensure access to free legal services for persons with mental illness and persons with intellectual disabilities. The Scheme seeks to ensure that legal services are responsive to the specific legal and social needs of such persons. Both the Schemes were finalized after an extensive public consultation process wherein comments were invited from the stakeholders. The Scheme for Children has been drafted in collaboration with UNICEF India and the Scheme for Persons with Mental Illness and Persons with Intellectual Disabilities has been drafted in consultation with NIMHANS, Bengaluru.

SUCCESS STORIES

STORIES OF IMPACT

Success Story 1: Empowering Justice, Enriching Hapless Lives

A disconsolate widow, Smt. Bheemvarapu Manga, approached DLSA Rajamahendravaram, Andhra Pradesh, after her late husband's employer withheld his dues. Following the prompt intervention of the Ld. Secretary, DLSA, the Rajamahendravaram Municipal Corporation released ₹28,93,071, ensuring financial relief to the bereaved family.

Success Story 2: Bringing Joyous Tears of Reunion

A child from Bangladesh who had strayed into Assam in 2021 was repatriated after coordinated efforts by DLSA South Salmara-Mankachar. On 26th April 2024, the boy was handed over to the Border Guard Police of Bangladesh and reunited with his family.

Success Story 3: Empowering Young Girls by Securing Bodily Autonomy

A PLV in Chhattisgarh discovered a 12-year-old sexual abuse victim who was pregnant. With DLSA Rajnandgaon's assistance, legal permission for medical termination was obtained from the Hon'ble High Court, safeguarding the girl's health and rights.

Success Story 4: Empowering Lives – Timely Legal Aid Brings Hope

A PLV in Dhanbad, Jharkhand, helped a widowed mother access benefits under the Sponsorship and Widow Pension Schemes. Guided by the DLSA, she and her children received timely financial assistance, restoring dignity and stability.

Success Story 5: Empowering Elders, Ensuring Dignity

An elderly woman estranged from her family was reunited with her son and daughter-in-law through pre-institution mediation facilitated by DLSA Sri Muktsar Sahib, Punjab, restoring peace and familial harmony.

Success Story 6: Securing Justice for the Injured through Timely Intervention

A labourer electrocuted at a construction site in Shillong received ₹62,000 in compensation after Meghalaya SLSA's persistent follow-up with the employer.

Success Story 7: Rays of Hope in Turbulent Waters – DLSA's Flood Relief Efforts

After devastating floods in Sikkim, DLSA Mangan provided counselling, relief supplies, and legal aid to affected families, helping them access compensation and rebuild their lives.

Success Story 8: Building a Brighter Future for the Nation's Future

During an inspection in Phulbani, Odisha, DLSA officials ensured that unattended children of construction workers were enrolled in Anganwadi Centres under ICDS, improving their health and education prospects.

Success Story 9: Reclaiming Innocence – DLSA’s Noble Quest

DLSA Kandhamal, Odisha, identified and rehabilitated children of prisoners by enrolling them in welfare schemes and residential schools, ensuring protection from stigma and neglect.

Success Story 10: Rekindling Love – DLSA’s Mediation Miracle

DLSA Khurda, Odisha, successfully mediated a marital dispute, leading to reconciliation between the estranged couple and restoring family harmony.

Success Story 11: From Shadows to Sunshine – DLSA’s Compassionate Care

A 21-year-old survivor of sexual abuse received counselling and legal aid from DLSA, Delhi. With continued support, she rebuilt her confidence and is now pursuing a Master’s in Journalism.

Success Story 12: Justice Amid Tragedy – DLSA Rewari’s Swift Response

After an industrial accident in Rewari, Haryana, claimed 16 lives, DLSA assisted victims and dependents in securing compensation ranging from ₹1.5 to ₹24.5 lakh and ensured medical aid for the injured.

Success Story 13: Mebo Police (Arunachal Pradesh) Reunite Missing Boy with Family in 30 Minutes.

On 3rd October 2024, Mebo Police, with a PLV’s help, used social media to trace a missing boy’s family within 30 minutes, ensuring his safe reunion.

Success Story 14: DLSA Hajipur (U.P.) Resolves Matrimonial Dispute and Secures Employment for Victim

Through effective counseling and mediation, DLSA Hajipur helped a widow settle property disputes and obtain a job in place of her deceased husband.

Success Story 15: PLV Stops Three Child Marriages in Dibrugarh (Assam)

In November 2024, PLV Rofiquel Islam Khandakar prevented three child marriages with the support of village authorities and local police, safeguarding children’s rights.

Success Story 16: PLV Ensures Social Security and Legal Rights in Champawat (Uttarakhand)

PLV Deepa Devi helped a widow secure a pension and enroll her children under Vatsalya Yojana. She also assisted villagers in marriage registration and document correction, ensuring access to welfare benefits.

Success Story 17: PLV Assists Woman in Securing Legal Aid & Maintenance in Sonipat (Haryana).

A PLV and panel lawyer helped Smt. ABC file cases for maintenance and harassment. She now receives ₹10,000 monthly, regaining independence and security.

Success Story 18: Restoring Dignity – Pension Reinstated After 8 Years for Paralyzed Villager (Uttarakhand).

Following DLSA Almora's intervention during a legal awareness camp, the old-age pension of a paralyzed villager was reinstated after eight years.

Success Story 19: Financial Aid for Cancer Patient Through PLV Intervention (Jharkhand)

PLV Dipenty Kumari Gupta secured ₹5 lakh under Mukhya Mantri Asadhya Rog Yojana for a cancer patient and facilitated her ration card and Ayushman Bharat enrolment.

Success Story 20: Welfare Support for Vulnerable Children in Dhanbad (Jharkhand)

PLV Hemraj Chouhan identified four orphaned children and coordinated with authorities to provide ration, health coverage, and sponsorship benefits.

Success Story 21: DLSA Purba Bardhaman (West Bengal) Assists Senior Citizen in Securing Guardianship and Compensation.

DLSA helped an elderly man obtain guardianship of his grandchildren and secure victim compensation under the West Bengal Victim Compensation Scheme, 2017.

STATISTICAL HIGHLIGHTS

NALSA's Impact: A Statistical Overview

NALSA'S IMPACT - A STATISTICAL OVERVIEW OF 2024

A. LEGAL SERVICES AUTHORITIES IN INDIA : NATIONWIDE PRESENCE

At High Court Level	At District Level	At Taluka Level
38	708	2,439

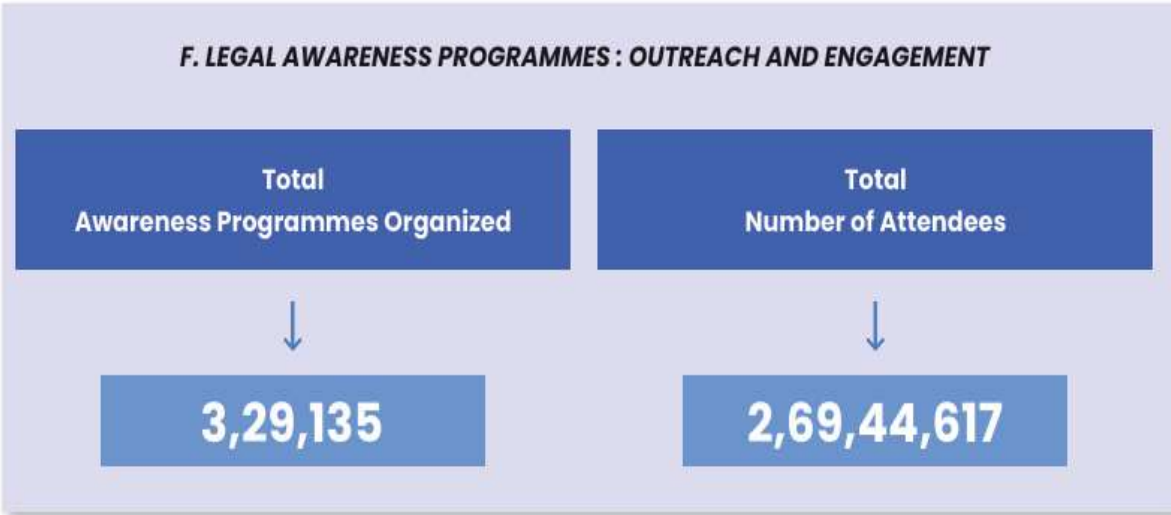
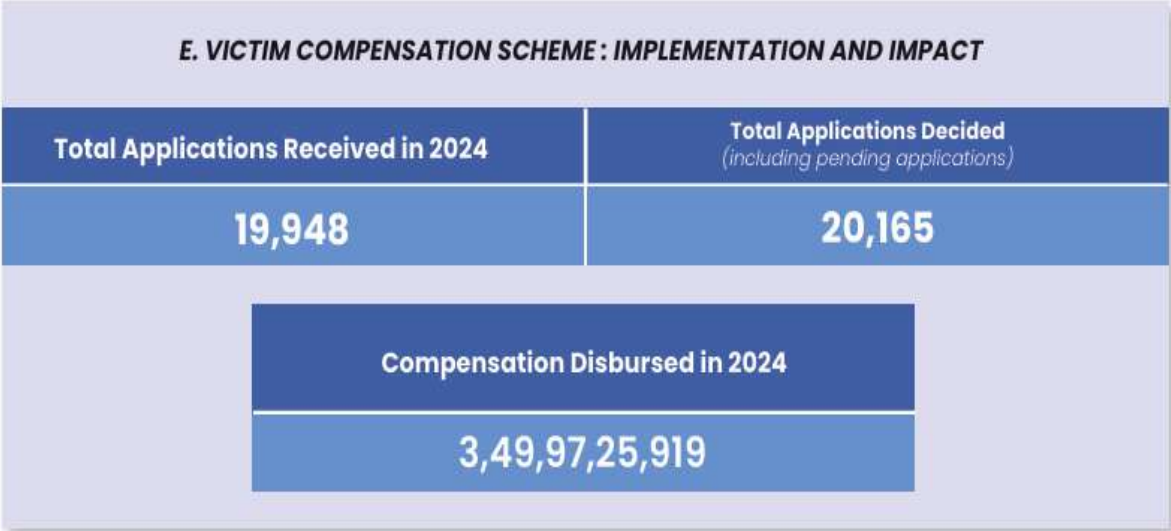
B. LEGAL AID WORKFORCE ACROSS INDIA

Panel Lawyers (including at SCLSC & HCLSC)	Legal Aid Defense Counsel (Chief, Deputy and Assistant)	Para Legal Volunteers (Adhikar Mitrs)	Pro-Bono Lawyers (including at HCLSC)
44,908	3,461	47,614	7,947

C. LOK ADALATS 2024: CASE DISPOSAL STATISTICS

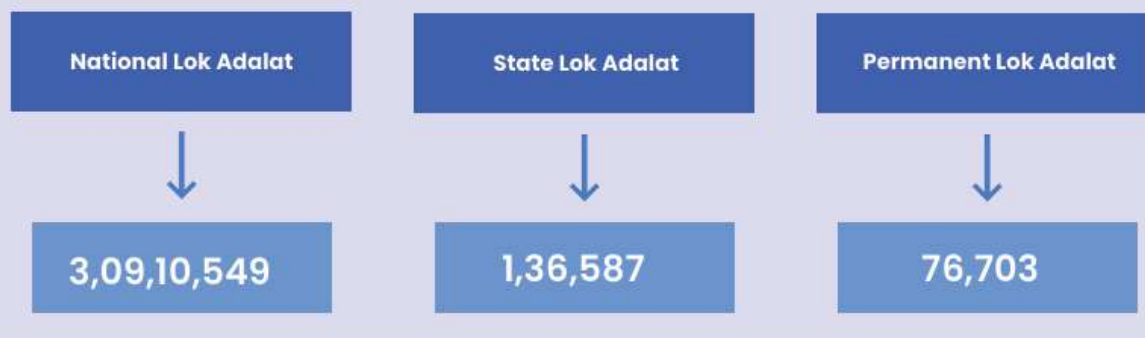
National Lok Adalat	State Lok Adalat	Permanent Lok Adalat
↓	↓	↓
10,45,26,119	12,08,227	1,61,277

NALSA'S IMPACT - A STATISTICAL OVERVIEW OF 2024



NALSA'S IMPACT - A STATISTICAL OVERVIEW (JANUARY-MARCH)

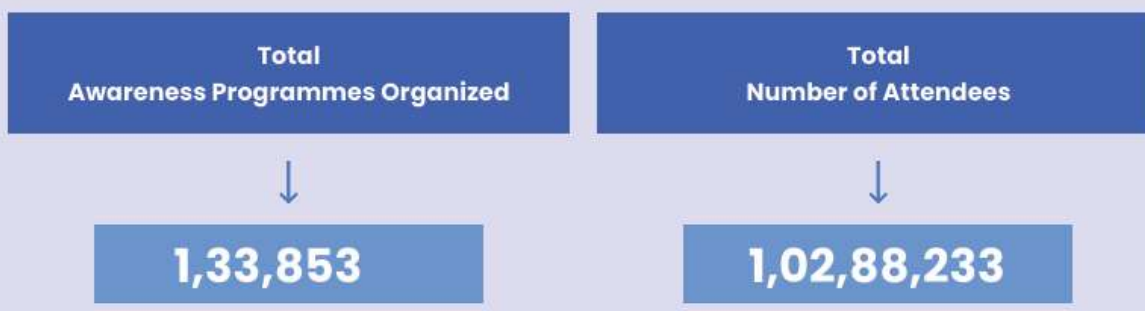
A. LOK ADALAT : CASE DISPOSAL STATISTICS



B. VICTIM COMPENSATION SCHEME : IMPLEMENTATION AND IMPACT



C. LEGAL AWARENESS PROGRAMMES : OUTREACH AND ENGAGEMENT



ADR AND MEDIATION STATISTICAL INFORMATION											
During the period from April, 2024 to March, 2025											
S. No	SLSA	ADR Centres	ADR Centre functional	Existing Mediation Centres other than ADR Centres	Judicial Officers Mediators	Lawyers Mediators	Any other Mediators	Judicial Officers Mediators Deployed	Lawyers Mediators Deployed	Any other Mediators Deployed	Cases settled through mediation
1	Andaman & Nicobar Islands	1	1	1	0	14	0	0	14	0	35
2	Andhra Pradesh	0	0	13	594	825	26	5	116	0	715
3	Arunachal Pradesh	21	1	2	0	0	0	0	0	0	0
4	Assam	13	5	25	10	289	0	0	48	0	340
5	Bihar	37	37	1	245	355	0	245	355	0	1675
6	Chhattisgarh	6	6	33	83	156	0	21	54	0	500
7	Dadra & Nagar Haveli	1	1	0	3	1	0	3	1	0	3
8	Daman & Diu	1	1	1	4	2	0	4	2	0	29
9	Delhi	0	0	6	0	38	0	0	33	0	680
10	Goa	2	2	13	49	93	7	0	0	0	150
11	Gujarat	12	12	25	32	796	2	32	796	2	1957
12	Haryana	19	19	3	218	391	0	3	239	0	2500
13	Himachal Pradesh	11	7	5	0	327	0	0	135	0	585
14	Jammu & Kashmir	16	14	68	9	158	0	9	158	0	64
15	Jharkhand	24	24	0	167	444	161	0	205	101	8441
16	Karnataka	19	19	29	370	1717	0	0	829	0	8974
17	Kerala	7	7	71	19	696	0	19	696	0	18858
18	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Madhya Pradesh	45	45	141	1432	862	108	940	644	22	16088
20	Maharashtra	37	37	448	2115	934	1913	1503	265	445	20765
21	Manipur	6	6	2	59	82	0	0	0	0	230
22	Meghalaya	0	1	1	12	6	9	1	1	0	8
23	Mizoram	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0

ADR AND MEDIATION STATISTICAL INFORMATION											
During the period from April, 2024 to March, 2025											
S. No	SLSA	ADR Centres	ADR Centre functional	Existing Mediation Centres other than ADR Centres	Judicial Officers Mediators	Lawyers Mediators	Any other Mediators	Judicial Officers Mediators Deployed	Lawyers Mediators Deployed	Any other Mediators Deployed	Cases settled through mediation
24	Nagaland	1	0	11	0	0	0	0	0	0	1
25	Odisha	16	16	15	56	573	0	0	90	0	201
26	Puducherry	2	2	2	3	44	0	0	24	0	6
27	Punjab	17	17	5	210	152	12	210	152	12	2809
28	Rajasthan	31	31	144	102	257	1	102	257	1	564
29	Sikkim	4	4	4	7	55	6	0	29	0	80
30	Tamil Nadu	33	32	157	376	1574	9	11	1278	6	3300
31	Telangana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722
32	Tripura	2	2	7	80	64	0	0	18	0	31
33	U. T. Chandigarh	1	1	0	2	43	0	0	37	0	467
34	Uttar Pradesh	71	46	0	297	539	0	297	539	0	6756
35	Uttarakhand	5	5	17	167	127	0	0	0	0	174
36	West Bengal	19	19	1	70	236	10	5	75	0	687
37	Ladakh	1	1	0	1	11	0	1	11	0	11
	Grand Total	481	423	1252	6792	11861	2264	3411	7101	589	98406

STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF PERSONS BENEFITED THROUGH LEGAL SERVICES PROVIDED UNDER LEGAL SERVICES AUTHORITIES ACT, 1987 DURING THE PERIOD FROM APRIL, 2024 TO MARCH, 2025														
S. No	SLSAs	SC	ST	Women	Children	In custody	Persons with Disability	Industrial Workmen	Transgender	Victim of Trafficking in Human beings or Begar	Victims of Mass Disaster, Violence, Flood, Draught, Earthquake and Industrial Disaster	General (whose annual income does not exceed the prescribed limit)	Others	Total
1	Andaman & Nicobar Islands	0	0	120	20	3	1	42	0	0	0	28	127	341
2	Andhra Pradesh	234	47	1162	107	3289	8	1	3	0	0	1437	4978	11266
3	Arunachal Pradesh	1658	3946	1979	237	1330	8	30	2	1	0	33	12	9236
4	Assam	1536	6183	9000	3130	25489	276	1464	122	2	8	12126	23358	82694
5	Bihar	4673	1399	10374	6550	31677	162	585	48	0	618	2647	25772	84505
6	Chhattisgarh	10815	14336	12068	607	21610	109	0	6	0	4	11868	9451	80874
7	Dadra & Nagar Haveli	1	4	28	0	7	0	5	0	0	0	0	0	45
8	Daman & Diu	10	10	39	4	24	3	12	1	1	1	14	0	119
9	Delhi	1652	163	19060	2942	18630	336	955	7	510	0	10869	21402	76526
10	Goa	17	20	892	14	314	15	0	0	0	0	569	48	1889
11	Gujarat	3882	8271	12828	1404	10862	173	83	0	0	8	7999	4957	50467
12	Haryana	1689	0	7766	572	66229	65	7	2	0	0	3936	1928	82194
13	Himachal Pradesh	545	88	3159	112	703	86	8	1	0	3	835	682	6222
14	Jammu & Kashmir	1269	573	5592	1730	1299	705	1	5	1	40	6159	1228	18602
15	Jharkhand	41537	42987	72003	30572	33281	3560	3703	194	78	173	5741	94536	328365
16	Karnataka	6051	3329	12167	790	8972	254	191	32	9	9	7659	11782	51245
17	Kerala	1362	724	12741	2330	3473	176	85	31	73	37	3794	1745	26571
18	Lakshadweep	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	Madhya Pradesh	22764	23211	35058	18240	93264	669	2908	0	0	241	15748	20906	233009

STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF PERSONS BENEFITED THROUGH LEGAL SERVICES PROVIDED UNDER LEGAL SERVICES AUTHORITIES ACT, 1987 DURING THE PERIOD FROM APRIL, 2024 TO MARCH, 2025														
S. No	SLSAs	SC	ST	Women	Children	In custody	Persons with Disability	Industrial Workmen	Transgender	Victim of Trafficking in Human beings or Begar	Victims of Mass Disaster Violence, Flood, Draught, Earthquake and Industrial Disaster	General (whose annual income does not exceed the prescribed limit)	Others	Total
20	Maharashtra	3351	1620	20167	1230	20535	374	240	21	2	36	6248	5630	59454
21	Manipur	346	6989	7697	1504	498	159	48	19	0	78868	2433	501	99062
22	Meghalaya	20	710	544	86	877	1	0	11	6	0	233	266	2754
23	Mizoram	26	2145	696	20	676	0	0	0	0	0	0	150	3713
24	Nagaland	608	2365	604	432	499	52	0	0	0	0	452	0	5012
25	Odisha	1609	1111	3957	221	11536	179	5	40	7	468	2027	974	22134
26	Puducherry	31	0	155	240	100	0	0	0	0	0	53	37	616
27	Punjab	5516	2	14762	526	33615	86	38	0	0	0	9879	1089	65513
28	Rajasthan	333	103	1812	5755	13064	27	2	1	0	0	1109	10	22216
29	Sikkim	18	118	464	25	167	1	0	0	0	0	103	5	901
30	Tamil Nadu	2214	357	12479	323	12088	201	197	15	0	59	11110	13485	52528
31	Telangana	323	189	2586	158	5635	31	0	0	0	0	3053	4046	16021
32	Tripura	829	621	3348	192	1588	61	36	115	0	1460	1244	809	10303
33	U.T. Chandigarh	30	0	1330	106	780	7	0	0	0	0	667	31	2951
34	Uttar Pradesh	1799	5	2091	616	6979	176	32	107	0	0	5315	5612	22732
35	Uttarakhand	1974	704	4174	2332	19420	204	378	8	47	8	2922	2037	34208
36	West Bengal	10680	6029	23057	4394	24398	148	1722	53	56	124	19523	2730	92914
37	Ladakh	0	80	192	9	43	0	0	0	0	0	0	0	324
	Total	129402	128440	316151	87530	472954	8313	12778	844	793	82165	157833	260324	1657527

Statistical Information in respect of Legal Literacy/Legal Awareness Camps/Programme organized during the period from April, 2024 to March,2025			
S. No.	SLSAs	Programmes Held	Persons Attended
1	Andaman & Nicobar Islands	43	4195
2	Andhra Pradesh	10608	873734
3	Arunachal Pradesh	303	25017
4	Assam	5241	531210
5	Bihar	4621	412256
6	Chhattisgarh	102236	3952175
7	Dadra & Nagar Haveli	15	755
8	Daman & Diu	66	9511
9	Delhi	3710	318249
10	Goa	344	29930
11	Gujarat	14921	2463843
12	Haryana	29626	2922868
13	Himachal Pradesh	2565	127654
14	Jammu & Kashmir	4806	294079
15	Jharkhand	42235	2131203
16	Karnataka	27144	3463128
17	Kerala	5416	390462
18	Lakshadweep	1	60
19	Madhya Pradesh	15491	3274226
20	Maharashtra	14916	2273290
21	Manipur	417	2487489
22	Meghalaya	1030	76712
23	Mizoram	258	35249
24	Nagaland	381	45106
25	Odisha	2887	253857
26	Puducherry	288	7525
27	Punjab	34228	2248081
28	Rajasthan	62011	3362084
29	Sikkim	453	15587
30	Tamil Nadu	6284	1010195
31	Telangana	4770	745386
32	Tripura	2009	232033
33	U. T. Chandigarh	1535	68995
34	Uttar Pradesh	9837	820020
35	Uttarakhand	35865	1516076
36	West Bengal	16330	801924
37	Ladakh	97	8686
	Grand Total	462988	37232850

STATISTICAL INFORMATION OF PARA-LEGAL VOLUNTEERS								
S. No.	SLSA	PLVs Trained	No. of PLVs deployed (up to March,2025)					Total
			Police Station	Front Offices	Jails/ Observations Homes	JJBs/Child Welfare Centres (CWCs)	Other Legal Services	
1	Andaman & Nicobar Islands	18	9	4	0	5	0	18
2	Andhra Pradesh	2104	22	4	42	23	178	269
3	Arunachal Pradesh	2357	20	36	0	1	5	62
4	Assam	837	147	30	78	27	269	551
5	Bihar	1870	588	98	82	89	677	1534
6	Chhattisgarh	1674	433	60	26	13	65	597
7	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0	0
8	Daman & Diu	21	5	0	1	0	15	21
9	Delhi	0	158	20	250	0	97	525
10	Goa	20	8	7	1	0	7	23
11	Gujarat	3219	274	126	111	76	586	1173
12	Haryana	1347	17	21	67	7	255	367
13	Himachal Pradesh	5786	41	46	27	0	112	226
14	Jammu & Kashmir	555	69	89	25	10	362	555
15	Jharkhand	4512	564	65	68	67	1444	2208
16	Karnataka	805	0	1	13	0	16	30
17	Kerala	1224	45	48	119	35	418	665
18	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0
19	Madhya Pradesh	2738	473	99	177	62	703	1514
20	Maharashtra	6184	138	124	93	38	519	912
21	Manipur	351	2	8	8	0	241	259
22	Meghalaya	364	57	21	13	13	54	158
23	Mizoram	32	1	24	2	0	5	32
24	Nagaland	1348	0	11	11	0	166	188
25	Odisha	2328	42	4	198	25	1345	1614
26	Puducherry	406	13	5	8	4	39	69
27	Punjab	0	897	90	44	63	12	1106
28	Rajasthan	1376	118	1	135	1	351	606
29	Sikkim	169	35	5	1	0	16	57
30	Tamil Nadu	1246	4	203	89	8	117	421
31	Telangana	1317	83	22	14	4	224	347
32	Tripura	246	51	42	16	11	126	246
33	U. T. Chandigarh	695	0	30	1	7	0	38
34	Uttar Pradesh	2795	89	40	19	8	93	249
35	Uttarakhand	1123	158	20	34	15	896	1123
36	West Bengal	1365	231	95	74	30	394	824
37	Ladakh	46	0	4	1	0	41	46
	Total	50478	4792	1503	1848	642	9848	18633

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF PERMANENT LOK ADALATS (Established u/s 22-B of LSA Act)							
	During the period from April, 2024 to March, 2025						
S. No.	SLSA	PLAs Functioning	Sitting During the year	Cases pending as on the beginning of the year	Cases received during the year	Cases settled during the year	Total Value Settlement Rs.
1	Andaman & Nicobar Islands	0	0	0	0	0	0
2	Andhra Pradesh	13	1333	1687	1311	1413	75000778
3	Arunachal Pradesh	0	0	0	5	2	0
4	Assam	13	146	103	53	28	20000
5	Bihar	0	0	0	0	0	0
6	Chhattisgarh	5	1158	677	25971	25546	4076989
7	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0
8	Daman & Diu	1	0	0	0	0	0
9	Delhi	3	773	921	24973	24363	925154079
10	Goa	2	5	0	814	113	2107404
11	Gujarat	0	0	0	0	0	0
12	Haryana	21	3602	19568	82711	82977	519456968
13	Himachal Pradesh	0	0	0	0	0	0
14	Jammu & Kashmir	0	0	0	0	0	0
15	Jharkhand	24	5313	21942	42007	41638	1108062489
16	Karnataka	6	1411	11369	6096	7786	1038929150
17	Kerala	3	346	22155	397	486	53838718
18	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0
19	Madhya Pradesh	50	864	130	188	275	7507100
20	Maharashtra	4	985	1782	952	1375	465553238
21	Manipur	0	0	0	0	0	0
22	Meghalaya	0	0	0	0	0	0
23	Mizoram	0	0	0	0	0	0
24	Nagaland	0	0	0	0	0	0
25	Odisha	22	1153	2422	2188	1894	305478269
26	Puducherry	0	0	0	0	0	0
27	Punjab	22	5026	10482	24044	23300	884431635
28	Rajasthan	36	5071	9760	5481	4585	659201747.5
29	Sikkim	0	0	0	0	0	0
30	Tamil Nadu	32	1067	308	488	409	12394627
31	Telangana	6	78	12920	10066	10454	140981801
32	Tripura	8	118	20	305	272	2688977
33	U. T. Chandigarh	1	239	637	19283	8511	32179154
34	Uttar Pradesh	71	3574	15859	1926	1930	148591119
35	Uttarakhand	4	717	582	849	623	220955739
36	West Bengal	0	0	0	0	0	0
37	Ladakh	0	0	0	0	0	0
	Grand Total	347	32979	133324	250108	237980	6606609982

STATISTICAL INFORMATION IN RESPECT OF TRAINING PROGRAMMES CONDUCTED BY SLSAs/DLSAs etc.							
DURING THE PERIOD FROM APRIL, 2024 TO MARCH, 2025							
S.No.	Name of the SLSAs	Panel Lawyers		PLVs		Others (pl. specify)	
		No of Training Programme conducted	No of Participants	No of Training Programme conducted	No of Participants	No of Training Programme conducted	No of Participants
1	Andaman & Nicobar Islands	0	0	10	18	0	0
2	Andhra Pradesh	102	529	12	1068	53	1821
3	Arunachal Pradesh	1	1	2	183	8	190
4	Assam	86	1000	74	1246	189	5959
5	Bihar	108	1054	129	2280	23	333
6	Chhattisgarh	115	2754	237	5755	8	77
7	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0
8	Daman & Diu	1	18	1	17	0	0
9	Delhi	84	3877	54	2336	125	2613
10	Goa	3	28	5	108	3	47
11	Gujarat	67	893	103	1986	28	310
12	Haryana	303	4527	306	3054	392	6357
13	Himachal Pradesh	74	992	76	727	40	1045
14	Jammu & Kashmir	1	30	2	30	3	3
15	Jharkhand	124	1957	209	9592	71	1814
16	Karnataka	62	1683	49	2992	61	4019
17	Kerala	21	772	37	2090	38	2773
18	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0
19	Madhya Pradesh	158	2336	163	3693	108	4043
20	Maharashtra	317	7944	188	4599	177	8158
21	Manipur	7	169	7	245	8	1078
22	Meghalaya	18	291	25	460	17	293
23	Mizoram	1	85	0	0	1	55
24	Nagaland	2	80	1	28	0	0
25	Odisha	33	879	51	1509	7	110
26	Puducherry	6	165	5	166	2	20
27	Punjab	400	5028	245	2986	572	6082
28	Rajasthan	37	385	73	1281	61	1841
29	Sikkim	15	505	21	101	4	36
30	Tamil Nadu	82	2127	98	1875	106	2611
31	Telangana	47	641	53	1206	18	639
32	Tripura	7	122	16	265	15	444
33	U. T. Chandigarh	8	103	8	107	0	0
34	Uttar Pradesh	5	34	17	141	0	0
35	Uttarakhand	29	471	75	2813	62	1834
36	West Bengal	57	747	138	3077	35	641
37	Ladakh	1	4	2	97	1	11
	Total	2382	42231	2492	58131	2236	55257

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY							
STATISTICAL INFORMATION IN R/O VICTIM COMPENSATION SCHEME U/S 357-A CR.PC							
DURING THE PERIOD FROM APRIL, 2024 TO MARCH, 2025							
S. No.	SLSA	Applications received directly by Legal Service Institutions (A)	Applications / orders marked / directed by any Court (B)	Applications received including Court Orders (A+B)	Applications Decided	Applications Pending	Compensation Awarded (in Rs.)
1	Andaman & Nicobar Islands	0	3	3	1	0	100000
2	Andhra Pradesh	33	135	168	130	130	33960000
3	Arunachal Pradesh	61	0	61	4	6	300000
4	Assam	221	608	829	798	647	193803762
5	Bihar	311	668	979	464	297	88476000
6	Chhattisgarh	3759	1551	5310	7084	1104	700785500
7	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0
8	Daman & Diu	0	1	1	2	0	0
9	Delhi	966	2581	3547	5101	1102	1400937471
10	Goa	1	1	2	2	0	1000000
11	Gujarat	382	581	963	1038	639	270942500
12	Haryana	47	473	520	549	88	139625500
13	Himachal Pradesh	121	70	191	86	0	10980000
14	Jammu & Kashmir	61	19	80	53	0	12727500
15	Jharkhand	457	1062	1519	983	1934	253018131
16	Karnataka	94	663	757	494	791	98473000
17	Kerala	189	444	633	260	487	121932500
18	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0
19	Madhya Pradesh	289	928	1217	877	1362	168332950
20	Maharashtra	131	80	211	269	207	33781000
21	Manipur	38	80	118	95	15	22650000
22	Meghalaya	294	118	412	67	43	9100000
23	Mizoram	114	19	133	23	8	9350000
24	Nagaland	11	11	22	16	27	1750000

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY							
STATISTICAL INFORMATION IN R/O VICTIM COMPENSATION SCHEME U/S 357-A CR.PC							
DURING THE PERIOD FROM APRIL, 2024 TO MARCH, 2025							
S. No.	SLSA	Applications received directly by Legal Service Institutions (A)	Applications / orders marked / directed by any Court (B)	Applications received including Court Orders (A+B)	Applications Decided	Applications Pending	Compensation Awarded (in Rs.)
25	Odisha	1349	686	2035	1824	2209	399997500
26	Puducherry	0	18	18	0	0	4175000
27	Punjab	81	319	400	423	127	85869602
28	Rajasthan	1975	2317	4292	4462	412	409191500
29	Sikkim	5	22	27	27	0	5425000
30	Tamil Nadu	566	249	815	626	1130	138700815
31	Telangana	32	216	248	199	253	58812500
32	Tripura	34	25	59	33	56	10725000
33	U. T. Chandigarh	6	14	20	12	20	7650000
34	Uttar Pradesh	362	0	362	362	0	52304900
35	Uttarakhand	235	124	359	346	71	39395000
36	West Bengal	298	299	597	297	964	61240000
37	Ladakh	9	0	9	4	0	1225000
	Grand Total	12532	14385	26917	27011	14129	4846737631

Statistical Information in respect of the Legal Services Clinics during the period from April, 2024 to March,2025.

Table A – Law colleges/ Universities, Villages, Community Centres, Courts

S. No.	SLSA	Law Colleges/ Universities			Villages			Community Centres			Courts		
		Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance
1.	Andaman & Nicobar Islands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Andhra Pradesh	26	152	59	85	951	951	27	250	250	2	355	355
3.	Arunachal Pradesh	5	0	0	0	0	0	2	130	97	19	3482	3005
4.	Assam	28	598	326	75	7816	5476	14	4086	3711	23	5855	4308
5.	Bihar	13	966	830	77	9485	7575	77	9032	6248	28	25792	21240
6.	Chhattisgarh	16	889	580	36	2971	901	6	524	510	0	0	0
7.	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Daman & Diu	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Delhi	19	1043	995	102	11803	8588	7	724	629	14	1363	1361
10.	Goa	36	18	9	3	9	9	2	3	3	5	0	0
11.	Gujarat	36	1216	924	194	22809	9536	19	1075	595	35	9466	2973
12.	Haryana	5	0	0	146	29359	21420	23	3283	3246	45	16086	15227
13.	Himachal Pradesh	20	287	262	65	38781	36825	0	0	0	46	13625	12195
14.	Jammu & Kashmir	15	3749	2670	95	9029	7464	40	1884	1480	25	6528	4546
15.	Jharkhand	6	9744	5905	1062	168521	88363	9	99108	35587	0	0	0
16.	Karnataka	131	490	135	63	2802	2388	0	0	0	183	45609	37177
17.	Kerala	4	2197	1676	156	19592	17379	7	1596	1070	1	180	180
18.	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Madhya Pradesh	89	3893	737	373	6702	4095	117	1756	565	61	10705	5797
20.	Maharashtra	90	1241	699	23	2718	1284	33	3698	1704	84	13708	5234
21.	Manipur	2	93	92	38	9374	7857	2	2102	1412	3	171	118

Statistical Information in respect of the Legal Services Clinics during the period from April, 2024 to March, 2025.

Table A – Law colleges/ Universities, Villages, Community Centres, Courts

S. No.	SLSA	Law Colleges/ Universities			Villages			Community Centres			Courts		
		Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance
22.	Meghalaya	5	35	0	76	312	264	0	0	0	9	705	386
23.	Mizoram	0	0	0	1	61	61	0	0	0	9	1064	987
24.	Nagaland	5	751	461	89	1814	1380	19	3279	2673	11	3000	1927
25.	Odisha	21	629	17	132	8022	4752	2	319	319	144	4149	3382
26.	Puducherry	9	494	3	55	3575	26	1	0	0	0	0	0
27.	Punjab	33	855	734	67	3546	2814	8	192	18	30	13673	11494
28.	Rajasthan	94	65	65	130	102	102	0	0	0	168	4221	4193
29.	Sikkim	3	0	0	12	0	0	7	0	0	4	0	0
30.	Tamil Nadu	26	7093	244	555	11628	630	119	4176	355	0	0	0
31.	Telangana	23	3851	3619	23	2157	1501	26	6505	4392	2	98	53
32.	Tripura	3	138	115	134	14993	13062	37	54	54	42	176	176
33.	UT Chandigarh	4	1182	1182	13	12938	12017	2	104	104	2	873	819
34.	Uttar Pradesh	30	43	31	16	478	427	5	2	2	3	1679	1222
35.	Uttarakhand	16	2128	2128	131	5505	5229	33	2134	1982	13	1710	1516
36.	West Bengal	11	1577	488	596	111912	51482	121	89784	31718	36	32726	20869
37.	Ladakh	0	0	0	26	1289	774	0	0	0	0	0	0
	Total	824	45417	24986	4668	521054	314632	765	235800	98724	1047	216999	160740

Table B – Jails, JJB/CWC/Observation Homes, For the people of North-East, Others														
S. No.	SLSA	Jails			JJB/CWC/ Observation Homes			For the people of North-East			Others (Pl. Specify)			
		Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	
1.	Andaman & Nicobar Islands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Andhra Pradesh	81	5532	5532	6	78	78	4	0	0	78	75	75	75
3.	Arunachal Pradesh	5	650	465	1	19	18	0	0	0	21	3277	3246	
4.	Assam	35	13490	10656	20	0	0	0	0	0	88	8797	6154	
5.	Bihar	59	32505	25399	60	12156	9823	2	2337	69	154	31197	19910	
6.	Chhattisgarh	34	24687	8472	27	5131	2256	2	261	0	8	674	364	
7.	Dadra & Nagar Haveli	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Daman & Diu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Delhi	18	111766	111766	19	34188	34188	0	0	0	21	3410	2554	
10.	Goa	1	27	17	0	0	0	1	0	0	4	80	12	
11.	Gujarat	56	13871	4615	34	3126	585	4	61	0	79	4091	1205	
12.	Haryana	22	49488	45005	9	2383	1755	1	0	0	0	0	0	0
13.	Himachal Pradesh	14	12563	10042	14	295	267	6	0	0	41	1603	1591	
14.	Jammu & Kashmir	10	1562	966	3	553	405	0	0	0	19	1863	1818	
15.	Jharkhand	30	34762	27287	24	10968	6907	2	3129	457	296	86142	76058	
16.	Karnataka	55	21804	18662	29	2845	2203	3	5	5	867	95753	58767	
17.	Kerala	54	4127	3386	4	1316	638	0	0	0	24	4363	3275	
18.	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Madhya Pradesh	124	25113	6962	50	3838	2225	2	4	4	323	8828	6707	
20.	Maharashtra	57	15583	8418	30	4859	1683	3	1745	725	173	3534	1173	
21.	Manipur	2	330	319	0	0	0	0	0	0	12	3816	3808	
22.	Meghalaya	5	205	110	11	21	12	0	0	0	2	37	20	
23.	Mizoram	3	286	286	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Table B – Jails, JJB/CWC/Observation Homes, For the people of North-East, Others

Table B – Jails, JJB/CWC/Observation Homes, For the people of North-East, Others															
S. No.	SLSA	Jails		JJB/CWC/ Observation Homes			For the people of North-East				Others (Pl. Specify)				
		Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance	Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance		
24.	Nagaland	11	172	83	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Odisha	86	21274	10409	31	917	604	1	0	0	76	3166	76	3166	1703
26.	Puducherry	4	929	88	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
27.	Punjab	31	32201	20999	7	892	203	1	0	0	93	7923	93	7923	5584
28.	Rajasthan	112	41379	40402	34	0	0	0	0	0	176	8791	176	8791	8771
29.	Sikkim	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Tamil Nadu	131	40200	8472	43	3297	860	1	0	0	0	0	0	0	0
31.	Telangana	35	20385	8828	9	2071	1188	4	0	0	112	2321	112	2321	1560
32.	Tripura	12	1957	1838	8	0	0	0	0	0	22	2378	22	2378	2016
33.	U. T. Chandigarh	2	1672	1672	1	537	537	1	0	0	9	1609	9	1609	1601
34.	Uttar Pradesh	8	2080	1879	2	118	110	1	45	45	25	2590	25	2590	1539
35.	Uttarakhand	12	15333	15333	14	0	0	0	0	0	166	22641	166	22641	21205
36.	West Bengal	42	48529	21043	16	10198	6568	1	106	99	116	37996	116	37996	18154
37.	Ladakh	1	118	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1156	594580	419517	511	99806	73113	42	7693	1404	3006	346955	3006	346955	248870

Table C – TOTAL

S. No.	SLSA	Total		
		Existing No. of Legal Services Clinics	No. of Persons Visited	No. of Persons provided Legal Assistance
1.	Andaman & Nicobar Islands	0	0	0
2.	Andhra Pradesh	309	7393	7300
3.	Arunachal Pradesh	53	7558	6831
4.	Assam	283	40642	30631
5.	Bihar	470	123470	91094
6.	Chhattisgarh	129	35137	13083
7.	Dadra & Nagar Haveli	13	0	0
8.	Daman & Diu	8	0	0
9.	Delhi	200	164297	160081
10.	Goa	52	137	50
11.	Gujarat	457	55715	20433
12.	Haryana	251	100599	86653
13.	Himachal Pradesh	206	67154	61182
14.	Jammu & Kashmir	207	25168	19349
15.	Jharkhand	1429	412374	240564
16.	Karnataka	1331	169308	119337
17.	Kerala	250	33371	27604
18.	Lakshadweep	0	0	0
19.	Madhya Pradesh	1139	60839	27092
20.	Maharashtra	493	47086	20920
21.	Manipur	59	15886	13606
22.	Meghalaya	108	1315	792
23.	Mizoram	14	1411	1334
24.	Nagaland	136	9016	6524
25.	Odisha	493	38476	21186
26.	Puducherry	71	4998	117
27.	Punjab	270	59282	41846
28.	Rajasthan	714	54558	53533
29.	Sikkim	32	0	0
30.	Tamil Nadu	875	66394	10561
31.	Telangana	234	37388	21141
32.	Tripura	258	19696	17261
33.	U. T. Chandigarh	34	18915	17932
34.	Uttar Pradesh	90	7035	5255
35.	Uttarakhand	385	49451	47393
36.	West Bengal	939	332828	150421
37.	Ladakh	27	1407	880
	Total	12019	2068304	1341986

Legal Aid Defense Counsel System (LADCS): Strengthening Access to Justice

Introduction

The Preamble to the Constitution of India guarantees justice social, economic, and political to all citizens. To realize this constitutional vision, Article 39A was introduced through the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, mandating the State to ensure that the legal system promotes justice based on equal opportunity. It directs the State to provide free legal aid, through legislation, schemes, or other appropriate means, so that no citizen is denied justice due to economic or other disabilities.

Despite this constitutional safeguard, a large segment of the population particularly the poor and marginalized continues to face barriers in accessing competent legal assistance. To address this gap, the **National Legal Services Authority (NALSA)** conceptualized the **Legal Aid Defense Counsel System (LADCS)** in 2019 as a pilot project to deliver structured, professional, and dedicated legal defense services to indigent accused persons.

Genesis and Expansion

To strengthen and professionalize court-based legal aid services, NALSA decided during the **17th All India Meet of State Legal Services Authorities (Nagpur, August 2019)** to implement LADCS on a pilot basis in 17 districts across the country.

Initially launched in **13 States** Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttarakhand, and Uttar Pradesh the scheme demonstrated notable success in improving the quality and efficiency of legal aid delivery.

Recognizing its effectiveness, **LADCS was adopted as a Central Sector Scheme in March 2023**, enabling nationwide expansion and institutionalization. Under this framework, legal aid services are provided to accused persons in custody or otherwise eligible under **Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987**, covering all stages of criminal proceedings pre-arrest, remand, trial, and appeal at the district level.

Systemic Framework and Implementation: Each **LADCS Office**, established at the district headquarters, functions as a **dedicated, full-time legal aid unit** exclusively handling criminal matters.

The team comprises:

- Chief Defense Counsel
- Deputy Chief Defense Counsel
- Assistant Defense Counsels
- Supporting staff (Office Assistant, Data Entry Operator, Peon)

All members of the LADCS team are **full-time professionals** and are **retainerships**, ensuring complete dedication, accountability, and professionalism in service delivery.

This full-time engagement ensures that beneficiaries receive **continuous, competent, and quality legal representation** across all stages of litigation.

Aims and Objectives

The primary objectives of LADCS are:

- To provide qualitative, competent, and timely legal services in criminal matters.
- To institutionalize and professionalize the management of legal aid in the criminal justice system.
- To enhance accessibility and efficiency in providing legal defense to marginalized and indigent accused persons.
- To ensure accountability, responsiveness, and structured supervision of legal aid delivery.

Target Beneficiaries

Under the LADCS, legal services are being provided in all criminal matters, at pre-arrest, arrest, remand, trial and appellate stages, to all eligible persons. The target beneficiaries under LADCS are accused and convicts, who are in custody or otherwise coming within the eligibility criteria spelt out in Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987, the following persons are entitled to free legal services:

- a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribes;
- a victim of trafficking in human beings or begar as referred to in article 23 of the Constitution;
- a woman or a child;
- a person with disability as defined in clause (i) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996);
- a person under circumstances of undeserved want such as being a victim of a mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster; or
- an industrial workman; or
- in custody, including custody in a protective home within the meaning of clause (g) of section 2 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956, or in a Juvenile home within the meaning of clause (j) of section 2 of the Juvenile Justice Act, 1986 (53 of 1986), or in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home within the meaning of clause (g) of section 2 of the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987);
- in receipt of annual income less than rupees nine thousand or such other higher amount as may be prescribed by the State Government, if the case is before a court other than the Supreme Court, and less than twelve thousand rupees or such other higher amount as may be prescribed by the Central Government if the case is before the Supreme Court.

Scope of Services

The Legal Aid Defense Counsel Offices provide **end-to-end legal services**, including:

- Legal advice and assistance to individuals visiting the office.
- Representation and conduct of trials, appeals, and miscellaneous proceedings in all criminal courts Sessions, Special, Magistrate, and Executive Courts.
- Handling of remand and bail matters efficiently and promptly.
- Legal assistance at the pre-arrest stage, in accordance with NALSA's guidelines.
- Undertaking legal aid assignments as directed by the Secretary, District Legal Services Authority (DLSA).
- Regular prison visits under the guidance of the DLSA Secretary to address the legal needs of unrepresented inmates.

Outcomes and Systemic Benefits

- Increased availability and accessibility of legal aid defense counsels.
- Efficient and continuous representation by experienced lawyers.
- Strengthened monitoring and follow-up of legal aid cases.
- Enhanced professionalism and management in criminal legal aid delivery.
- Regular client consultation and case updates, improving transparency and trust.
- Greater accountability and performance-based evaluation of legal aid providers.
- Institutional capacity building at the district level.
- Regular training and capacity-building initiatives for LADCs and staff to maintain competence and ethical standards.

The **Legal Aid Defense Counsel System (LADCS)** represents a landmark step toward achieving the constitutional vision of "*Justice for All*." By institutionalizing a **dedicated, full-time defense mechanism**, LADCS ensures that the right to legal representation becomes a lived reality, not merely a constitutional promise.

Through its structured framework, professional accountability, and measurable outcomes, LADCS continues to strengthen India's legal aid architecture reinforcing **Article 39A's mandate** and reaffirming the nation's commitment to equitable access to justice for every citizen.

**STATISTICAL INFORMATION IN R/O LEGAL AID DEFENSE COUNSEL SYSTEM
HUMAN RESOURCE ENGAGED IN LADCS AS ON MARCH,2025**

S. No.	Name of the SLSAs	No. of Chief LADC	No. of Deputy Chief LADC	No. of Asstt. LADC	No. of Supporting staff	Total Staff	Total No. of prison- visited during the April, 2024 to March, 2025
1	Andhra Pradesh	12	18	30	35	95	1101
2	Arunachal Pradesh	8	11	17	31	67	568
3	Assam	33	97	196	222	548	5734
4	Bihar	34	52	70	0	156	3762
5	Chhattisgarh	21	28	50	65	164	2106
6	Goa	2	5	11	14	32	24
7	Gujarat	33	91	183	62	369	1558
8	Haryana	14	32	47	20	113	4352
9	Himachal Pradesh	8	14	28	33	83	2227
10	Jammu & Kashmir	3	19	24	0	46	320
11	Jharkhand	24	38	67	48	177	4324
12	Karnataka	28	28	37	85	178	2292
13	Kerala	14	30	54	42	140	2813
14	Madhya Pradesh	48	89	130	0	267	3953
15	Maharashtra	32	57	145	141	375	6434
16	Manipur	4	6	8	14	32	47
17	Meghalaya	11	21	52	71	155	561
18	Mizoram	4	11	21	28	64	24
19	Nagaland	5	5	5	15	30	93
20	Odisha	17	36	40	0	93	816
21	Punjab	22	42	60	111	235	4688
22	Rajasthan	36	48	135	204	423	5302
23	Sikkim	2	6	12	7	27	26
24	Tamil Nadu	28	75	166	175	444	4835
25	Telangana	30	35	81	182	328	1459

S. No.	Name of the SLSAs	No. of Chief LADC	No. of Deputy Chief LADC	No. of Asstt. LADC	No. of Supporting staff	Total Staff	Total No. of prison- visited during the April, 2024 to March, 2025
26	Tripura	7	23	46	52	128	305
27	Uttar Pradesh	73	78	144	122	417	9471
28	Uttarakhand	13	6	16	47	82	647
29	West Bengal	9	20	27	16	72	1936
30	Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0
31	Chandigarh	1	3	4	4	12	351
32	Dadra & Nagar Haveli	0	0	1	2	3	24
33	Daman & Diu	1	0	1	4	6	4
34	Delhi	7	20	39	33	99	270
35	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0
36	Puducherry	2	1	3	0	6	0
37	Ladakh	0	2	2	0	4	10
	Total	586	1047	1952	1885	5470	72437

STATISTICAL INFORMATION IN R/O LEGAL AID DEFENSE COUNSEL SYSTEM
CASES/BAIL APPLICATION ASSIGNED/ DISPOSED OF DURING APRIL, 2024 TO MARCH,2025

S. No.	Name of SLSA	Number of Districts where LADC office functional as on March, 2025	Cases/bail application assigned during April, 2024 to March, 2025							Cases disposed of during April, 2024 to March, 2025						
			Sessions Cases	Magistrate Courts Cases	Remand Work in Courts	Bail				Sessions Cases	Magistrate Courts Cases	Remand Work in Courts	Bail			
						u/s 480	u/s 482	u/s 483	Other applications/ petitions				u/s 480	u/s 482	u/s 483	Other applications/ petitions
1	Andhra Pradesh	13	1175	975	209	612	1	862	407	409	491	213	493	0	639	381
2	Arunachal Pradesh	21	368	562	589	228	8	88	108	56	124	257	178	21	58	47
3	Assam	33	4021	6754	10099	8932	127	1795	3930	986	2312	8101	7986	91	1632	3873
4	Bihar	37	5317	4066	40846	2922	51	3297	2897	1154	898	31081	2520	38	3096	2786
5	Chhattisgarh	23	2024	3175	6166	1998	28	911	2203	1099	1778	4342	1880	84	828	2181
6	Goa	2	88	112	148	123	0	14	29	21	67	91	118	0	14	58
7	Gujarat	34	3300	5971	1274	2728	5	1933	317	1462	4132	1274	2683	5	1838	203
8	Haryana	18	3901	6986	14423	2984	14	620	816	1176	2798	11943	2941	13	603	765
9	Himachal Pradesh	11	471	575	4477	281	3	278	508	240	247	3661	280	3	266	512
10	Jammu & Kashmir	20	683	607	4111	384	58	320	592	95	153	4100	326	58	233	551
11	Jharkhand	24	3166	7323	16178	2772	85	1944	7977	1204	3022	15877	2579	71	1586	7834
12	Karnataka	30	2279	2002	760	1022	55	1008	1180	1007	1007	783	901	31	788	1186
13	Kerala	14	2439	4186	4218	2897	24	1852	1980	1097	1333	3367	2815	24	1738	1881
14	Madhya Pradesh	50	4739	8645	3194	4382	19	1685	6166	2316	4533	2354	4362	19	1632	6194
15	Maharashtra	33	4182	7210	4340	3908	85	1628	5610	1392	3686	3874	3528	74	1293	5424
16	Manipur	4	94	51	345	62	1	75	132	23	23	226	54	1	70	115
17	Meghalaya	11	1015	847	708	91	4	72	60	65	91	143	72	1	67	52
18	Mizoram	4	664	1234	806	317	0	144	13	163	792	227	239	2	84	12
19	Nagaland	5	72	128	6	62	0	19	1	19	77	6	49	0	13	1
20	Odisha	25	1925	2314	4077	3387	4	1452	802	634	821	3621	3297	4	1268	746
21	Punjab	22	6877	8665	11290	3216	151	2843	4987	1820	3150	7758	3086	118	2267	4730

S. No.	Name of SLSA	Number of Districts where LADC office functional as on March, 2025	Cases/bail application assigned during April, 2024 to March, 2025							Cases disposed of during April, 2024 to March, 2025						
			Sessions Cases	Magistrate Courts Cases	Remand Work in Courts	Bail				Sessions Cases	Magistrate Courts Cases	Remand Work in Courts	Bail			
						u/s 480	u/s 482	u/s 483	Other applications/ petitions				u/s 480	u/s 482	u/s 483	Other applications/ petitions
22	Rajasthan	36	1736	4097	1494	2153	4	1471	724	1030	2372	1041	2122	6	1425	694
23	Sikkim	2	110	86	0	18	0	71	53	13	38	0	18	0	70	46
24	Tamil Nadu	30	2606	1867	9517	3562	49	3348	2652	1101	1174	9223	3099	46	2885	2388
25	Telangana	33	1719	3684	986	1984	65	1239	732	668	1665	529	1744	42	1026	622
26	Tripura	8	612	1409	931	3096	4	176	2155	253	950	503	797	4	1969	1309
27	Uttar Pradesh	74	13301	12781	9270	7157	147	5434	7587	2679	4091	8344	6713	147	5192	6879
28	Uttarakhand	13	1053	1206	873	762	0	589	612	326	523	800	753	0	582	599
29	West Bengal	10	3015	3834	11533	9930	39	1178	1700	1065	1240	9864	9737	37	1105	1629
30	Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Chandigarh *	1	155	840	1009	242	1	103	3	133	444	1009	240	1	100	3
32	Dadra & Nagar Haveli	1	0	12	19	13	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0
33	Daman & Diu	1	15	574	71	30	0	4	24	3	550	71	29	0	4	25
34	Delhi	7	2721	6385	8087	4421	127	782	3157	755	1138	5435	4179	127	684	2696
35	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Puducherry	2	42	34	0	17	4	18	4	9	4	0	17	4	6	1
37	Ladakh	2	19	11	13	5	0	2	0	1	3	8	5	0	1	0
	Total	654	75904	109208	172067	76698	1163	37255	60118	24474	45727	140139	69853	1072	35062	56423



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

2024-25

वार्षिक लेखा

*

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट

*

वार्षिक रिपोर्ट

अनुक्रमणिका

हिंदी अनुवाद

- | | |
|---|----------------|
| 1. वार्षिक लेखा | पेज 111 से 150 |
| 2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट | पेज 151 से 157 |
| 3. वार्षिक रिपोर्ट | पेज 159 से 243 |

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेख-परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है।
यदि अनुवाद है यदि इसमें विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

2024-25

वार्षिक लेखा

अनुक्रमणिका

परिशिष्ट	विषय सूचि	पृष्ठ संख्या
ए	बैलेंस शिट (वित्तीय स्थिति वितरण)	113
बी	आय और व्यय लेखा	114-115
सी	प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण	116-117
डी	उपरोक्त की अनुसूची	118-135
ई	प्रदत्त अनुदान	136-139
एफ	लेखांकन सिद्धान्त	140-142
जी	अनुसूची विषयक विवरण	143-144
एच	उपयोगिता प्रमाण पत्र	145-150

परिशिष्ट – ए

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि बैलेंस शीट दिनांक 31.03.2025 के अनुसार प्राधिकरण/समिति का नाम : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण					
संग्रह (कोष) / राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष और उत्तरदायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		राशि	कुल	राशि	कुल
कोष/पूँजी निधि	1		-		
राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष		8,09,61,511.00		9,33,60,570.00	
1 अप्रैल 2024 तक बैलेंस जमा: हस्तांतरित आय और व्यय (राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि)		(2,55,41,861.00)	5,54,19,650.00	(1,23,99,059.00)	8,09,61,611.00
रिसर्व एवं अधिशेष			-		-
प्रतिभूति ऋण / उधार राशियाँ	2		-		-
संरक्षित ऋण और उधार	3		-		-
असुरक्षित ऋण और उधार	4		-		-
ऋण उत्तरदायित्व	5		-		-
वर्तमान उत्तरदायित्व और प्रावधान	6		-		-
	7		8,97,793.00		8,06,409.00
कुल			5,63,17,44,300		8,17,67,570.00
परिसंपत्तियाँ					
अचल संपत्तियाँ	8		5,32,665.00		13,12,858.00
निवेश - निश्चित/ वृत्तिदान राशि से	9		-		-
	10		-		-
निवेश - अन्य					
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण , अग्रिम आदि	11		5,57,84,778.00		8,04,55,062.00
विविध व्यय (अलिखित या एडजस्ट किया गया हो)					
कुल			5,63,17,44,300		8,17,67,570.00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24				
लेखा विषयक संभाव्य उत्तरदायित्व	25				



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

परिशिष्ट – बी

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि प्राधिकरण का नाम –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2025 तक राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि के आय और व्यय का व्यौरा			
आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	12	9,90,627.00	64,500.00
अनुदान/रियायतें	13	3,12,97,60,654.00	4,00,17,78,730.00
शुल्क / सदस्यता	14	-	-
निवेश से आय (नामित निधि से निवेश पर प्राप्त आय/ कोषों के अंतरण से आय)	15	-	-
रोयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
प्राप्त ब्याज	17	20,02,708.00	97,03,123.00
अन्य आय	18	16,30,000.00	1,05,000.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / कमी और प्रगति पर कार्य	19	-	-
कुल (अ)		3,13,43,83,989.00	4,01,16,51,353.00
व्यय			
स्थापना व्यय	20	-	-
कानूनी सहायता प्रोत्साहन खर्च	21	1,73,59,571.00	5,52,91,577.00
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि (अखिल भारतीय बैठक एवं लोक अदालत व्यय)	21	56,190.00	4,42,361.00
अनुदानों, रियायतों आदि पर खर्च	22	3,14,17,29,896.00	3,96,83,16,474.00
ब्याज	23	-	-
अवमूल्यन (अनुसूची के सन्दर्भ में वर्षात पर कुल योग)	8	7,80,193.00	-
कुल (ब)		3,15,99,25,850.00	4,02,40,50,412.00
व्यय पर आय की अधिकता का बैलेंस (अ – ब)		(2,55,41,861.00)	(1,23,99,059.00)
पहले के वर्षों के टी.डी.एस. की निकासी		-	-
विशेष संचय को स्थानान्तरण (प्रत्येक के बारे में बताएं)			
सामान्य संचय को/से स्थानान्तरण			
कानूनी सहायता कोष में हस्तांतरित ग्रांट /अन्य संग्रह का उपयोग किया गया		(2,55,41,861.00)	(1,23,99,059.00)

महत्वपूर्ण लेख नीतियां

24

आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणियां

25



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि प्राधिकरण का नाम –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2025 तक राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष के आय और व्यय का व्यौरा			
आय	अनुसूची	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय		-	-
अनुदान / रियायतें		-	-
शुल्क / सदस्यता		-	-
निवेश से आय (निश्चित वृत्तिदान निधि से निवेश पर)		-	-
रोयल्टी / प्रकाशन आदि से आय		-	-
प्राप्त ब्याज			
अन्य आय			
वृद्धि (कमी) -समाप्त वस्तुओं से और कार्य प्रगति से		-	-
कुल (अ)		-	-
व्यय		-	-
स्थापन खर्च		-	-
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि		-	-
अनुदानों, रियायतों आदि पर खर्च		-	-
ब्याज		-	-
मूल्यहास (अनुसूची के सन्दर्भ में वर्षान्त पर कुल योग)		-	-
कुल (ब)		-	-
व्यय पर आय की अधिकता का बैलेंस (अ – ब)		-	-
विशेष संचय को स्थानान्तरण (प्रत्येक के बारे में बताएं)		-	-
सामान्य संचय को / से स्थानान्तरण		-	-
समग्र पूँजी निधि का अधिशिष्ट बैलेंस/ घाटा		-	-

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 24
आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणियां 25



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

परिशिष्ट – सी

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
वर्षांत 31.03.2025 अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. अथशेष अ) रोकड़ शेष ब) बैंक शेष i) चालू खातों में ii) होल्डिंग खातों में iii) सावधि जमा खातों में iv) सावधि दिशा जमा में	- 1,12,449.00 14,09,001.00 5,03,22,854.00 2,86,10,758.00	- 1,77,997.00 4,25,38,234.00 5,06,44,339.00	1. खर्च i) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार) ii) विधिक सहायता संवर्धन एवं प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार) iii) पिछले वर्ष दिए गए विधिक सहायता संवर्धन एवं प्रशासनिक व्यय अग्रिम राशि iv) बीएसएनएल कम भुगतान v) पिछले वर्ष का टीडीएस भुगतान vi) टीडीएस भुगतान नहीं किया vii) डूडा अंया को कम भुगतान viii) जीएसटी टीडीएस देय	1,74,15,761.00 6,91,873.00 72,025.00 - 3,410.00 (30,798.00)	5,57,33,938.00 (6,91,873.00) - (3,410.00) (72,026.00)
2. अनुदान प्राप्त हुआ i) भारत सरकार से (राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि) ii) भारत सरकार से (विधिक बचाव परामर्शदाता प्रणाली योजना हेतु) iii) एनसीडब्ल्यू से वापस प्राप्त अनुदान iv) एनसीडब्ल्यू के लिए अनुदान प्राप्त हुआ v) दिशा योजना के लिए अनुदान प्राप्त हुआ vi) हरियाणा एसएलएसए से वापस प्राप्त अनुदान (दिशा योजना)	91.00 1,20,00,000.00 - - -	85,95,501.00 - - 32,544.00 -	2. एसएलएसए, एससीएलएससी और एमसीपीसी को दिया गया अनुदान एसएलएसए को दिया गया अनुदान (एलएडीसीएस योजना) (प्रत्येक परियोजना में किए गए भुगतान के विवरण के साथ फंड या परियोजना का नाम दिखाया जाना चाहिए) 3. एसएलएसए को दिया गया अनुदान (एनसीडब्ल्यू फंड) 4. एसएलएसए द्वारा उपयोग किया गया अनुदान (दिशा योजना) 5. भारत कोष में स्थानांतरित भारत की समेकित निधि 6. अनुदान लैप्स हुआ 7. एनसीडब्ल्यू को अनुदान की वापसी	1,98,18,91,514.00 1,47,92,50,000.00 1,20,00,000.00 - 3,00,74,858.00 852.00 2,109.00	1,94,49,85,730.00 2,00,00,00,000.00 82,79,769.00 2,14,92,850.00 1,534.00 4,05,906.00 -

प्राप्तियाँ	चालूवर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालूवर्ष	पूर्व वर्ष
(पूँजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाना है)					
3. निवेशों से आय					
i) निर्धारित बंदोबस्ती निधि से	-	-	8. निवेश और जमा	-	-
ii) अपने कोष से (अन्य निवेश)	-	-	i) निर्धारित न्यास निधियों से	-	-
4. प्राप्त व्याज			ii) अपने कोष से (अन्य निवेश)	-	-
i) बैंकों में जमा राशि पर	-	-	9. अचल संपत्तियों एवं चल रहे पूंजीगत कार्यों पर व्यय	-	-
ii) उधारी व पेशगी पर	-	-			
iii) अव्ययित अनुदान पर/प्राप्त व्याज	20,02,708.00	20,32,715.00	i) अचल संपत्तियों की खरीद		13,12,858.00
iv) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंजाब से प्राप्त व्याज	-	-	ii) चल रहे पूंजीगत कार्यों पर व्यय		
v) विधिक सेवा प्राधिकरण, के.शा. चंडीगढ़ से प्राप्त व्याज	81,123.00	76,70,408.00	10. अतिरिक्त धन/ऋणों की वापसी		
5. न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त रकम	16,30,000.00	1,05,000.00	i) भारत सरकार को		
6. अग्रिम अनुदान	-	-	ii) राज्य सरकारों को		
7. TDS रिफंड प्राप्त हुआ	-	-	iii) धन के अन्य प्रदाताओं को		
8. अन्य प्राप्तियाँ (फिक्सी के द्वारा जमा की गई नकदी)	-	39,000.00	11. अन्य भुगतान (अग्रिम)	3,840.00	
9. अन्य प्राप्तियाँ (UPI unidentified)	-	100.00	12. पूर्व वर्ष का टीडीएस भुगतान		
10. विविध प्राप्तियाँ (IAM, tax, refund etc.)	9,90,625.00	-	13. शेष राशि		
11. विविध प्राप्तियाँ स्क्रेप वाहन का निरस्तीकरण (असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	-	64,500.00	क) हस्तगत नकदी (पी.ए.ओ. को हस्तांतरित किया गया)		
12. विविध प्राप्तियाँ स्क्रेप वाहन का निरस्तीकरण (हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	1,21,541.00	-	ख) बैंक बैलेंस		
13. विविध प्राप्तियाँ स्क्रेप वाहन का निरस्तीकरण (कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	1,40,500.00	-	□) चालू खातों में	1,02,897.00	1,12,449.00
14. विविध प्राप्तियाँ स्क्रेप वाहन का निरस्तीकरण (सिक्किम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	4,84,732.00	-	□□) धारित खातों में	3,99,576.00	14,09,001.00
			□□□) बचत खाते	5,52,78,457.00	5,03,22,854.00
			iv) बचत खाता (दिशा)	8.00	2,86,10,758.00
कुल	3,57,71,56,382.00	4,11,19,00,338.00		3,57,71,56,382.00	4,11,19,00,328.00

लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

परिशिष्ट - डी

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण				
अनुसूची -1 समग्र निधि	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
समग्र निधि				
वर्ष के आरम्भ में बैलेंस	-	-	-	-
जोड़ें -अचल संपत्तियों के मूल्य में		-		-
जमा / घटा : आय और व्यय लेखा (समग्र निधि) का निवल शेष		-		-
घटा : डब्ल्यू.डी.वी. का समायोजन - भवन, वाहन, फर्नीचर और कार्यालय उपकरण के लिए आय और व्यय खाते से हस्तांतरित				
वर्ष के अंत में बैलेंस		-		-



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि प्राधिकरण का नाम –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण				
अनुसूची -2- आरक्षित और अधिशेष निधि	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
1. पूंजीगत संचय : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि कम : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. आरक्षित निधि पुनर्मूल्यांकन : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि कम : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष आरक्षित निधि : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि कम : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य आरक्षित निधि : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि कम : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण

अनुसूची -3- निश्चित / वृत्तिदान राशि	यू.एन.डी.पी. फंड	धनराशि के अनुसार वर्गीकरण			कुल योग	
		फंड का नाम	फंड का नाम	फंड का नाम	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(अ) निधि का प्रारम्भिक शेष	-	-	-	-	-	-
(ब) निधि के परिवर्धन						
i) दान / अनुदान	-	-	-	-	-	-
ii) धन राशि के निवेश से उत्पन्न आय	-	-	-	-	-	-
iii) अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल योग (अ + ब)	-	-	-	-	-	-
स) निधि का उद्देश्यों हेतु उपयोग/खर्च	-	-	-	-	-	-
i) पूँजी खर्च	-	-	-	-	-	-
स्थिर परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
ii) राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-
वेतन, दिहाड़ी, भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया	-	-	-	-	-	-
अन्य प्रशासनिक खर्च	-	-	-	-	-	-
कुल स	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (अ+ब+स)	-	-	-	-	-	-

नोट :- 1. अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर प्रासंगिक मदों के अंतर्गत प्रकटन किया जा सकता है ।

2. केंद्र /राज्य सरकारों से प्राप्त नियोजित राशिओं को अलग से दिखाया जाए उन्हें किसी अन्य फंड के साथ न मिलाया जाये ।

लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण

अनुसूची -4- सुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
i. सावधिक ऋण	-	-
ii. प्राप्त ब्याज और बकाया	-	-
4. बैंक	-	-
i. अन्य ऋण	-	-
ii. प्राप्त ब्याज और बकाया	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. ऋण पत्र और बांड	-	-
7. अन्य	-	-
कुल	-	-



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण

अनुसूची - 5 - असुरक्षित ऋण और उधार	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक	-	-
i. सावधिक ऋण	-	-
ii. अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	-
6. ऋण पत्र और बांड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
कुल	-	-
अनुसूची -6- विलंबित ऋण दायित्व	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
i. पूंजीगत उपकरणों और अन्य वस्तुओं के बंधीकरण द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ii. अन्य	-	-
कुल		



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण

अनुसूची – 7 – वर्तमान देनदारियां :	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अ. वर्तमान देनदारियां		
1 स्वीकृतियां		-
2. विविध ऋणदाता		-
अ. वस्तुओं के लिए	-	-
ब. अन्य (BSNL)	-	6,91,873.00
स. अन्य(Duda)	-	3,410.00
3. अप्रयुक्त अनुदान	-	-
4. अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं –		-
अ. रक्षित ऋण / उधार	-	-
ब. अरक्षित ऋण / उधार	-	-
5. वैधानिक देनदारियां		
अ. अतिदेय (ओवर ड्यू)	-	-
ब. अन्य (परिश्रामिक के भुगतान पर टीडीएस टीडीएस)	30,798.00	72,026.00
6. अन्य वर्तमान देनदारियां	-	
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा जमा की गई बचत पर ब्याज	81,123.00	-
वाहनों की नीलामी/निराकरण से प्राप्त राशि		-
हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त	1,21,541.00	
कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त	1,40,500.00	
सिक्किम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त	4,84,732.00	
अ. UPI असामान्य लेनदेन	100.00	100.00
ब. किसी के द्वारा नकद जमा किया गया	39,000.00	39,000.00
कुल (अ)	8,97,794.00	8,06,409.00
ब. प्रावधान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. कराधान के लिए	-	-
2. अनुग्रह राशि	-	-
3. सेवानिवृत्ति / पेंशन	-	-
4. संचित अवकाश भुगतान	-	-
5. व्यापार वारंटियाँ / दावे	-	-
6. अन्य	-	-
कुल ब	-	-
कुल (अ + ब)	8,97,794.00	8,06,409.00



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण

अनुसूची – 8

परिशिष्ट – न

विवरण	वर्ष के आरम्भ 1.4.2024 में लागत मूल्य	वर्ष के दौरान एडिशन पहली छमाही	वर्ष के दौरान एडिशन दूसरी छमाही	रद्द / बिक्री	31.03.2025 को वर्ष के अंत में लागत मूल्यांकन	01.04.2024 तक मूल्य ह्रास	31.03.2025 को वर्ष के लिए मूल्यह्रास	संपत्ति ह्रास	31.03.2025 तक कुल ह्रास	31.03.2025 तक डब्लु.डी.वी.	31.3.2024 तक डब्लु. डी.वी.
कंप्यूटर / उसके उपकरण	13,12,858.00	-	-	-	13,12,858.00	4,25,082.00	3,55,111.00	-	7,80,193.00	5,32,665.00	13,12,858.00
	13,12,858.00	-	-	-	13,12,858.00	4,25,082.00	3,55,111.00	-	7,80,193.00	5,32,665.00	13,12,858.00
पूर्व वर्ष	-	8,12,550.00	5,00,308.00	-	13,12,858.00	-	-	-	-	13,12,858.00	-



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण

अनुसूची-9 - निश्चित/वृत्तिदान निधि से निवेश	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर्स	-	-
4. ऋण पत्र और बन्धन	-	-
5. रियायतें और संयुक्त प्रयास/उपक्रम	-	-
6. अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-10 - निश्चित /वृत्तिदान निधि से निवेश	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर्स	-	-
4. ऋण पत्र और बन्धन	-	-
5. रियायतें और संयुक्त प्रयास / उपक्रम	-	-
6. सावधि जमा (बैंक)	-	-
कुल	-	-



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का अनुसूची रूपण

अनुसूची -11—वर्तमान सम्पत्ति , ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अ. वर्तमान संपत्तियां :		
1. संपत्ति सूची	-	-
अ) भंडारण और अतिरिक्त	-	-
ब) मुक्त उपकरण	-	-
स) बिक्री माल	-	-
निर्मित माल	-	-
अर्धनिर्मित उत्पादन	-	-
कच्चा सामान	-	-
2. फुटकर ऋण / कर्ज	-	-
अ) छः महीने से ज्यादा समय के लिए जारी ऋण	-	-
ब) अग्रिम दिया गया (होटल एम्बेसडर)	3,840.00	-
3. हाथ में नकद शेष राशि (चैक/ड्राफ्ट और रकम सहित)	-	-
4. बैंक बैलेंस	-	-
अ) अनुसूचित बैंक के साथ		
चालू खातों पर	1,02,897.00	1,12,449.00
अनुग्रह राशि खातों पर	3,99,576.00	14,09,001.00
स्वीप पर/बचत खातों पर	5,52,78,457.00	5,03,22,854.00
बचत खाता (दिशा)	8.00	2,86,10,758.00
ब) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ		
चालू खातों पर	-	-
जमा खातों पर	-	-
बचत खाता	-	-
5. डाकघर बचत खाते	-	-
कुल (अ)	5,57,84,778.00	8,04,55,062.00
अनुसूची -11—वर्तमान सम्पत्ति , ऋण , अग्रिम राशी / एडवांस आदि (जारी.)	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
ब. ऋण, एडवांस और अन्य संपत्तियां		
1. ऋण:	-	-
i) कर्मचारी ऋण	-	-
ii) गति विधियों व उद्देश्यों से जुड़ी अन्य मदें	-	-
iii) सुरक्षा जमा	-	-
2. नकद /वस्तु रूप में वसूल की जा सकने वाले एडवांस व अन्यराशियाँ	-	-
i) पूँजी लेखा पर	-	-
ii) पुनर्भुगतान	-	-
iii) अन्य	-	-
3. अर्जित आय :		
i) निश्चित / वृत्तिदान निधि से निवेश पर	-	-
ii) निवेश पर -- अन्य	-	-
iii) ऋण और एडवांस	-	-
iv) अन्य	-	-
4. प्राप्य स्रोत पर कटा गया कर	-	-
कुल (ब)	-	-
कुल (अ + ब)	5,57,84,778.00	8,04,55,062.00

लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची-12 - बिक्री सेवाओं से आय और व्यय	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
	राशि	कुल	राशि	कुल
(अपरिवर्तनीय अनुदान और प्राप्त रियायतें)				
1. बिक्री से प्राप्त आय				
i) निर्मित माल की बिक्री	-	-	-	-
ii) कच्चे माल की बिक्री	-	-	-	-
iii) कबाड़ की बिक्री	-	-	-	-
iv) वाहन का निरस्तीकरण (असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	-	-	64,500.00	64,500.00
2. सेवाओं से आय				
i) मजदूरी और प्रक्रिया शुल्क	-	-	-	-
ii) व्यावसायिक / परामर्श शुल्क	-	-	-	-
iii) एजेंसी कमीशन और दलाली	-	-	-	-
iv) रख रखाव खर्च (उपकरण/सम्पत्ति)	-	-	-	-
v) अंतरराष्ट्रीय उन्नत मध्यस्थता प्रशिक्षण	9,90,001.00	-	-	-
vi) आयकर वापसी	550.00	-	-	-
vii) पूर्णांकित राशि	7.00	-	-	-
viii) बैंक शुल्क	69.00	9,90,627.00	-	-
कुल	9,90,627.00	9,90,627.00	64,500.00	64,500.00
अनुसूची -13 - अनुदान /रियायतें	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
	राशि	कुल	राशि	कुल
(अपरिवर्तनीय प्राप्त अनुदान और रियायतें)				
1. केंद्र सरकार से				
प्राप्त अनुदान (राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि)	2,00,00,00,000.00		2,00,00,00,000.00	
अनुदान प्राप्त हुआ (लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम)	1,47,92,50,000.00		2,00,00,00,000.00	
कमी: राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि (NLAF) के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) द्वारा वर्ष के दौरान समर्पित/लुप्त अनुदान राशि	2,89,31,965.00		65,97,781.00	
कमी: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) द्वारा जिला विधिक सेवा समिति (LADCS) के अंतर्गत वर्ष के दौरान समर्पित/लुप्त अनुदान राशि	33,25,56,620.00		2,50,000.00	
कमी: वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समर्पित/ लुप्त अनुदान राशि	852.00	3,11,77,60,563.00	1,534.00	3,99,31,50,685.00
2. राज्य सरकार से व्ययित अनुदान प्राप्त	-			
3. सरकारी एजेंसियां				
4. राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त अनुदान	1,20,00,000.00	1,20,00,000.00	-	
5. ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त राष्ट्रीय महिला आयोग की अप्रयुक्त धनराशि	91.00	91.00	85,95,501.00	85,95,501.00
6. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन		-		

अनुसूची -13 - अनुदान/रियायतें	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
	राशि	कुल	राशि	कुल
7. दिशा योजना से प्राप्त अनुदान				
8. अन्य समेकित निधि	-	-		
9. दिशा योजना हरियाणा से अव्ययित अनुदान वापस प्राप्त हुआ	-	-	32,544.00	32,544.00
कुल		3,12,97,60,654.00		4,00,17,78,730.00



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची-14 - शुल्क /छूट	राशि रुपए	
	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क / छूट	-	-
3. सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (विवरण दें)	-	-
कुल	-	-
नोट : प्रत्येक मद विषयक लेखा नीतियां प्रकाश्य हैं		



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची-15 –निवेशों से आय	निश्चित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
(निश्चित/वृत्तदान निधियों से स्थानांतरित निधियों में निवेश पर आय)	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज				
i) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ii) अन्य बंधपत्रों / ऋण पत्रों पर	-	-	-	-
2. जमा / लाभांश				
i) शेयरों पर	-	-	-	-
ii) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विवरण दें)	-	-	-	-
कुल योग	-	-	-	-

निश्चित/वृत्तदान निधियों में स्थानांतरित



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची -16—रोयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. रोयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य (विवरण दें)	-	-
कुल	-	-
अनुसूची -17—अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सावधिक जमा पर	-	-
i) अनुसूचित बैंकों पर	-	-
(पुस्तकालय कोष (एफ.डी.) पर ब्याज जो समय निधि को	-	-
हस्तांतरित किया गया कम करने के पश्चात्)	-	-
ii) गैर अनुसूचित बैंक	-	-
iii) संस्थानों के साथ	-	-
iv) अन्य	-	-
2. बचत खतों पर	-	-
i) सूचित बैंकों पर	20,02,708.00	20,32,715.00
ii) अनुसूचित बैंकों पर	-	-
iii) डाकघर बचत खतों पर	-	-
iv) अन्य-अव्यय अनुदान पर ब्याज	-	-
v) एसएलएसए द्वारा बचत पर ब्याज(पंजाब)	-	-
vi) एसएलएसए द्वारा बचत पर ब्याज(चंडीगढ़)	-	76,70,408.00
3. ऋणों पर	-	-
i) कर्मचारी / स्टाफ	-	-
4. देनदारियों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	20,02,708.00	97,03,123.00
टिप्पणी : स्रोत पर कर कटौती का इंगित किया जाना		



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची -18—अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री / निष्पादन से लाभ	-	-
i) अर्जित परिसम्पत्तियां	-	-
ii) अनुदानों से या मुफ्त प्राप्त सम्पत्तियां	-	-
2. अनुदानों से प्राप्त	-	-
3. न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त रकम	16,30,000.00	1,05,000.00
4. अन्य आय	-	-
कुल	16,30,000.00	1,05,000.00

अनुसूची -19—समाप्त वस्तुओं और कार्य प्रगति के स्टॉक में वृद्धि / कमी	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
i) स्टॉक समाप्ति	-	-
समाप्त स्टॉक	-	-
कार्य प्रगति	-	-
ii) कमी: प्रारम्भिक स्टॉक	-	-
समाप्त वस्तुएं	-	-
कार्य प्रगति	-	-
शुद्ध वृद्धि / कमी (i – ii)	-	-
कुल	-	-



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची -20—प्रतिष्ठान व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
i) वेतन और दिहाड़ी	-	-
ii) भत्ते और बोनस	-	-
iii) प्रोविडेंट फण्ड में योगदान	-	-
iv) अंतरिम रहत बकाया	-	-
v) वेतन और बकाया भत्ता	-	-
vi) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और निवृत्ति लाभ	-	-
vii) अन्य	-	-
कुल	-	-



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची -21 कानूनी सहायता एवं प्रोत्साहन व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
i) विज्ञापन और प्रचार	-	-
ii) गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भाग लेने के लिए झांकी खर्च	-	-
iii) बच्चों को बांटी गई पुरस्कार राशि	-	-
iv) हेलपलाइन नंबर 15100 पर खर्च	1,65,71,839.00	92,10,866.00
v) आपराधिक न्याय प्रणाली में विधिक सहायता तक पहुँच पर क्षेत्रीय सम्मेलन – ग्लोबल साउथ	-	4,60,80,711.00
vi) उन्नत वाणिज्यिक मध्यस्थता प्रशिक्षण से संबंधित व्यय	7,87,732.00	-
कुल	1,73,59,571.00	5,52,91,577.00
अनुसूची -21-अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
i) क्रय	-	-
ii) मजदूरी और प्रक्रियात्मक व्यय	-	-
iii) भारवहन और परिवहन खर्च	-	-
iv) विद्युत और पावर	-	-
v) यात्रा खर्च	-	-
vi) मरम्मत और रख-रखाव	-	-
vii) वाहन खर्च और रख रखाव	-	-
viii) डाक, फोन और स्टेशनरी खर्च	-	-
ix) प्रिंटिंग और स्टेशनरी	-	-
x) यात्रा एवं यात्रा खर्च	-	-
xi) सदस्यता व्यय	-	-
xii) ऑडिटर्स मानदेय	-	-
xiii) व्यवसायिक शुल्क	-	-
xiv) खराब और दुविधापूर्ण कर्ज / एडवांस के लिए प्रावधान	-	-
xv) बैंक शुल्क	-	-
xvi) वार्षिक समारोह सहयोग व्यय	-	-
सेमिनार व्यय (पहली अखिल भारतीय डीएलएसए बैठक)	-	-
लोक अदालत खर्च - विशेष कर्तव्य व्यय	56,190.00	35,952.00
xvii) विशेष कर्तव्य भत्ता - आपराधिक न्याय प्रणाली में विधिक सहायता तक पहुँच पर क्षेत्रीय सम्मेलन – ग्लोबल साउथ	-	4,06,380.00
xviii) बैंक शुल्क	-	29.00
कुल	56,190.00	4,42,361.00
कुल (अ+ ब)	1,74,15,761.00	5,57,33,938.00



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि
प्राधिकरण का नाम –राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
31 मार्च 2025 के अनुसार बैलेंस शीट का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची - 22- अनुदानों, रियायतों आदि पर खर्च	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
i) एसएलएसए, एससीएलएससी, एनएलएएफ के एमएपीसी को संस्थानों / संगठनों को दिया गया अनुदान	1,98,18,91,514.00	1,94,49,85,730.00
ii) एलएडीसीएस योजना के लिए संस्थानों संगठनों को दिया गया अनुदान	1,47,92,50,000.00	2,00,00,00,000.00
iii) कमी: अनुदान का उपयोग नहीं किया गया और सरेंडर किया गया	(2,89,31,965.00)	(65,97,781.00)
iv) एसएलएसए द्वारा एलएडीसीएस योजना के अंतर्गत अनुदान सरेंडर किया गया	(33,25,56,620.00)	(2,50,000.00)
v) राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त अनुदान (एसएलएसए द्वारा वापसी) और संबंधित एसएलएसए को आवंटित	1,20,00,000.00	82,79,769.00
vi) दिशा योजना के लिए प्राप्त अनुदान और एसएलएसए द्वारा उपयोग	-	2,14,92,850.00
vii) भारतकोष के माध्यम से भारत की समेकित निधि में वापसी	3,00,74,858.00	-
viii) राष्ट्रीय महिला आयोग को अप्रयुक्त अनुदान की वापसी	2,109.00	4,05,906.00
कुल	3,14,17,29,896.00	3,96,83,16,474.00
परिशिष्ट के अनुसार		
अनुसूची -23-ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
i) स्थिर ऋण	-	-
ii) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
iii) अन्य	-	-
कुल	-	-



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

प्राधिकरण का नाम – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवंटित अनुदान – लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) योजना कोड – 4287:

(31 मार्च 2025 तक)

क्र.सं.	राज्य प्राधिकरणों के नाम	आवंटित अनुदान (₹)	(राशि रुपये में)
			राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उपयोग न की गई राशि तथा समर्पित/निरस्त की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2,01,00,000.00	1,27,36,991.00
2.	अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	75,00,000.00	75,00,000.00
3.	असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	12,20,00,000.00	30,26,789.00
4.	बिहार राज्य सेवा प्राधिकरण	4,40,00,000.00	2,12,44,764.00
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	6,56,00,000.00	2,26,82,846.00
6.	गोवा राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण	68,00,000.00	5,01,871.00
7.	गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	10,00,00,000.00	2,47,34,014.00
8.	हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	4,33,00,000.00	22,76,851.00
9.	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण	5,85,00,000.00	92,34,393.00
10.	जम्मू-काश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	1,85,00,000.00	1,00,00,000.00
11.	झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	6,01,00,000.00	1,59,78,800.00
12.	कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	7,40,00,000.00	3,92,45,927.00
13.	केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	3,50,00,000.00	1,49,51,880.00
14.	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	10,05,00,000.00	2,40,01,316.00
15.	महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	17,21,00,000.00	2,99,43,330.00
16.	मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	50,00,000.00	-
17.	मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	1,31,00,000.00	32,66,101.00
18.	मिज़ोरम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	53,00,000.00	30,00,000.00
19.	नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	70,00,000.00	-
20.	उड़ीसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	3,36,00,000.00	1,00,66,997.00
21.	पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	4,40,00,000.00	36,40,025.00
22.	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	5,70,00,000.00	23,18,991.00
23.	सिक्किम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	53,00,000.00	2,75,890.00
24.	तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	10,00,00,000.00	3,84,81,004.00
25.	तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	7,31,00,000.00	11,51,342.00
26.	त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2,15,00,000.00	1,42,44,258.00
27.	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	10,50,00,000.00	16,11,912.00
28.	उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2,70,00,000.00	-
29.	पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2,35,00,000.00	1,50,00,000.00
30.	के. शा. प्र. चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण	25,00,000.00	6,61,997.00
31.	दादरा नगर हवेली विधिक सेवा प्राधिकरण	7,00,000.00	3,38,226.00
32.	दमन और दिउ विधिक सेवा प्राधिकरण	16,50,000.00	-
33.	दिल्ली राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण	2,00,00,000.00	-
34.	के. शा. प्र. पुदुचेरी विधिक सेवा प्राधिकरण	20,00,000.00	40,105.00
35.	के. शा. प्र. लदाख विधिक सेवा प्राधिकरण	40,00,000.00	40,00,000.00
	कुल योग	1,47,92,50,000.00	33,25,56,620.00



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

प्राधिकरण का नाम – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान योजना कोड-2298 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि से विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवंटित अनुदान:

(31 मार्च 2025 तक)

(राशि रुपये में)		
क्र.सं.	राज्य प्राधिकरणों के नाम	आवंटित अनुदान (₹)
1.	आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	3,02,00,000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	5,50,00,000.00
3.	असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	5,96,00,000.00
4.	बिहार राज्य सेवा प्राधिकरण	9,15,00,000.00
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	4,81,00,000.00
6.	गोवा राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण	1,22,00,000.00
7.	गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	10,48,00,000.00
8.	हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	6,27,00,000.00
9.	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण	4,18,00,000.00
10.	जम्मू-काश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	6,75,00,000.00
11.	झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	4,83,00,000.00
12.	कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	8,99,65,797.00
13.	केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	6,48,00,000.00
14.	लक्षद्वीप विधिक सेवा प्राधिकरण	32,00,000.00
15.	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	8,50,00,000.00
16.	महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	11,23,00,000.00
17.	मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	8,61,00,000.00
18.	मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	1,68,00,000.00
19.	मिजोरम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2,94,00,000.00
20.	नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	1,84,00,000.00
21.	उड़ीसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	6,70,00,000.00
22.	पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	7,94,00,000.00
23.	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	6,32,00,000.00
24.	सिक्किम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	98,00,000.00
25.	तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	8,39,00,000.00
26.	तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	5,51,00,000.00
27.	त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2,38,00,000.00
28.	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	15,68,00,000.00
29.	उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	4,27,00,000.00
30.	पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	8,46,00,000.00
31.	अंडमान और निकोबार विधिक सेवा प्राधिकरण	36,00,000.00
32.	के. शा. प्र. चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण	2,75,717.00
33.	दमन और दिउ विधिक सेवा प्राधिकरण	18,50,000.00
34.	दिल्ली राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण	11,84,00,000.00
35.	के. शा. प्र. पुदुचेरी विधिक सेवा प्राधिकरण	62,00,000.00
36.	के. शा. प्र. लदाख विधिक सेवा प्राधिकरण	1,14,00,000.00
37.	दादरा नगर हवेली विधिक सेवा प्राधिकरण	12,00,000
38.	सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति (एससीएलएससी)	3,00,00,000.00
39.	मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी)	1,50,00,000.00
	कुल योग	1,98,18,91,514.00



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

प्राधिकरण का नाम – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

(31 मार्च 2025 तक)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अव्ययित (उपयोग न की गई) अनुदान राशि, जिसे समर्पित/समाप्त (लैप्स) का विवरण:

		(राशि रुपये में)
क	राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि से अनुदान सेंडर किया	852.00

ख	संबंधित राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा अनुदान सेंडर किया (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)	
क्र.सं.	राज्य प्राधिकरणों के नाम	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा अनुदान राशि का उपयोग नहीं किया गया और सेंडर हुआ (₹)
1.	असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	19,931.00
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	95,69,130.00
3.	गोवा राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण	6,55,622.00
4.	जम्मू-काश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	17,91,861.00
5.	झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	11,90,000.00
6.	सिक्किम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	28,00,002.00
7.	तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	13,77,217.00
8.	तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	1,80,715.00
9.	त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	67,112.00
10.	पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2,95,230.00
11.	अंडमान और निकोबार विधिक सेवा प्राधिकरण	28,67,375.00
12.	दादरा नगर हवेली विधिक सेवा प्राधिकरण	8,76,580.00
13.	लक्षद्वीप विधिक सेवा प्राधिकरण	15,00,107.00
14.	के. शा. प्र. पुदुचेरी विधिक सेवा प्राधिकरण	811.00
15.	के. शा. प्र. लदाख विधिक सेवा प्राधिकरण	20,31,278.00
16.	सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी)	10,924.00
17.	मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी)	36,98,070.00
	कुल योग	2,89,31,965.00

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति द्वारा उपयोग न की गई अनुदान राशि, जो वर्ष के अंत में समर्पित/लैप्स हो गई (क + ख)	2,89,32,817.00
---	-----------------------



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

प्राधिकरण का नाम – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

(31 मार्च 2025 तक)

राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त अनुदान, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवंटित किया गया:

क्र.सं.	राज्य प्राधिकरणों के नाम	आवंटित अनुदान (₹)
1.	आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	26,80,000.00
2.	गोवा राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण	40,000.00
3.	हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	5,60,000.00
4.	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण	3,40,000.00
5.	झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	10,60,000.00
6.	कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	9,60,000.00
7.	केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	6,20,000.00
8.	पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	6,20,000.00
9.	तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	15,60,000.00
10.	त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2,60,000.00
11.	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	33,00,000.00
	कुल योग	1,20,00,000.00



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

फॉर्म - 3

वर्षात - 31 मार्च, 2025 की समयावधि तक खातों का अनुसूची रूपण भाग

प्राधिकरण का नाम : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अनुसूची -24—महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीति प्रमाण पत्र

1. लेखांकन अभिसमय

वित्तीय लेखा—विवरण (स्टेटमेंट) ऐतिहासिक लागत रीतियों और लेखांकन के वास्तविक तरीकों के आधार पर होता है, बशर्ते कि इस बारे में अन्य निर्देश न हों।

2. सूची, निवेश, आस्थगित राजस्व और विक्रय

प्राधिकरण की कोई वस्तुसूची, निवेश, आस्थगित राजस्व व्यय और कोई विक्रय नहीं है।

3. सरकारी अनुदान / छूटें

- परियोजनाओं की व्यवस्था के लिए पूंजीगत लागत के लिए आर्थिक सहयोग की प्रकृति के सरकारी अनुदान को पूँजी संचय माना जायेगा।
- खरीदी गई विशिष्ट स्थिर संपत्तियों के संदर्भ में अनुदानों को कोर्पस फंड के अतिरिक्त दिखाया गया है।
- सरकारी अनुदान / छूटों का लेखा-जोखा वास्तविक आधार पर किया गया है।

4. विदेशी मुद्रा लेन-देन, लीज़ और उत्पाद—शुल्क

प्राधिकरण की कोई विदेशी मुद्रा, लीज़ और उत्पाद—शुल्क नहीं है।

5. अचल सम्पत्तियां :

- अचल सम्पत्तियों में आवक माल ढुलाई, शुल्क करों और अधिग्रहण से सम्बन्धित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों के अधिग्रहण की लागत बताई गयी है और निर्माण से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में, सम्बन्धित पूर्व परिचालन व्यय पूंजीकृत सम्पत्ति का हिस्सा होते हैं।
- वित्त वर्ष 2015-16 से, प्राधिकरण ने केवल उन्हीं अचल परिसम्पत्तियों का लेखा रखने का निर्णय लिया है, जिनका वित्त पोषण राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष से किया गया है।
चूंकि राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष के अंतर्गत किसी भी अचल परिसम्पत्ति का वित्त पोषण नहीं किया गया है इसलिए किन्हीं अचल परिसम्पत्तियों पर लक्षित नहीं किया गया है।

- बैलेंस शीट के तहत दिखाई गई इमारत को कॉरपस फंड से हटा दिया गया है, क्योंकि प्राधिकरण के नाम पर कोई भवन नहीं है।
- कंप्यूटर/पेरिफेरल्स, फर्नीचर और फिक्स्चर, कार्यालय उपकरण और वाहनों को कॉरपस फंड से बट्टे खाते में डाल दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष से वित्तपोषित प्राधिकरण के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 15(1)(सी) में प्रावधान है कि केंद्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष कहे जाने वाले कोष की स्थापना करेगा जिसमें किसी भी न्यायालय के आदेश के तहत या किसी भी न्यायालय से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किसी भी राशि का समावेश होगा। अतः अर्जित ब्याज को केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त राशि के रूप में लिया गया।

6. अवमूल्यन

आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट दरों के अनुसार “बकाया कम करने की विधि” पर मूल्य हास प्रदान किया गया है।

7. विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति को दिए गए अनुदान को वर्ष के व्यय के रूप में माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 से संबंधित राष्ट्रीय विधिक सहायता कोष (National Legal Aid Fund) के ₹353.30 करोड़ की उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificates) लंबित हैं।
8. वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) से ₹1.20 करोड़ प्राप्त हुए, पिछले वर्ष की शेष राशि ₹2,109/- तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के अप्रयुक्त अनुदान की राशि ₹91/-, जो ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वापस की गई थी (जिसे पहले ही NCW को वापस किया जा चुका है), प्राप्त हुई। इनमें से ₹1,20,00,000/- राशि विभिन्न 11 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को जमीनी स्तर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हेतु NALSA के सहयोग से वितरित की गई तथा ₹2,109/- राशि NALSA द्वारा NCW को वापस की गई।
9. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान PFMS के TSA मॉडल के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण को विधि एवं न्याय मंत्रालय से ₹200.00 करोड़ अनुदान प्राप्त हुआ तथा पिछले वर्ष की शेष राशि ₹5.18 करोड़ थी। इनमें से ₹198.19 करोड़ की अनुदान-राशि 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (SCLSC) तथा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जारी की गई, और ₹1,74,15,761/- राशि NALSA के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा अन्य विधिक सहायता कार्यक्रमों पर व्यय की गई।

10. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण को केंद्रीय क्षेत्र योजना "विधिक सहायता संरक्षण सलाहकार प्रणाली (Legal Aid Defense Counsel System – LADCS)" के लिए PFMS के हाइब्रिड TSA मॉडल के अंतर्गत विधि एवं न्याय मंत्रालय से ₹147.92 करोड़ अनुदान प्राप्त हुए। इनमें से ₹147.92 करोड़ राशि विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को अनुदान के रूप में वितरित की गई तथा पिछले वर्ष की शेष राशि ₹79.07 करोड़ (जो SLSA/DLSA के पास उपलब्ध थी) का भी उप-एजेंसियों द्वारा उपयोग किया गया।
11. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल ₹3,00,76,080/- (जिसमें ₹2,84,09,257/- का मूलधन तथा ₹16,65,601/- + ₹1,223/- का ब्याज शामिल है) राशि को भारत कोष के माध्यम से भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India – CFI) में जमा किया गया। यह जमा DISHA योजना (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India) के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) के रूप में NALSA द्वारा किया गया।
12. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक हुआ, पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

फॉर्म - 4

31 मार्च 2025 के अंत तक राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि आय और व्यय का अनुसूची रूपण भाग,
प्राधिकरण का नाम : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अनुसूची -25

फुटकर देनदारियों के सन्दर्भ में प्रमाणपत्र तथा लेखा टिप्पणियां

1. वर्ष के दौरान निम्न संदर्भित फुटकर देनदारियां -शून्य (पूर्व वर्ष -शून्य)

- ऋणों के रूप में किये जाने वाले दावे -शून्य
- सन्दर्भ में -
 - सत्व के आधार पर / वस्तुओं के रूप में दी जाने वाली बैंक गारंटियां -शून्य
 - सत्व के आधार पर बैंक द्वारा खोले जाने वाले लाभ पत्र -शून्य
 - बैंकों से छूट प्राप्त बिल -शून्य
- विवादित मांगों के सन्दर्भ में -
 - आयकर रुपयों में -शून्य
 - विक्रय कर -शून्य ॥
 - निगमीय कर -शून्य
- आदेशों को लागू न किये जाने के लिए पक्षों द्वारा किये गए दावे के सन्दर्भ में, लेकिन सत्व द्वारा प्रतिरोधित -शून्य

2. वर्ष के दौरान पूंजीगत वचन बद्धता -शून्य (पूर्व वर्ष -शून्य)

अनुबंधों की अनुमानित लागत पूंजी लेखा पर अमलनीय है तथा मुहैया नहीं कराई -(कुल अग्रिम)-शून्य

3. निम्न संदर्भित वर्ष के दौरान लीज़ उत्तरदायित्व -शून्य (पूर्व वर्ष)-- शून्य

वित्तीय लीज़ अनुबंधों के तहत संयंत्र और यंत्रगत राशि के लिए किराया आदि के भावी दायित्व -शून्य

4. वर्तमान सम्पत्तियां, ऋण और एडवांस

प्रबन्धन की राय में, वर्तमान सम्पत्तियां, ऋण और एडवांसें का मूल्य व्यापार के अनुसार ही लगाया गया है, जो बैलेंस शीट में दिखाई गयी औसत राशी के निकटतम रूप के समान है।

5. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961

के तहत कर योग्य कुछ न होने के कारण, आयकर का कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया।

6. संदर्भित वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का संव्यवहार

शून्य (पूर्व वर्ष – शून्य)

विवरण	राशि रुपयों में	
	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सी.आई.एफ़. आधार पर आंकलित आयातों का मूल्य	शून्य	शून्य
समाप्त वस्तुओं की खरीद	शून्य	शून्य
कच्चा सामान और कम्प्यूटर्स (पारगमन में शामिल)	शून्य	शून्य
पूंजीगत वस्तुएं	शून्य	शून्य
दुकानें, कलपुर्जे और उपभोग्य वस्तुएं	शून्य	शून्य
2. विदेशी मुद्रा में व्यय		
यात्रा	शून्य	शून्य
भुगतान वापसी और ब्याज भुगतान वित्तीय संस्थानों / विदेशी मुद्रा के बैंक	शून्य	शून्य
बिक्री पर कमीशन		
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय		
विविध व्यय		
3. आय / कमाई	शून्य	शून्य
एफ.ओ.बी. (FOB) आधार पर निर्यात का मूल्य		
4. लेखा परीक्षकों को दिया गया पारिश्रमिक		
कर संबंधी मामलों के लिए	शून्य	शून्य
प्रबंधन सेवाओं के लिए	शून्य	शून्य
प्रमाणन हेतु	शून्य	शून्य

7. परिशिष्ट 1 से 23 संलग्न हैं और वे आय एवं व्यय, प्राप्ति एवं भुगतान तथा वर्ष के अंत तक की बैलेंस शीट सहित वार्षिक लेखों का अभिन्न हिस्सा बनते हैं।

8. पिछली वर्ष की संबंधित आंकड़ों को जहाँ आवश्यक हुआ, वहाँ पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

उपयोगिता प्रमाण पत्र

अ - नालसा फंड

वित्त वर्ष 2024-25

क्र. सं.	विवरण फाइल सं. तथा तिथि	राशि रु. में	
1.	प.फा.सं. ए.60011/6/2024- एल.ए.पी. (जे.यू.एस.) तिथि 13.05.2024	83,00,00,000	प्रमाणित किया जाता है कि पिछले वर्ष का ₹5,18,42,195/- का शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹200,00,00,000/- की अनुदान राशि (जिसका विवरण मार्जिन में TSA मॉडल के माध्यम से PFMS द्वारा दिया गया है), प्राप्त लागत ₹16,30,000/-, प्राप्त ब्याज ₹18,16,864/-, चंडीगढ़ यू.टी. लीगल सर्विस अथॉरिटी से प्राप्त ब्याज ₹81,123/-, एच.पी., सिक्किम तथा कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वाहन की नीलामी से प्राप्त ₹7,46,773/- तथा एडवांस कमर्शियल मेडिएशन ट्रेनिंग हेतु प्राप्त ₹9,90,001/- और बैंक शुल्क एवं अन्य ₹625/- जोड़कर कुल ₹205,71,07,581/- होता है। जिसमें से ₹1,98,18,91,514/- विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, SCLSC एवं MCPC को अनुदान के रूप में वितरित किए गए (₹2,89,31,965/- अप्रयुक्त रहे तथा SLSAs, SCLSC एवं MCPC के संबंध में समर्पित/मियाद समाप्त हो गए)। इसके अतिरिक्त, ₹1,74,15,761/- NALSA के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा अन्य विधिक सहायता कार्यक्रमों पर व्यय किए गए, ₹6,91,873/- पिछले वर्ष के देयकों हेतु NALSA के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर के लिए भुगतान किए गए, ₹3,410/- डूडा को पिछले वर्ष के देयकों हेतु भुगतान किए गए, ₹72,025/- पिछले वर्ष के TDS (GST पर) के लिए भुगतान किए गए, ₹3,840/- अतिरिक्त GST के रूप में भुगतान किए गए, ₹852/- नेशनल लीगल एड फंड से
2.	प.फा.सं. ए.60011/6/2024- एल.ए.पी. (जे.यू.एस.) तिथि 07.10.2024	67,00,00,000	
3.	प.फा.सं. ए.60011/6/2024- एल.ए.पी. (जे.यू.एस.) तिथि 18.12.2024	50,00,00,000	

क्र. सं.	विवरण फाइल सं. तथा तिथि	राशि रु. में	
			समर्पित/मियाद समाप्त हुए, तथा ₹12,79,478/- DISHA खाते में स्थानांतरित किए गए ताकि ब्याज राशि भारत कोष के माध्यम से CFI में जमा की जा सके। इसके अलावा, ₹30,798/- TDS जमा करने हेतु देय हैं, और ₹5,57,79,625/- की शेष राशि NALSA के राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि में बैंक के पास उपलब्ध है।
	कुल	200,00,00,000	

प्रमाणित किया जाता है कि हम संतुष्ट हैं कि जिन शर्तों पर अनुदान राशि का अनुमोदन किया गया था, उनका पालन किया गया है और दी गयी राशि का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसके लिए वह दी गयी थी।

जाँच प्रक्रिया के प्रकार:-

1. लेखा परीक्षित खाते
2. मूल वाउचर
3. मूल उपयोगिता प्रमाणपत्र



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

उपयोगिता प्रमाण पत्र
ब - लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम
वित्त वर्ष 2024-25

क्र. सं.	विवरण फाइल सं. तथा तिथि	राशि रु. में	
1.	प.फा.सं. ए - 60011/22/2023-एल.ए.पी. (जे.यू.एस.) - पार्ट (2) (ई- 8954) तिथि 20.09.2024	50,00,00,000	प्रमाणित किया जाता है कि पिछले वर्ष का ₹0/- का शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹147,92,50,000/- की अनुदान राशि (जिसका विवरण मार्जिन में PFMS के हाइब्रिड TSA मॉडल के माध्यम से दिया गया है) के साथ जोड़ा गया। जिसमें से ₹147,92,50,000/- विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को अनुदान के रूप में वितरित किए गए। जिसमें से ₹33,25,56,620/- PFMS के हाइब्रिड TSA मॉडल के अंतर्गत SLSAs से संबंधित अप्रयुक्त रहे तथा समर्पित/मियाद समाप्त हो गए।
2.	प.फा.सं. ए - 60011/22/2023-एल.ए.पी. (जे.यू.एस.) - पार्ट (2) (ई- 8954) तिथि 14.01.2025	50,00,00,000	
3.	प.फा.सं. ए - 60011/22/2023-एल.ए.पी. (जे.यू.एस.) - पार्ट (2) (ई- 8954) तिथि 12.03.2025	50,00,00,000	
	कुल	147,92,50,000	

प्रमाणित किया जाता है कि हमने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर अनुदान-सहायता स्वीकृत की गई थी, वे विधिवत पूरी की गई है तथा धनराशि का उपयोग वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

जाँच प्रक्रिया के प्रकार:-

1. लेखा परीक्षित खाते
2. मूल वाउचर
3. मूल उपयोगिता प्रमाणपत्र



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

उपयोगिता प्रमाण पत्र
स - राष्ट्रीय महिला आयोग फंड
वित्त वर्ष 2024-25

क्र.सं.	विवरण फाइल सं. तथा तिथि	राशि रु. में	
1.	प.सं. 05-3/3/2023/WW&CBC (NCW) दिनांक: 01/08/2024	50,00,000.00	प्रमाणित किया जाता है कि पिछले वर्ष की ₹2,109/- की अप्रयुक्त शेष राशि, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹1,20,00,000/- की अनुदान राशि (जिसका विवरण मार्जिन में दिया गया है) तथा ओडिशा SLSA से NCW फंड के रूप में वापस प्राप्त ₹91/- को जोड़कर कुल ₹1,20,02,200/- होती है। जिसमें से ₹1,20,00,000/- विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को एनसीडब्ल्यू के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु वितरित किए गए, ₹2,109/- NALSA द्वारा NCW को वापस किए गए, तथा ₹91/- की अप्रयुक्त शेष राशि भी पहले ही वापस की जा चुकी है।
2.	प.सं. 05-3/3/2023/WW&CBC (NCW) दिनांक: 21/11/2024	70,00,000.00	
	कुल	1,20,00,000.00	

प्रमाणित किया जाता है कि हमने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर अनुदान-सहायता स्वीकृत की गई थी, वे विधिवत पूरी की गई हैं तथा धनराशि का उपयोग वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

जांच के प्रकार:-

1. लेखापरीक्षित खाते।
2. मूल वाउचर
3. मूल उपयोग प्रमाण-पत्र



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव

उपयोगिता प्रमाण पत्र

द. डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया

(DISHA) योजना कोड: 3955

वित्त वर्ष 2024-25

क्र.सं.	विवरण फाइल सं. तथा तिथि	राशि रु. में	
		0.00	प्रमाणित किया जाता है कि पिछले वर्ष की ₹2,86,10,758/- की शेष राशि, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹Nil अनुदान (जिसका विवरण मार्जिन में दिया गया है), राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि से प्राप्त ₹12,79,478/- (जिसे CFI में स्थानांतरित करने हेतु रखा गया था) तथा बैंक से प्राप्त ब्याज ₹1,85,844/- को जोड़कर कुल ₹3,00,76,080/- होता है। जिसमें से ₹3,00,74,858/- भारत कोष के माध्यम से भारत की समेकित निधि (CFI) में जमा कराए गए, तथा ₹1,222/- की अप्रयुक्त शेष राशि NALSA के CNA खाते में बैंक में उपलब्ध है।
	कुल	0.00	

प्रमाणित किया जाता है कि हमने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर अनुदान-सहायता स्वीकृत की गई थी, वे विधिवत पूरी की गई हैं तथा धनराशि का उपयोग वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

जांच के प्रकार:-

1. लेखापरीक्षित खाते।
2. मूल वाउचर
3. मूल उपयोग प्रमाण-पत्र



लेखा अधिकारी



सदस्य सचिव



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

2024-25

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ऑडिट रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के खातों पर राय (वित्त वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए)

राय

हमने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति विवरण, आय एवं व्यय खाता/प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश सम्मिलित हैं। यह लेखा-परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18 के साथ पढ़ी जाने वाली प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

यह लेखा-प्रतिवेदन केवल लेखांकन उपचार से संबंधित टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है — जैसे वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरूपता, लेखा मानक, प्रकटीकरण मानदंड आदि। वित्तीय लेन-देन से संबंधित कानून, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा दक्षता एवं प्रदर्शन संबंधी पहलुओं पर टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, पृथक निरीक्षण प्रतिवेदनों/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखा रिपोर्टों में अलग से दी जाती हैं।

हमारी राय में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के संलग्न वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर नोट्स तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण मिलता है, तथा खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार, उसके वित्तीय निष्पादन और समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का भी सही और निष्पक्ष विवरण मिलता है।

राय का आधार

हमने अपना लेखा-परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा-परीक्षण विनियमों/मानकों/मैनुअल/ दिशा-निर्देशों/मार्गदर्शक टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया। हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के उस खंड में वर्णित हैं जो “वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण हेतु लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियाँ” शीर्षक से है। हम इस स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं और हमने लेखा-परीक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा अन्य नैतिक दायित्वों का भी निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षण साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं जो हमारी राय का उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

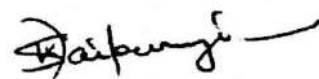
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक-प्रमुख भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान न्यायाधीश से परामर्श कर, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव पर यह जिम्मेदारी है कि वे खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और उनके

निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करें, तथा ऐसा आंतरिक नियंत्रण स्थापित करें जैसा प्रबंधन आवश्यक समझे, ताकि वित्तीय विवरणों की तैयारी में किसी प्रकार की भौतिक त्रुटि — चाहे वह धोखाधड़ी या भूल के कारण हो — न रह जाए।

वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी भौतिक त्रुटि (Material Misstatement) से मुक्त हैं — चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या भूलवश — और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा-परीक्षण विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशा-निर्देशों/मार्गदर्शक टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुरूप अपनी राय सहित एक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से



निदेशक जनरल ऑडिट (केंद्रीय व्यय)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17.10.2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

A. बैलेंस शीट

A.1 कोष/राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि और देयताएँ

A.1.1 चालू देयताएँ एवं प्रावधान (अनुसूची-7) – ₹8.97 लाख

A.1.1.1 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को अप्रयुक्त अनुदानों पर ₹20.03 लाख का ब्याज प्राप्त हुआ। तथापि, इस राशि को न तो मंत्रालय को वापस किया गया और न ही चालू देयताओं एवं प्रावधानों के अंतर्गत देयता के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसके परिणामस्वरूप देनदारियों को कम दर्शाया गया और कॉर्पस फंड को 20.03 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया।

A.1.1.2 उपरोक्त में ₹554.19 लाख की वह राशि शामिल नहीं है, जो राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पास अप्रयुक्त शेष राशि के रूप में दर्शाई गई है। इस अप्रयुक्त राशि को या तो भारत सरकार को वापस किया जाना चाहिए था या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वर्ष 2024-25 की लेखा पुस्तकों में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था।

इससे चालू देयताओं का ₹554.19 लाख का कम प्रदर्शन और राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि का उतना ही अधिक प्रदर्शन हुआ।

B. आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

a. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं पाई गई, भर्ती नियम और सेवा विनियम तैयार नहीं किए गए तथा कर्मचारियों को कौशल उन्नयन हेतु कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

b. आंतरिक लेखा-परीक्षण प्रणाली की पर्याप्तता :

प्राधिकरण में कोई आंतरिक लेखा-परीक्षण विभाग या प्रकोष्ठ (Cell) स्थापित नहीं है। NALSA का आंतरिक लेखा-परीक्षण मुख्य लेखा नियंत्रक (CCA), विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखा-परीक्षण केवल वर्ष 2018-19 तक ही किया गया, जबकि 2019-20 से 2024-25 तक के वर्षों का आंतरिक लेखा-परीक्षण अब तक लंबित है।

c. स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रणाली :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया और कोई विसंगति नहीं पाई गई।

d. भंडार के भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

लागू नहीं है, क्योंकि भंडार अनुदान राशि से नहीं खरीदा गया।

e. वैधानिक देयों के भुगतान की नियमितता

31.03.2024 तक कोई भी वैधानिक देय राशि बकाया नहीं थी।

C. अनुदान सहायता

i) राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधि एवं न्याय मंत्रालय से ₹200.00 करोड़ की अनुदान सहायता (Grant-in-Aid) प्राप्त हुई। पिछले वर्षों की अप्रयुक्त शेष राशि ₹5.18 करोड़ थी। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को आंतरिक प्राप्तियाँ के रूप में ₹0.53 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार, कुल उपलब्ध निधि ₹205.71 करोड़ में से, NALSA ने ₹200.13 करोड़ व्यय किए, जिससे ₹5.58 करोड़ की राशि शेष रह गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को जारी की गई ₹198.19 करोड़ की अनुदान राशि में से ₹2.89 करोड़ की राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा भारत सरकार को समर्पित (Lapsed) हो गई।

ii) विधिक बचाव परामर्शदाता प्रणाली:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को वर्ष 2024-25 के दौरान LADCS योजना हेतु ₹147.93 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। विधिक रक्षा परामर्शदाता प्रणाली ने ₹147.93 करोड़ की राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को जारी कर दी, जिससे 31 मार्च 2025 तक अप्रयुक्त शेष राशि "शून्य" (Nil) रही। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को जारी ₹147.93 करोड़ की अनुदान राशि में से ₹33.26 करोड़ की राशि भारत सरकार को समर्पित (Lapsed) हो गई।

iii) दिशा निधि:

वित्तीय वर्ष के दौरान दिशा योजना के लिए कोई नई अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई।

पिछले वर्ष की ₹2.86 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि और ₹0.15 करोड़ की आंतरिक आय प्राप्त हुई।

इस प्रकार, कुल उपलब्ध निधि ₹3.01 करोड़ में से ₹3.01 करोड़ की राशि केंद्रीय निधि (CFI) में जमा कर दी गई, एवं जिससे केवल ₹1222/- की राशि शेष रह गई।

iv) राष्ट्रीय महिला आयोग निधि:

नालसा को वर्ष 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) से 1.20 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान प्राप्त हुआ, नालसा ने 1.20 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया और शेष 2200 रुपये एनसीडब्ल्यू को वापस कर दी, जिससे 31 मार्च 2025 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में शून्य रुपये की राशि शेष रह गई।

अनुलग्नक

संदर्भ: डी.ओ. सं. AMG-I/04/-90/SAR/NALSA/2925-26/ दिनांक 10.10.2025

1. ₹11,000 की राशि एनएएलएसए द्वारा 12.01.2023 को एक बच्चे को पुरस्कार राशि के रूप में दी गई थी, जिसने 14.11.2022 को आयोजित संपूर्ण भारत विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। हालांकि, यह राशि 24.01.2023 को एनएएलएसए के खाते में वापस कर दी गई। ₹11,000/- की यह राशि अनुसूची-7 में वर्तमान देनदारी के रूप में प्रदर्शित नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, वर्तमान देनदारी को ₹11,000/- से कम और कोर्पस फंड को ₹11,000/- से अधिक दिखाया गया है। यह टिप्पणी पिछले वर्षों की वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (SAR) में भी उठाई गई थी।
2. कोर्पस फंड/राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि में किए गए समायोजन, जिसमें आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित राशि का समावेश भी है, सीधे बैलेंस शीट में दर्शाए गए हैं, परंतु संबंधित अनुसूची-1 में इनका उल्लेख नहीं किया गया है।
3. नालसा को तीन राज्यों की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से वाहनों की नीलामी/निरस्तीकरण (Condemnation of vehicles) के मद में ₹7,46,773/- तथा यू.टी. चंडीगढ़ से बचत पर ब्याज के रूप में ₹81,123/- प्राप्त हुए थे। तथापि, इन राशियों को भारत की समेकित निधि में जमा नहीं किया गया।



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

2024-25

वार्षिक रिपोर्ट

सूची

क्रम सं.	अंतर्वस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1.	परिचय	163-164
2.	विधिक सेवा संस्थानों का संगठनात्मक ढांचा (ऑर्गनोग्राम)	165
3.	सम्मेलन, भ्रमण, एवं नालसा की सहयोगात्मक पहले - ओडिशा राज्य के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का राज्य सम्मेलन। - हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का राज्य सम्मेलन। - तमिलनाडु और पुडुचेरी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का राज्य सम्मेलन। - केरल और लक्षद्वीप के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का राज्य सम्मेलन। - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का राज्य सम्मेलन। - पंजाब, हरियाणा एवं संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का क्षेत्रीय सम्मेलन। - मध्यस्थता पर क्षेत्रीय सम्मेलन।	166-175
4.	केंद्र शासित प्रदेशों के विधिक सेवा प्राधिकरणों को 02 करोड़ रुपये से कम की धनराशि प्रदान किए जाने का विवरण	176-177
5.	राष्ट्रीय लोक अदालत	178-181
6.	विधिक जागरूकता और जनसंपर्क कार्यक्रम “विधि से समाधान” पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग - मानवाधिकार दिवस – 2024 - जेलों में विधिक जागरूकता - राज्य स्तरीय जन-जागरूकता भ्रमण - विधिक सेवा दिवस – 2024 - मेगा विधिक सेवा शिविर - अन्य विधिक जागरूकता एवं जन-संपर्क कार्यक्रम।	182-196
7.	यूटीआरसी (UTRC) रूपरेखा एवं त्रैमासिक बैठकें	197-199

क्रम सं.	अंतर्वस्तु	पृष्ठ क्रमांक
8.	विधिक सेवा संस्थानों (LSIs) द्वारा क्षमता निर्माण • ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ। • 15 घंटे का उन्नत वाणिज्यिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर। • क्षमता निर्माण एवं विधिक सशक्तिकरण संबंधी पहलें।	200-205
9.	नालसा योजनाएँ, मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) एवं दिशा-निर्देश • बालकों तथा मानसिक रोग या बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों हेतु नालसा योजनाओं का पुनरीक्षण।	206
10.	सफलता की कहानियाँ	207-209
11.	सांख्यिकीय मुख्य बिंदु • वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) एवं मध्यस्थता से संबंधित सांख्यिकीय विवरण। • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रदान की गई विधिक सेवाओं के लाभार्थियों से संबंधित आँकड़े। • विधिक साक्षरता / विधिक जागरूकता शिविरों एवं कार्यक्रमों से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी। • पैरा-लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) से संबंधित सांख्यिकीय विवरण। • स्थायी लोक अदालतों (Permanent Lok Adalats) से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी। • राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs/DLSAs) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित आँकड़े। • धारा 357-A दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पीड़ित प्रतिकर योजना (Victim Compensation Scheme) से संबंधित सांख्यिकीय विवरण।	210-234
12.	लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम	235-244

परिचय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39(क) यह प्रावधान करता है कि न्याय प्राप्त करने के अवसर किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के कारण वंचित न किए जाएँ, इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। अनुच्छेद 14 और 22(1) राज्य को कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपते हैं। वर्ष 1987 में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक संपूर्ण देश में समान तंत्र स्थापित करना था।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन 9 नवम्बर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया। नालसा का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करना है ताकि किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर आर्थिक या अन्य कारणों से वंचित न हों। इसके अतिरिक्त, नालसा लोक अदालतों का आयोजन करती है ताकि विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जा सके। माननीय डॉ. न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, भारत के मुख्य न्यायाधीश, नालसा के मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) हैं तथा माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) हैं।

प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority – SLSA) का गठन किया गया है ताकि नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके, जनता को निःशुल्क विधिक सेवाएँ दी जा सकें तथा अपने-अपने राज्यों में लोक अदालतों, विधिक साक्षरता और जन-जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया जा सके। इसी प्रकार, प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority – DLSA) और तालुक विधिक सेवा समिति (Taluk Legal Services Committee – TLSC) का गठन किया गया है ताकि जिला एवं तालुक स्तर पर विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू किया जा सके।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेवाओं के पात्र हैं—

- (a) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य;
- (b) संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति का शिकार व्यक्ति;
- (c) कोई महिला या बालक;
- (d) कोई मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा विकलांग व्यक्ति;

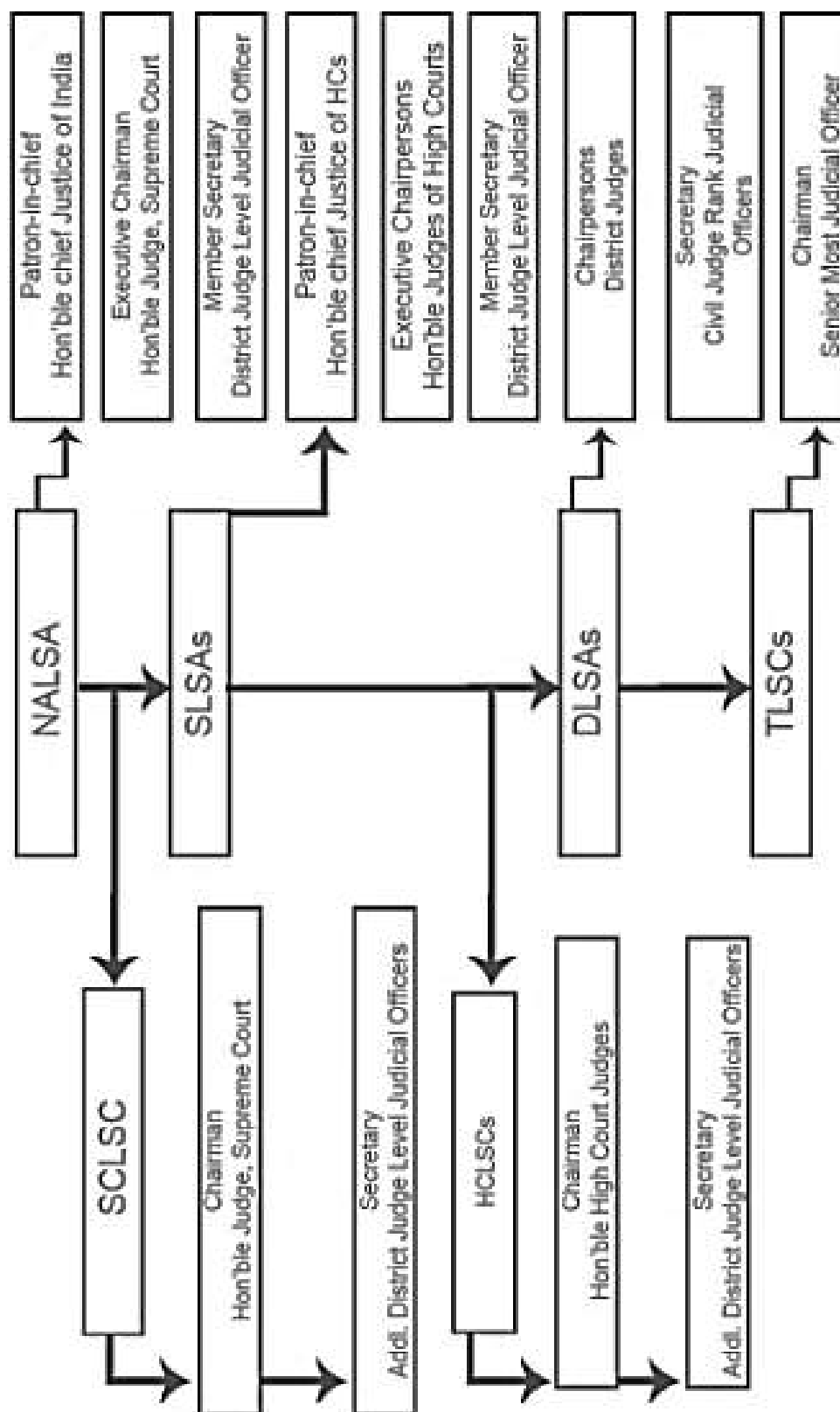
- (e) कोई ऐसा व्यक्ति जो अवांछित परिस्थिति में हो, जैसे सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जाति आधारित अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक दुर्घटना का शिकार;
- (f) कोई औद्योगिक श्रमिक;
- (g) कोई व्यक्ति जो हिरासत में हो चाहे वह सुरक्षागृह (Protective Home) में हो (अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ग) के अर्थ में), या किशोर गृह (Juvenile Home) में (किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2(ज) के अर्थ में), या मानसिक चिकित्सालय/नर्सिंग होम में (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2(ग) के अर्थ में);
- (h) कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय उस राशि से कम हो जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है (यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन है), और यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो ₹5 लाख से कम।

नालसा का आदर्श वाक्य है “न्याय सब के लिए” (Access to Justice for All) और इसका दृष्टिकोण है “एक समावेशी विधिक प्रणाली को बढ़ावा देना ताकि समाज के हाशिए पर स्थित और वंचित वर्गों को सार्थक न्याय प्राप्त हो सके।”

इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, नालसा का मिशन है “समाज के हाशिए पर स्थित एवं बहिष्कृत समूहों को विधिक रूप से सशक्त बनाना, प्रभावी विधिक प्रतिनिधित्व, विधिक साक्षरता और जागरूकता के माध्यम से, तथा विधिक रूप से उपलब्ध लाभों और पात्र लाभार्थियों के बीच की खाई को पाटना।”

इन सभी सिद्धांतों के माध्यम से नालसा की यह दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है कि वह एक न्यायपूर्ण, समावेशी और समान समाज का निर्माण करे, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कोई भी हो अपने न्याय के अधिकार को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके।

ORGANOGRAM OF LEGAL SERVICES AUTHORITIES/COMMITTEES



नालसा के सम्मेलन, दौरे एवं सहयोगात्मक पहलें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर कई सम्मेलन और संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य था विधिक सहायता वितरण में आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों (best practices) को साझा करना, और देशभर में न्याय तक पहुंच को सशक्त बनाने की रणनीतियाँ तैयार करना। इन पहलों के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs), जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) तथा न्याय प्रणाली से जुड़े अन्य हितधारकों के बीच सहयोग, समन्वय और साझा उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहन मिला।

नीचे वर्ष के दौरान आयोजित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है।



Vignette from State Conference of DLSAs of Odisha on 17th August, 2024
at the Odisha Judicial Academy, Cuttack, Odisha

17 अगस्त 2024 को ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का सम्मेलन ओडिशा न्यायिक अकादमी, कटक में आयोजित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने की। इस अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, मुख्य न्यायाधीश, ओडिशा उच्च न्यायालय एवं संरक्षक अध्यक्ष, OSLSA, तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण उपस्थित थे। राज्य के विभिन्न जिलों से जिला न्यायाधीश-सह-अध्यक्षगण, 30 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) के सचिव एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जनसंपर्क एवं न्यायालय-आधारित

विधिक सेवाओं में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) तंत्र को बढ़ावा देना, नवाचारपूर्ण कार्यप्रणालियों को साझा करना तथा सहयोग को सुदृढ़ बनाना था, ताकि न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

STATE CONFERENCE OF DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES OF HIMACHAL PRADESH, PUNJAB, HARYANA & CHANDIGARH



Vignette from State Conference of DLSAs of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana & Chandigarh at Dalhousie, Himachal Pradesh

6 अक्टूबर 2024 को, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का राज्य स्तरीय सम्मेलन नालसा के तत्वावधान में डलहौज़ी, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना, साझी चुनौतियों का समाधान करना, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना तथा क्षेत्र में विधिक सहायता और न्याय सेवाओं के वितरण को सशक्त बनाना था।

कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा; माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव शकधर, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं संरक्षक-प्रमुख, HPSLSA; माननीय श्री न्यायमूर्ति जी. एस. संधावालिया; माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण पाली; माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति लीसा गिल तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने। इसके अतिरिक्त नालसा, PSLSA, HSLSA एवं चंडीगढ़ SLSA के सदस्य सचिव और अधिकारीगण, साथ ही DLSAs के अध्यक्ष एवं सचिव, पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs), विधिक सहायता अधिवक्ता तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

अपने संबोधन में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने विधिक सेवा संस्थाओं के मूल उद्देश्य तथा न्याय प्रणाली में उलझे हुए व्यक्तियों की सहायता करने में विधिक सहायता कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने गिरफ्तारी से पूर्व एवं गिरफ्तारी की अवस्था में विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया, साथ ही अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटियों (Under Trial Review Committees) को सशक्त बनाने और लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (Legal Aid Defense Counsel System) का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। न्यायमूर्ति खन्ना ने विधिक सेवाएँ प्रबंधन प्रणाली (Legal Services Management System) और विधिक सेवा केस प्रबंधन प्रणाली (Legal Aid Case Management System) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित करते हुए नालसा की राष्ट्रीय हेल्पलाइन (15100) के व्यापक प्रचार-प्रसार का आह्वान किया।

Vignette from State Conference of DLSAs of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana & Chandigarh at Dalhousie, Himachal Pradesh



STATE CONFERENCE OF DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES OF TAMIL NADU AND PUDUCHERRY

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स (अधिकार मित्र) से भी संवाद किया, उनके समर्पण और निष्ठा की सराहना की तथा उन्हें विधिक सहायता क्लिनिकों, पुलिस थानों और सार्वजनिक कार्यालयों में रणनीतिक रूप से तैनात होकर नागरिकों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आगे ई-सेवा केंद्रों (e-Seva Kendras) और मोबाइल वैनों के उपयोग पर बल दिया, ताकि विधिक जागरूकता को बढ़ाया जा सके और दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच को और भी अधिक सुलभ बनाया जा सके।

28 अप्रैल 2024 को माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) के अध्यक्षों और सचिवों को मद्रास उच्च न्यायालय के ADR भवन में आयोजित सम्मेलन के दौरान संबोधित

किया। यह सम्मेलन DLSAs द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर चर्चा करने, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा अपनाई गई नवपरिवर्त्तात्मक कार्यप्रणालियों को साझा करने तथा प्रभावी विधिक सहायता वितरण के लिए आगे की रणनीति तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया।

उसी दिन बाद में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मदुरै सेंट्रल जेल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने कारागार प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने, कैदियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने, प्रदान की जा रही विधिक सेवाओं की समीक्षा करने तथा सुधार के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने का उद्देश्य रखा। अपने दौरे के दौरान उन्होंने बैरेक, कारागार अस्पताल, रसोईघर, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र तथा कारागार विधिक सेवा क्लीनिक का निरीक्षण किया और कैदियों, जेल अधिकारियों, चिकित्सकों एवं परामर्शदाताओं से संवाद किया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने PRISM नामक गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा DLSA मदुरै और कारागार प्राधिकरणों के सहयोग से प्रारंभ किए गए “PATTAM परियोजना” शीर्षक दोषी पैरा लीगल वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (Convict Paralegal Volunteer Training Programme) का उद्घाटन भी किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने वेल्लारिपट्टी ग्राम में आयोजित विधिक सहायता शिविर का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने ग्रामवासियों से संवाद किया और उन्हें विधिक जागरूकता पहलों में सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया।



Vignettes from the Conference of DLSAs of Tamil Nadu and Puducherry
at Chennai, Tamil Nadu on 28th April, 2024

STATE CONFERENCE OF DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES OF KERALA AND LAKSHADWEEP



Vignettes from the Conference of DLSAs of Kerala and Lakshadweep on 6th June, 2024

केरल और लक्षद्वीप के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) का राज्य स्तरीय सम्मेलन 6 जून 2024 को केरल उच्च न्यायालय के ऑडिटोरियम, कोच्चि में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने की। कार्यक्रम में माननीय श्री न्यायमूर्ति आशीष के. देसाई, मुख्य न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय एवं संरक्षक-प्रमुख, KeLSA; माननीय श्री न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक, न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, KeLSA; साथ ही नालसा और KeLSA के सदस्य सचिवगण तथा ADR केंद्र के निदेशक भी उपस्थित थे।

अपने दौरे के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एर्नाकुलम स्थित लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स (Legal Aid Defense Counsels) के कार्यालय, कक्कनाड की जिला जेल एवं महिला जेल तथा कडमक्कुडी ग्राम का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विधिक सहायता कर्मियों और ग्रामवासियों से संवाद किया। यह सम्मेलन हितधारकों को न्याय तक पहुंच को सशक्त बनाने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने तथा विधिक सहायता वितरण के लिए नवोन्मेषी उपायों की खोज करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।

STATE CONFERENCE OF DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES OF JAMMU & KASHMIR AND LADAKH

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने 17 जून से 22 जून 2024 तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का दौरा किया, जहाँ उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) के राज्य स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया।

17 जून को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सेंट्रल प्रिजन, श्रीनगर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने कैदियों, जेल अधिकारियों तथा प्रिजन लीगल एड क्लीनिक के कर्मियों से संवाद किया। 19 जून को उन्होंने लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण एवं DLSA कारगिल द्वारा आयोजित सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, नागरिक समाज के सदस्यों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों, तथा मिशन शक्ति एवं मिशन पोषण के कार्यकर्ताओं से संवाद किया।

21 जून को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी, श्रीनगर में आयोजित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) के राज्य स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में माननीय श्री न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह, मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय एवं संरक्षक-प्रमुख, JKSLSA; माननीय श्री न्यायमूर्ति ताशी रब्स्तन, न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, JKSLSA; तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन, न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित रहे।



Vignettes from the Conference of DLSAs of Jammu & Kashmir and Ladakh in June, 2024

REGIONAL CONFERENCE OF PUNJAB, HARYANA AND U.T CHANDIGARH SLSAs



17 नवंबर 2024 को पंजाब, हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) ने संयुक्त रूप से “हाशिए पर स्थित लोगों का सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम”

विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में किया। इस अवसर की शोभा माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने बढ़ाई, जो इस पद पर उनका पहला आधिकारिक कार्यक्रम था। सम्मेलन के दौरान Victim Care and Support System का शुभारंभ किया गया- यह पहल अपराध पीड़ितों को आघात से उबरने और समाज में पुनः एकीकृत होने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, ड्रग जागरूकता वीडियो का अनावरण किया गया, जिसे आयोजक SLSAs द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया गया है, ताकि जनता को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों के बारे में शिक्षित किया जा सके। साथ ही, ऑनलाइन अकाउंट्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जो वित्तीय लेनदेन के सुरक्षित और पारदर्शी प्रबंधन के लिए एक नई प्रणाली प्रदान करता है।



30 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MSLSA) ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की मध्यस्थता समिति के सहयोग से मध्यस्थता पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के अंतर्गत विवाद समाधान में मध्यस्थता की परिवर्तनकारी भूमिका पर बल दिया, जो विवादों में कमी लाने और सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने में सहायक है। इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति गवई ने महाराष्ट्र SLSA की “मध्यस्थता पर पुस्तिका (Handbook on Mediation)”, MSLSA का थीम सॉन्ग तथा निःशुल्क विधिक सहायता पर सोशल मीडिया संदेश का ई-लॉन्च जारी किया, जिससे विधिक सेवाओं में आधुनिक जनसंपर्क पहलों के समावेशन पर बल दिया गया। कार्यक्रम में माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय एवं संरक्षक-प्रमुख, MSLSA द्वारा दिए गए मुख्य संबोधनों ने सुलभ न्याय सुनिश्चित करने में मध्यस्थता के महत्व को और सुदृढ़ किया।

मुख्य निष्कर्ष

1. विधिक सेवा संस्थाओं का सशक्तिकरण:

सभी क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय सम्मेलनों में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य एवं जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों की कार्यकुशलता, समन्वय और जनसंपर्क को सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि न्याय की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

2. न्याय तक पहुंच और समावेशिता पर बल:

प्रत्येक सम्मेलन ने नालसा के “न्याय सब के लिए” (Access to Justice for All) के दृष्टिकोण को पुनः सशक्त किया, और समाज के वंचित एवं हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए समान विधिक सहायता और सार्थक न्याय की आवश्यकता पर बल दिया।

3. गिरफ्तारी-पूर्व और गिरफ्तारी की अवस्था में विधिक सहायता पर बल:

माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि फौजदारी प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों — विशेषकर गिरफ्तारी-पूर्व और गिरफ्तारी के दौरान — विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा हो सके और अनावश्यक हिरासत से बचा जा सके।

4. अंडरट्रायल रिव्यू कमेटियों (UTRCs) का सशक्तिकरण:

UTRCs की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे अपराधों में आरोपित विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक कारावास में न रहना पड़े।

5. लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स (LADCs) की भूमिका:

न्यायमूर्ति खन्ना ने LADCs के गरीब और असहाय व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया और इनके संस्थागत विस्तार एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया।

6. पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) का सशक्तिकरण और पुनर्परिभाषा:

अब “अधिकार मित्र” कहलाने वाले PLVs को जमीनी स्तर पर विधिक जागरूकता की आधारशिला के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें विधिक सहायता क्लिनिकों, पुलिस थानों और सार्वजनिक कार्यालयों में रणनीतिक रूप से तैनात करने पर जोर दिया गया ताकि जनसुलभ न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

7. तकनीक और डिजिटल परिवर्तन का उपयोग:

विभिन्न राज्यों के सम्मेलनों में Legal Services Management System और Legal Aid Case Management System जैसे डिजिटल उपकरणों को अपनाने पर बल दिया गया, जिससे कार्यकुशलता, पारदर्शिता और मामलों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित हो सके। साथ ही नालसा हेल्पलाइन (15100) के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया।

8. सहयोग और अंतरराज्यीय समन्वय:

डलहौज़ी (हिमाचल प्रदेश), चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों ने पड़ोसी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के बीच सहयोग, अनुभव-साझा करने और साझी चुनौतियों के समाधान की भावना को बढ़ावा दिया।

9. वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) और मध्यस्थता को प्रोत्साहन:

महाराष्ट्र क्षेत्रीय सम्मेलन ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के अंतर्गत मध्यस्थता की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित किया, जो विवादों की लंबितता को कम करने, मेल-मिलाप को बढ़ावा देने और त्वरित, सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने में सहायक है।

10. कारागार संपर्क और पुनर्वास:

मदुरै, श्रीनगर और कक्कनाड की जेलों के दौरों के दौरान कारागारों में विधिक सहायता सेवाओं में सुधार पर बल दिया गया। “PATTAM परियोजना” दोषी पैरा लीगल वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण हेतु नालसा की कैदियों के पुनर्वास और पुनर्समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

11. सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता पहलें:

केरल, तमिलनाडु और लद्दाख में न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा ग्रामवासियों, PLVs, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज प्रतिनिधियों से संवाद ने स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क, सार्वजनिक भागीदारी और मोबाइल वैनो व ई-सेवा केंद्रों के माध्यम से विधिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

12. नालसा नेतृत्व के तहत नवाचारपूर्ण पहलें:

माननीय न्यायमूर्ति बी. आर. गवई के नेतृत्व में कई नई पहलें शुरू की गईं, जिनमें शामिल हैं —

- **पीड़ित देखभाल एवं सहायता प्रणाली** — अपराध पीड़ितों की पुनर्वास और समाज में पुनःएकीकरण हेतु सहायता।
- **नशा जागरूकता अभियान** — मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर बहुभाषी जनजागरूकता वीडियो।
- **ऑनलाइन लेखा पोर्टल** — वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु।
- **एमएसएलएसए मध्यस्थता पर संदर्भ पुस्तिका** और थीम सॉन्ग मध्यस्थता जागरूकता और जनसंपर्क को सशक्त बनाने हेतु।

13. विधिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता:

प्रत्येक आयोजन ने नालसा के इस मिशन को पुनः पुष्ट किया कि विधिक प्रतिनिधित्व, विधिक साक्षरता और जागरूकता के माध्यम से वंचित समुदायों को विधिक रूप से सशक्त किया जाए, तथा विधिक अधिकारों और वास्तविक लाभार्थियों के बीच की दूरी को पाटा जाए।

केंद्र शासित प्रदेशों के विधिक सेवा प्राधिकरणों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 02 करोड़ रुपये से कम की धनराशि प्रदान किए जाने का विवरण एवं उसके उपयोग किये जाने का उद्देश्य संसद की सूचनार्थ हेतु

निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों के विधिक सेवा प्राधिकरणों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नालसा द्वारा अनुदान में 02 करोड़ रुपये से कम की धनराशि प्रदान की गयी, जिसका विवरण एवं उपयोग किये जाने का उद्देश्य संसद की सूचनार्थ हेतु लोकसभा सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या LAFEAS-CBII067/05/2020-CBII दिनांक 2 जुलाई, 2020 के संदर्भ में इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2024-25
(रुपये में)

क्रम संख्या	केंद्र शासित प्रदेश का नाम	अनुदान राशि	अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त अनुदान अर्थात (केंद्र शासित प्रदेश सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन)	कुल प्राप्त अनुदान	उद्देश्य
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36,00,000	26,40,000	62,40,000	समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित ना हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।
2	दादरा और नगर हवेली	19,00,000	-	19,00,000	
3	दमन और दीव	35,00,000	-	35,00,000	
4	लक्षद्वीप	32,00,000	-	32,00,000	
5	पुदुचेरी	82,00,000	-	82,00,000	

निम्नलिखित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (एस. सी. एल. एस. सी.) एवं मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एम.सी.पी.सी) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नालसा द्वारा अनुदान में 02 करोड़ रुपये से कम की धनराशि प्रदान की गयी, जिसका विवरण एवं उपयोग किये जाने का उद्देश्य संसद की सूचनार्थ हेतु लोकसभा सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या LAFEAS-CBII067/05/2020-CBII दिनांक 2 जुलाई, 2020 के संदर्भ में इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2024-25

क्रम संख्या	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	अनुदान राशि	उद्देश्य जिसके लिए अनुदान राशि का उपयोग किया गया
1	गोवा	1,90,00,000	समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित ना हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।
2	सिक्किम	1,51,00,000	
3	मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एम.सी.पी.सी)	1,50,00,000	

राष्ट्रीय लोक अदालतें

लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय VI के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। लोक अदालतों के आयोजन और संचालन की प्रक्रिया नालसा (लोक अदालत) विनियम, 2009 के तहत निर्दिष्ट की गई है। इन लोक अदालतों का आयोजन “त्वरित और प्रभावी न्याय” के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए किया जाता है। लोक अदालतों में विभिन्न प्रकार के मामले लिए जाते हैं, जैसे आपराधिक शमनीय मामले (Criminal Compoundable Cases), राजस्व संबंधी मामले, बैंक रिकवरी के मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे, वैवाहिक विवाद परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले, श्रम विवाद तथा अन्य दीवानी मामले। लोक अदालतों की शक्ति केवल पक्षकारों के बीच विवादों के समाधान तक सीमित है; वे ऐसे विवादों के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकतीं।



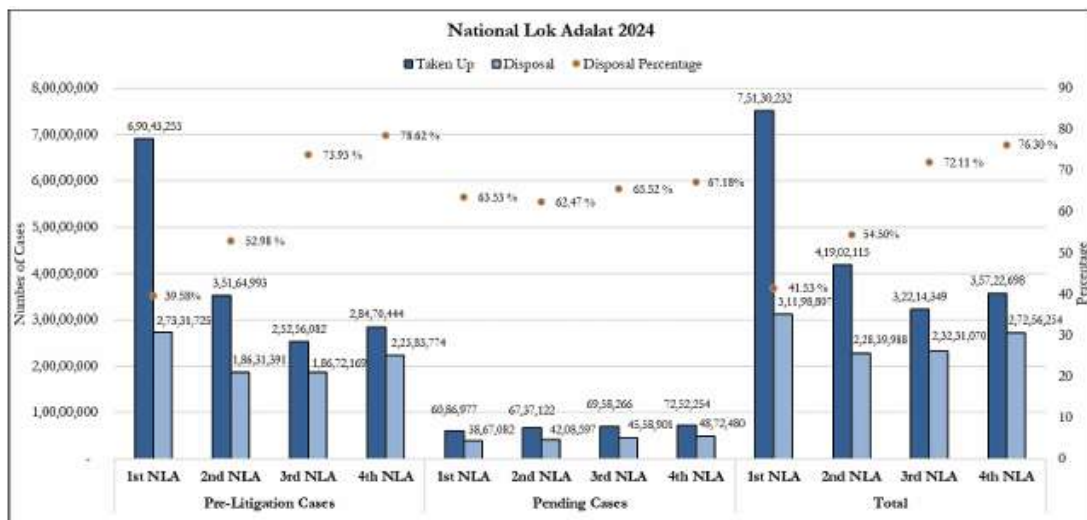
राष्ट्रीय लोक अदालतें एक निर्धारित दिन पर पूरे देशभर में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं — सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तालुक स्तर तक। इन लोक अदालतों के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में मामलों का त्वरित निपटारा संभव होता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में विधिक सेवा संस्थाएँ प्रत्येक वर्ष चार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन करती हैं।

नालसा

NATIONAL LOK ADALATS Resolving Disputes, Restoring Harmony



नालसा के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, पूरे भारत में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतें पारंपरिक न्यायिक ढांचे से परे सौहार्दपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुई हैं। इन लोक अदालतों ने वादकारियों को विवादों के समाधान का एक त्वरित और किफायती साधन प्रदान किया है, साथ ही वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) के तरीकों को बढ़ावा देकर औपचारिक न्यायिक प्रणाली पर बढ़ते बोझ को कम करने में भी सहायता की है। वर्ष 2024 में आयोजित चार राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 10.45 करोड़ से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इससे 8.7 करोड़ नए मामलों को न्यायिक प्रणाली में प्रवेश करने से रोका गया, और साथ ही 1.75 करोड़ लंबित मामलों का समाधान किया गया, जिससे पहले से ही अत्यधिक भारित न्यायपालिका पर दबाव में उल्लेखनीय कमी आई। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि विवाद पूर्व (Pre-litigation) मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लंबित मामलों की तुलना में अधिक संख्या में विवाद पूर्व मामले सफलतापूर्वक सुलझाए गए हैं।



वर्ष 2024 की प्रथम से लेकर चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत तक मामलों के निस्तारण की दर (disposal rate) में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई। यह दर पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में 41.53% से बढ़कर दूसरी में 54.50%, तीसरी में 72.11% और चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में 76.30% तक पहुँच गई। लोक अदालत प्रणाली की यह लगातार बढ़ती सफलता जनता के इस त्वरित और सुलभ न्याय तंत्र पर अटूट विश्वास का प्रमाण है। यह नालसा की उस दृढ़ प्रतिबद्धता को भी प्रतिबिंबित करती है, जिसके माध्यम से वह सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान को प्रोत्साहित कर समाज में सद्भाव और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए निरंतर कार्यरत है।



लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद निवारण (Alternative Dispute Resolution) का एक प्रभावी माध्यम हैं, जो औपचारिक न्यायालय प्रणाली से बाहर पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते को संभव बनाती हैं। लोक अदालतों का दायरा अत्यंत व्यापक है, जिसमें शामिल हैं — संगठनीय आपराधिक मामले, ट्रैफिक चालान, राजस्व संबंधी मामले, बैंक वसूली विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, चेक अनादरन (Cheque Dishonor) के मामले, श्रम विवाद, वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, उपभोक्ता विवाद तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित मामले। वर्ष 2025 में चार राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिनमें पहली राष्ट्रीय लोक अदालत **8 मार्च 2025** को आयोजित की गई। यह 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत त्वरित न्याय वितरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पथर सिद्ध हुई, जिसमें 79.01% की उच्च निस्तारण दर हासिल की गई। कुल **3.09 करोड़ मामलों** का निपटारा **37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** में किया गया, जिनमें **2.58 करोड़ विवाद-पूर्व (Pre-litigation)** और **50.82 लाख लंबित मामले** शामिल थे। कुल **₹18,212.23 करोड़** के समझौतों से व्यक्तियों और संस्थानों दोनों को महत्वपूर्ण आर्थिक राहत प्राप्त हुई। इनमें उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक मामलों का निपटारा किया, जबकि झारखंड ने 99.95% की उत्कृष्ट

निस्तारण दर प्राप्त कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता यह पुनः सिद्ध करती है कि वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली (ADR) त्वरित, सुलभ और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने का एक अत्यंत सफल और विश्वसनीय माध्यम है।



मुख्य निष्कर्ष (Key Takeaways)

- वर्ष 2024 में आयोजित चार राष्ट्रीय लोक अदालतों में सम्मिलित रूप से 10.45 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें से 8.7 करोड़ विवाद-पूर्व (Pre-litigation) मामले थे, जिससे देशभर के न्यायालयों पर बोझ में उल्लेखनीय कमी आई।
- मामलों के निस्तारण की दर में निरंतर सुधार देखा गया — पहली लोक अदालत में 41.53% से बढ़कर चौथी लोक अदालत में 76.30% तक, जो इस प्रणाली के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
- वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत, जो 8 मार्च 2025 को आयोजित हुई, ने 79.01% की रिकॉर्ड निस्तारण दर हासिल की और 37 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 3.09 करोड़ मामलों का निपटारा किया।
- कुल ₹18,212.23 करोड़ मूल्य के समझौते दर्ज किए गए, जिससे वादकारियों और संस्थानों दोनों को महत्वपूर्ण आर्थिक राहत मिली।
- उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक मामलों का निपटारा किया, जबकि झारखंड ने 99.95% की असाधारण निस्तारण दर प्राप्त कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।
- लोक अदालतों की निरंतर सफलता यह दर्शाती है कि वे वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) का एक अत्यंत प्रभावी, त्वरित, सुलभ और सौहार्दपूर्ण न्याय प्रणाली के रूप में स्थापित हो चुकी हैं।

विधिक जागरूकता और जनसंपर्क कार्यक्रम

COLLABORATION WITH NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN UNDER THE INITIATIVE : “VIDHI SE SAMADHAN”

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के सहयोग से “विधि से समाधान” पहल के अंतर्गत देश के 11 राज्यों : **आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश** के ब्लॉक स्तर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम **1,495 ब्लॉकों** को कवर करता है और इसका उद्देश्य महिलाओं में विधिक साक्षरता (Legal Literacy) को बढ़ावा देना है। इस पहल का प्रथम चरण मार्च 2025 तक संचालित किया जा रहा है।

प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सितंबर 2024 में तैयारी संबंधी गतिविधियाँ की गईं। इन शिविरों का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, पात्रताओं और कानूनी उपायों के बारे में आवश्यक ज्ञान प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। यह जानकारी भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय दंड संहिता, 1860, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों के अंतर्गत दी जाती है। प्रतिभागियों को, नालसा , राष्ट्रीय महिला आयोग और न्यायालयों जैसी संस्थाओं की भूमिकाओं के बारे में भी अवगत कराया जाता है, साथ ही ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाती है।

प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) प्रत्येक ब्लॉक में 2-3 महिलाओं की पहचान स्थानीय प्रतिनिधियों के रूप में करता है, जो महिला अधिकारों की वकालत करेंगी और अपने समुदायों में जागरूकता फैलाएँगी। इस पहल का अंतिम उद्देश्य एक ऐसे सजग और सशक्त महिलाओं के नेटवर्क का निर्माण करना है, जो अन्य महिलाओं को प्रेरित कर सके और एक अधिक न्यायपूर्ण एवं समानतापूर्ण समाज के निर्माण में योगदान दे सके।

HUMAN RIGHTS DAY - 2024



10 दिसंबर 2024 को नालसा ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में “हर अधिकार, हर जीवन” विषय के तहत मानव अधिकार दिवस मनाया। इस अवसर पर नालसा ने वृद्ध और असाध्य रोग से पीड़ित कैदियों के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की, जो 10 दिसंबर 2024 से 10 मार्च 2025 तक संचालित होगा। इस अभियान का उद्देश्य इन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाना है, जिसके लिए प्रभावी विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। नालसा ने इस अवसर पर विभिन्न जन-जागरूकता सामग्रियाँ भी जारी कीं, जिनमें नालसा के मिशन और योजनाओं का विवरण देने वाला एक पुस्तिका (brochure) शामिल है। इसके साथ ही दो पैम्फलेट्स भी जारी किए गए एक में टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई है, जबकि दूसरे में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत लाभार्थियों की श्रेणियों का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसका उद्देश्य संदिग्धों और अभियुक्तों को विधिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है। साथ ही, नालसा ने अंडर-ट्रायल रिव्यू कमेटी (UTRC) के लिए वर्ष 2025 का कार्यक्रम-सारिणी भी जारी किया।

JAIL VISIT - NAGPUR CENTRAL PRISON



1 दिसंबर 2024 को माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने नागपुर सेंट्रल जेल का दौरा किया। उनके साथ माननीय न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुगे और माननीय न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू. सांबरे भी उपस्थित थे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कारागार सुधारों में न्यायिक पर्यवेक्षण की भूमिका पर बल देना था। माननीय न्यायमूर्ति गवई ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ई-प्रिजन प्रणाली तथा चिकित्सीय सुविधाओं का निरीक्षण किया और महिलाओं एवं बच्चों सहित कैदियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया। दौरे के अंत में, उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। प्रमुख निर्देशों में शामिल थे — नई जेल के निर्माण का प्रस्ताव, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के सुदृढीकरण, बेहतर चिकित्सीय सहायता तथा कैदियों के लिए रिहाई के बाद वित्तीय अनुदान में वृद्धि के सुझाव।



4 जनवरी 2025 को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Rajasthan SLSA), जयपुर में एक महत्वपूर्ण अवसर मनाया गया, जिसमें आधिकारिक लोगो का अनावरण, पैरा लीगल वॉलंटियर्स (अधिकार मित्रों) के लिए बैज का शुभारंभ तथा “न्याय रो सारथी” नामक एक आवधिक समाचार पत्र पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए मासिक छात्रवृत्ति योजना की भी शुरुआत की गई, जो समावेशी और सुलभ न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अवसर की शोभा माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा; माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप मेहता, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय; माननीय मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, माननीय श्री न्यायमूर्ति पंकज भंडारी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्य माननीय न्यायाधीशों ने बढ़ाई।

STATE OUTREACH VISIT - UTTAR PRADESH



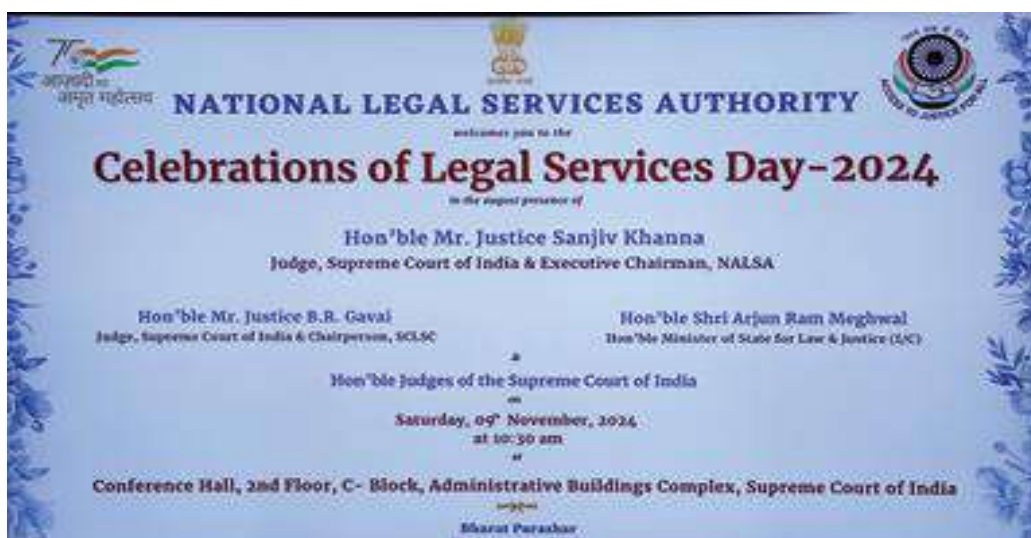
18 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) ने लखनऊ में अपने नव-निर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा; माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय; माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं संरक्षक-प्रमुख, UPSLSA; तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, UPSLSA उपस्थित थे। इस दौरान जेल कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण किया गया, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में न्यायिक अधिकारियों और हितधारकों के लिए एक दिवसीय संवेदनशीलता कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, और राज्य में विधिक सहायता सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु मानक कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedures) का संकलन (Compendium) भी जारी किया गया।

LEGAL SERVICES DAY - 2024



9 नवंबर 2024 को नालसा ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक भवन परिसर में विधिक सेवा दिवस मनाया। यह दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधिनियमन की स्मृति में मनाया

जाता है, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करना है। कार्यक्रम की गरिमा माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उस समय कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा और वर्तमान में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश; माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. आर. गवई उस समय अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा; तथा माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल, कानून और न्याय राज्य मंत्री की उपस्थिति से बढ़ी। माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने विधिक सहायता कर्मियों, विशेष रूप से पैनल अधिवक्ताओं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स (न्याय रक्षक) और पैरा लीगल वॉलंटियर्स (अधिकार मित्रों) के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की, जिन्होंने वंचित समुदायों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने नालसा के वर्तमान विधिक सहायता ढांचे पर विस्तार से प्रकाश डाला और हाल की पहलों, चल रहे कार्यक्रमों तथा भविष्य की दृष्टि पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य देशभर में विधिक सहायता को और अधिक सुव्यवस्थित और सुलभ बनाना है। माननीय न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने नालसा की नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया और अबाधित एवं प्रभावी विधिक सहायता प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी (SCLSC) की उस पहल का उल्लेख किया जिसके अंतर्गत पैनल अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि विधिक सेवाओं की पहुँच और प्रभाव को और व्यापक बनाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान नालसा का विशेष समाचार पत्र (Special Newsletter) जारी किया गया तथा दो महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया गया- नालसा (बाल-अनुकूल विधिक सेवाएँ बच्चों के लिए) योजना, 2024, और नालसा (मानसिक रोगियों एवं बौद्धिक विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2024 इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर आधारित एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरैलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य [2023] 7 S.C.R. 772 में दिए गए निर्णय के पालन को सुनिश्चित करना था।



MEGA LEGAL SERVICES CAMP - MAHARASHTRA (DHARNI)



9 फरवरी 2025: न्याय, समावेशन और सामाजिक उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, जिला परिषद मैदान, धरनी, अमरावती (महाराष्ट्र) में आयोजित मेगा विधिक सेवा शिविर में 10,000 से अधिक लोगों की भागीदारी रही और 32,520 लोगों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ। यह शिविर माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शिविर में 40 से अधिक सरकारी स्टॉलों के माध्यम से आवश्यक सेवाएँ प्रदान की गईं, वंचित समुदायों को विधिक सहायता दी गई और व्हीलचेयर, चेक एवं प्रमाणपत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से आदिवासी समुदायों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया गया।

MEGA LEGAL SERVICES CAMP - MAHARASHTRA (WASHIM)



22 फरवरी 2025: वटाने लॉन्स, वाशीम (महाराष्ट्र) में आयोजित मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, N नालसा की अध्यक्षता में किया गया। इस शिविर के माध्यम से विस्तृत जनसंपर्क और पहुँच संबंधी पहलें की

गई। मुख्य गतिविधियों में सरकारी कल्याण योजनाओं के तहत चलने-फिरने में अक्षम व्यक्तियों को ट्राइसाइकिलों का वितरण, वंचित वर्गों को स्थल पर ही विधिक सहायता प्रदान करना तथा 24 सरकारी सेवा स्टॉलों के माध्यम से विभिन्न सरकारी लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल था। जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से POCSO अधिनियम पर आधारित एक सड़क नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इस शिविर ने समावेशी और सुलभ न्याय को बढ़ावा देने के प्रति नालसा की प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया। इसमें लाभार्थियों और हितधारकों की उत्साही भागीदारी देखने को मिली, जिससे विधिक सशक्तिकरण के लिए एक जीवंत मंच का निर्माण हुआ। विभिन्न कल्याण विभागों की बहु-क्षेत्रीय उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि समुदाय को समग्र सहायता प्राप्त हो। इस प्रकार की पहलें कानून और समाज के बीच की दूरी को कम करने हेतु अपनाए गए सहयोगात्मक दृष्टिकोण का प्रमाण हैं।



22 मार्च 2025: माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, माननीय श्री न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरश, माननीय श्री न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह सभी न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ मणिपुर का दौरा किया। दौरे के दौरान आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के लिए स्थापित 290 राहत शिविरों में मेगा चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों को 400 से अधिक चिकित्सकों और 800 सहयोगी कर्मियों के समर्पित प्रयासों से संभव बनाया गया, जिन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कीं। इस अवसर पर चार विधिक सहायता क्लीनिकों का शुभारंभ किया गया, 41 नव-पंजीकृत अधिवक्ताओं को सनदेँ वितरित की गईं और पुनः पंजीकृत विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, चुराचांदपुर और विष्णुपुर जिलों में मच्छरदानी, दूध पाउडर, डायपर और आपातकालीन लैंप जैसे आवश्यक राहत सामग्री का वितरण भी किया गया।



29 और 30 मार्च 2025: मेगा विधिक जागरूकता कार्यक्रम सह सेवा आपके द्वार शिविर का आयोजन अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) द्वारा नालसा के तत्वावधान में और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से दीरांग, बोमडिला और तवांग (अरुणाचल प्रदेश) में किया गया। कार्यक्रम की गरिमा माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा, तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति उज्जल भुइयाँ, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की उपस्थिति से बढ़ी। यह कार्यक्रम जनजातीय समुदायों तक सफलतापूर्वक पहुँचा, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 68% हिस्सा हैं। शिविर के दौरान वन अधिकार अधिनियम, 2006 तथा नालसा की जनजातीय अधिकार योजना, 2015 जैसे महत्वपूर्ण विधानों पर जागरूकता फैलाई गई। शिविर में स्थल पर ही विधिक सहायता, शिकायत निवारण तथा केंद्र एवं राज्य की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान की गई। दौरे के दौरान माननीय न्यायमूर्तियों ने तवांग की जेल और एक बाल गृह का भी दौरा किया, जिससे नालसा की सुलभ और समावेशी न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाया गया।

अन्य विधिक जागरूकता और जनसंपर्क कार्यक्रम

1. सामुदायिक स्तर पर: ज्ञान के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना

- **अरुणाचल प्रदेश (नामसाई और लोहित):** माननीय न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति विजय बिश्रोई और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की उपस्थिति में एक दिवसीय मेगा विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया; जिसका उद्देश्य जनता में विधिक जागरूकता बढ़ाना और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना था।
- **माजुली, असम (6 अप्रैल 2024):** मेगा विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- **आंध्र प्रदेश (5 जून 2024):** विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर ने किया।
- **लेह, लद्दाख (1 मई 2024):** निर्माण श्रमिकों के लिए अधिकारों, मुआवजा योजनाओं और सुरक्षा उपायों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- **जयपुर (9 मई 2024):** एकलव्य ज्ञानपीठ स्कूल में आसरा फाउंडेशन के सहयोग से बाल यौन शोषण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- **लेह, लद्दाख (मई 2024):** न्यायमूर्ति ताशी रब्स्तन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीणों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम और संस्थान-पूर्व मध्यस्थता (Pre-institution Mediation) सत्र आयोजित किया गया।



2. शैक्षणिक संस्थानों में: भावी नेताओं को सशक्त बनाना

- **कारगिल (25 मई 2024):** स्कूली छात्रों के लिए मानवाधिकारों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- **इंफाल वेस्ट (12 अप्रैल 2024):** रॉयल एकेडमी ऑफ एडवांस लर्निंग में बच्चों के अधिकारों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया; इसमें प्रश्नोत्तर सत्र भी शामिल था।
- **दिल्ली (3 मई 2024):** मिरांडा हाउस के छात्रों के लिए “विधि वार्ता” प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया गया; जिसमें न्यायालयों और मध्यस्थता केंद्रों के भ्रमण भी शामिल थे।

- **उत्तर-पूर्वी दिल्ली (मई 2024):** “स्कूल चलो” परियोजना के तहत लगभग 110 झुग्गी बस्ती के बच्चों के प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई; इसका समापन तिस हज़ारी न्यायालय परिसर में हुआ।
- **गुरुग्राम (22 अप्रैल 2024):** विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर स्कूली छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- **कोहिमा (12 अप्रैल 2024):** स्कूली छात्रों के लिए बच्चों के अधिकारों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।



Vignette from the Legal Awareness Programme in Kargil

3. जेलों में: बंद दीवारों के पीछे आशा को पुनर्जीवित करना

- **दिल्ली (मई 2024):** कैदियों के पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षित बंदियों के लिए रोजगार मेला (Job Mela) आयोजित किया गया।
- **नैनी जेल, उत्तर प्रदेश (4 मई 2024):** न्यायमूर्ति एम. के. गुप्ता ने जेल सुविधाओं का निरीक्षण किया और विधिक सहायता क्लीनिक की निगरानी की।
- **नैनीताल, उत्तराखंड (25 मई 2024):** कैदियों के लिए विधिक एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किया गया; प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा निरीक्षण किया गया।
- **सेंट्रल जेल, श्रीनगर (18 जून 2024):** न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने जेल का दौरा किया; उन्होंने पुनर्वास, कौशल विकास और पुनः समाज में समावेशन के महत्व पर बल दिया।



*Vignette from the visit of Hon'ble Justice Mr. M.K. Gupta
District Judge, Prayagraj to Central Jail.*

4. विधिक जागरूकता कार्यक्रम (महिलाओं और संवेदनशील समूहों के लिए)

- **विधि से समाधान (अक्टूबर-दिसंबर 2024):** 11 राज्यों में 569 ब्लॉक-स्तरीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना था।
- **कानपुर (30 नवंबर 2024):** सीएसजेएम विश्वविद्यालय में मेगा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया; 1,587 प्रतिभागियों को विधिक सहायता और कल्याणकारी लाभ प्रदान किए गए।
- **दिल्ली आईआईटीएफ (14-27 नवंबर 2024):** विधिक जागरूकता हेल्प डेस्क के माध्यम से लगभग 9,500 आगंतुकों तक पहुंच बनाई गई।
- **अप्पर सियांग, अरुणाचल प्रदेश (16 नवंबर 2024):** दूरस्थ गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारों, योजनाओं और विधिक सहायता से संबंधित जानकारी दी गई।
- **झारखंड (14 दिसंबर 2024):** पंचायत स्तर पर 1,030 विधिक सेवा क्लीनिकों का उद्घाटन किया गया, जिससे जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुंच को सशक्त बनाया गया।
- **देहरादून, उत्तराखंड (5-6 दिसंबर 2024):** ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता फैलाने हेतु मोबाइल वैन अभियान चलाया गया।

5. कॉलेजों और स्कूलों में: भावी नेताओं को सशक्त बनाना

- **डिब्रूगढ़, असम (21 अक्टूबर 2024):** विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और बाल विवाह निषेध अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया; 70 छात्रों ने भाग लिया।

- **चंडीगढ़ (23 अक्टूबर 2024):** POCSO अधिनियम, साइबर अपराध और बाल संरक्षण पर 100 से अधिक छात्रों के लिए विधिक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।
- **दिल्ली – दिशा पहल (सितंबर-अक्टूबर 2024):** 46 स्कूलों में 209 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे लगभग 45,700 छात्र और शिक्षण स्टाफ लाभान्वित हुए।
- **बिजवासन, दिल्ली (8 नवंबर 2024):** कचरा प्रबंधन, व्यक्तिगत सुरक्षा और POCSO अधिनियम पर 100 छात्रों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।
- **तामंगलॉग, मणिपुर (7 नवंबर 2024):** बाल अधिकारों पर इंटरएक्टिव लर्निंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 50 छात्रों ने भाग लिया।
- **कुरुक्षेत्र, हरियाणा (26 नवंबर 2024):** संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता अभियान और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई; 8,500 छात्रों ने भाग लिया।



DLSA, Dibrugarh (Assam) at Moran Blind School Dibrugarh

6. सतत सामुदायिक और कॉलेज सहभागिता (2025)

- **लॉ कॉलेज (3 जनवरी 2025):** “कनेक्टिंग विद द कॉज़” प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नालसा की योजनाओं और निःशुल्क (Pro-bono) विधिक सेवा संस्कृति को बढ़ावा देना था।
- **गुजरात (3 फरवरी 2025):** दूरस्थ जिलों में विधिक जागरूकता फैलाने के लिए मोबाइल लीगल एड वैन चलाई गई।
- **अंबाला, हरियाणा (18 फरवरी 2025):** मानव तस्करी और शोषण के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया; 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- **उखरुल, मणिपुर (28 जनवरी 2025):** नशीली दवाओं के दुरुपयोग और कानूनी उपायों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया; 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- **क्रा-डाडी, अरुणाचल प्रदेश (20 फरवरी 2025):** प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों पर 48 प्रतिभागियों के लिए विधिक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।
- **दक्षिण-पूर्वी दिल्ली (5 मार्च 2025):** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और यौनकर्मियों के अधिकारों पर 40 प्रतिभागियों के लिए सत्र आयोजित किया गया।
- **एमएनएलयू नागपुर और मुंबई, एनएलयू दिल्ली (2025):** क्लिनिकल विधिक शिक्षा इंटरनशिप और कानून छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- **चंदेल, मणिपुर (31 जनवरी 2025):** नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई; 100 छात्रों ने भाग लिया।
- **देहरादून, उत्तराखंड (30 जनवरी 2025):** जागरूकता और स्वच्छता रैली आयोजित की गई, जिसमें POCSO अधिनियम, साइबर अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया।
- **दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश (24 फरवरी 2025):** छात्रों के लिए बाल संरक्षण कानूनों पर निःशुल्क विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
- **अंडमान और निकोबार (21 फरवरी 2025):** वीकेवी जिला परिषद स्कूल में बाल अधिकारों और स्वच्छता पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- **जयपुर, राजस्थान (11 मार्च 2025):** वंचित समूहों के लिए अधिकारों और विधिक संरक्षण पर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया; 35 छात्रों ने भाग लिया।

मुख्य निष्कर्ष

1. व्यापक विधिक जागरूकता की पहलें
 - नालसा ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं के सहयोग से देश के विभिन्न राज्यों में समुदायों, स्कूलों, कॉलेजों और जेलों में अनेक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
 - इन पहलों में महिलाओं के अधिकार, बाल संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता, दिव्यांगजनों के अधिकार, मानव तस्करी की रोकथाम तथा कैदियों के कल्याण जैसे विषय शामिल हैं।
2. सामुदायिक सशक्तिकरण
 - विधि से समाधान" जैसी पहलें और स्थानीय जागरूकता शिविर का उद्देश्य महिलाओं और संवेदनशील वर्गों को विधिक अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं तथा सरकारी लाभों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है।

- स्थानीय प्रतिनिधियों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स (अधिकार मित्रों) को जमीनी स्तर पर विधिक जागरूकता और अधिकारों की वकालत को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
3. हाशिए पर स्थित एवं दूरस्थ आबादी पर केंद्रित प्रयास
 - जनजातीय क्षेत्रों, झुग्गी बस्तियों, सीमावर्ती गांवों, कैदियों, यौनकर्मियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और आदिवासी समुदायों तक विशेष पहुँच सुनिश्चित की जा रही है, ताकि सभी के लिए समावेशी न्याय तक पहुंच संभव हो सके।
 - मोबाइल लीगल एड वैन, मेगा शिविर और जेल दौरों के माध्यम से नागरिकों और विधिक सेवाओं के बीच की दूरी को कम किया जा रहा है।
 4. बाल एवं युवा शिक्षा
 - स्कूलों और कॉलेजों में बड़े पैमाने पर आयोजित कार्यक्रमों में POCSO अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, साइबर सुरक्षा, मानवाधिकार और बाल विवाह निषेध कानूनों जैसे विषयों को शामिल किया जाता है।
 - दिशा, विधि वार्ता जैसी पहलें और चित्रकला व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती हैं तथा जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं।
 5. पुनर्वास एवं कैदी सहायता
 - जेल दौरों और विधिक जागरूकता शिविरों का उद्देश्य कैदियों के पुनर्वास, कौशल विकास और समाज में पुनः समावेशन को प्रोत्साहित करना है।
 - वृद्ध, असाध्य रोगी और विचाराधीन कैदियों के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियानों से नालसा की मानवीय न्याय और त्वरित विधिक सहायता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता झलकती है।
 6. कल्याणकारी सेवाओं के साथ एकीकरण
 - विधिक सेवा शिविरों में विधिक सहायता को सामाजिक कल्याण सेवाओं के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक सहायता, चलने-फिरने के सहायक उपकरण और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं।
 7. निःशुल्क विधिक सेवा और विधिक शिक्षा को प्रोत्साहन
 - कानून के छात्रों के लिए आयोजित प्रतियोगिताएं, इंटरनशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क विधिक सेवा (Pro-Bono) की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं तथा व्यावहारिक अनुभव आधारित शिक्षा (Experiential Learning) को बढ़ावा देते हैं।
 - ये पहलें भावी विधिक पेशेवरों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों और विधिक सेवा तंत्र को समझने में सहायता प्रदान करती हैं।

8. प्रौद्योगिकी और मीडिया का एकीकरण

- डिजिटल मीडिया, पुस्तिकाओं, हेल्पलाइन नंबरों, जागरूकता वीडियो और मोबाइल वैनों के उपयोग से विधिक सेवाओं की पहुँच में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से दूरस्थ या वंचित क्षेत्रों में।

9. निगरानी, पर्यवेक्षण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण

- न्यायिक दौरे, निरीक्षण और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) संकलन विधिक सहायता सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।
- विधिक सेवा क्लीनिकों के विस्तार से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाया गया है।

UTRC रूपरेखा और तिमाही बैठकें

UTRC FRAMEWORK AND SCHEDULE- 2024



NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

FRAMEWORK AND SCHEDULE FOR QUARTERLY UNDERTRIAL REVIEW COMMITTEE MEETINGS - 2024

Launch by

Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna

Judge, Supreme Court of India

&

Executive Chairman, National Legal Services Authority

8 अप्रैल 2024 को माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने वर्ष 2024 के लिए “विचाराधीन समीक्षा समितियों (UTRCs) की तिमाही बैठकों की रूपरेखा और समय-सारणी” को औपचारिक रूप से जारी किया। इस वर्चुअल लॉन्च में विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) के माननीय कार्यकारी अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) के अध्यक्षों एवं सचिवों, तथा UTRCs के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। अपने संबोधन में माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने UTRCs के उस महत्वपूर्ण उद्देश्य पर प्रकाश डाला, जिसके तहत मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान कैदियों की अनावश्यक हिरासत को रोकना है। उन्होंने देश के प्रत्येक जिले में UTRCs के कार्यों को और अधिक सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और सक्रिय बनाने का आह्वान किया।

RELEASE OF THE FRAMEWORK AND SCHEDULE FOR QUARTERLY UTRC MEETINGS- 2024



8 अप्रैल 2024 को माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने वर्ष 2024 के लिए विचाराधीन समीक्षा समितियों (Under Trial Review Committees - UTRCs) की तिमाही बैठकों की रूपरेखा और समय-सारणी (Framework and Schedule) को औपचारिक रूप से जारी किया। यह पहल भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के अनुरूप की गई थी, जिनका उद्देश्य सभी बंदियों की हिरासत की समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करना है।

इस वर्चुअल लॉन्च में विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) के माननीय कार्यकारी अध्यक्षों और सदस्य सचिवों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) के अध्यक्षों एवं सचिवों तथा UTRCs के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। जारी की गई इस समय-सारणी के अनुसार, वर्ष 2024 में देश के सभी जिलों में इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। अपने संबोधन में माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने UTRCs के उस महत्वपूर्ण दायित्व पर बल दिया, जिसके अंतर्गत विचारणाधीन मुकदमों के दौरान कैदियों की लंबी अवधि की हिरासत को रोकना शामिल है। उन्होंने देशभर में UTRCs के कार्यों को और अधिक सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और प्रभावी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने वकीलों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि वे समीक्षा के लिए पात्र 14 श्रेणियों के कैदियों के बारे में जानकारी रखें, समय पर जमानत याचिकाएँ दाखिल करें और जमानत अस्वीकृत होने पर अपील के उपायों का सहारा लें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कैदियों और उनके परिवारों के साथ विश्वास स्थापित करने के उपायों की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि वे विधिक सेवाओं पर अपना विश्वास बढ़ा सकें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नालसा द्वारा वर्ष 2022 और 2023 में चलाए गए दो विशेष अभियानों के दौरान लगभग

50,000 कैदियों को रिहा किया गया, जो UTRCs की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि नालसा द्वारा किए गए संस्थागत विश्लेषण से यह पाया गया है कि UTRCs की कार्यप्रणाली में कुछ कमियाँ हैं, जिन्हें शीघ्र दूर किया जाना आवश्यक है, ताकि UTRCs की पहुँच और प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि UTRCs को पूरे देश में समान और समन्वित रूप से संचालित किया जाए, जैसा कि इस “UTRC बैठकों की रूपरेखा और तिमाही कार्यक्रम” के माध्यम से किया जा रहा है, तो परिणाम निश्चित रूप से अधिक बेहतर होंगे। अप्रैल 2024 में जारी कार्यक्रम के अनुसार, UTRCs की पहली और दूसरी तिमाही बैठकों का आयोजन क्रमशः 15 अप्रैल और 15 जुलाई 2024 को देश के सभी जिलों में किया गया।

राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिफारिश किए गए सभी मामलों में उचित याचिकाएँ दाखिल करने और जहाँ न्यायालयों द्वारा जमानत दी गई है, वहाँ कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। SLSAs से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि कैदियों के मामलों की समय-समय पर समीक्षा के लिए एक सुदृढ़ तंत्र विकसित हुआ है। वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही बैठक, जो 16 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुई थी, उसके आंकड़े अभी राज्यों से प्राप्त होने बाकी हैं। अप्रैल 2024 की UTRC तिमाही बैठक में कुल 24,100 कैदियों की पहचान समीक्षा के लिए की गई, जिनमें से 15,777 कैदियों की रिहाई की सिफारिश की गई और अंततः 7,421 कैदी रिहा किए गए। जुलाई 2024 की UTRC तिमाही बैठक में 20,103 कैदियों की पहचान समीक्षा के लिए की गई, जिनमें से 14,048 कैदियों की रिहाई की सिफारिश की गई और अंततः 7,366 कैदी रिहा किए गए।

मुख्य निष्कर्ष

1. **UTRC रूपरेखा का शुभारंभ:** अप्रैल 2024 में देशभर के विचाराधीन कैदियों की समीक्षा हेतु मानकीकृत समय-सारणी (Standardized Schedule) जारी की गई।
2. **पूर्व-विचारणीय हिरासत में कमी:** समय पर जमानत याचिकाएँ दाखिल करने, वकीलों में जागरूकता बढ़ाने और कैदियों व उनके परिवारों में विश्वास सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया।
3. **प्रभाव:** अप्रैल 2024 में 7,421 कैदी और जुलाई 2024 में 7,366 कैदी रिहा हुए — जिससे विचाराधीन कैदियों की समीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता सिद्ध हुई।
4. **निरंतर सुधार की आवश्यकता:** कुछ संरचनात्मक कमियाँ अब भी बनी हुई हैं; बेहतर परिणामों के लिए समान रूप से लागू करने और संस्थागत भागीदारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

विधिक सेवा संस्थानों (LSIs) द्वारा क्षमता निर्माण

LAUNCH OF THE ONLINE MEDIATION TRAINING PORTAL



Vignette from the Inaugural Ceremony of the Online Mediation Training Web Portal at The Judges' Lounge, Supreme Court of India



Vignette from the Inaugural Ceremony of the Online Mediation Training Web Portal at The Judges' Lounge, Supreme Court of India

यह नालसा के संस्थागत दायित्वों में से एक है कि वह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों (Alternative Dispute Resolution Mechanisms) के उपयोग को बढ़ावा दे। इसी के अनुरूप, 18 सितंबर 2024 को

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं नालसा के संरक्षक प्रमुख, तथा माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण वेब-पोर्टल (Online Mediation Training Web-Portal) का औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह महत्वपूर्ण पहल नालसा द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (Mediation and Conciliation Project Committee) के सहयोग से विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को प्रोत्साहित करना है। ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण वेब-पोर्टल सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल का समन्वय प्रस्तुत करता है, जिसमें मध्यस्थता से संबंधित 20 विषयों पर 50 से अधिक व्याख्यान और 10 घंटे से अधिक की ऑनलाइन/इंटरएक्टिव व्यावहारिक सत्र शामिल हैं। इसका पाठ्यक्रम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता विशेषज्ञों के व्यापक परामर्श से तैयार किया गया है, जिससे एक सशक्त ज्ञान-आधारित प्रशिक्षण प्रणाली विकसित हुई है। इस ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मध्यस्थता को विवाद समाधान का पहला और प्राथमिक तरीका बनाना, संघर्ष समाधान के तंत्र के रूप में इसके उपयोग का विस्तार करना, प्रशिक्षित मध्यस्थों की संख्या बढ़ाना और सामुदायिक मध्यस्थता के नए अवसर प्रदान करना है। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में नामांकन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विवादों को समझौतों और नए अवसरों में परिवर्तित करने की योग्यता प्राप्त करेगा।

15-HOURS ADVANCED COMMERCIAL MEDIATION TRAINING PROGRAM



Vignette from the Inaugural Day of the 15-Hours Advanced Commercial Mediation Training Program on 14th October, 2024 at the Administrative Buildings Complex, Supreme Court of India

नालसा ने इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मीडिएटर्स के सहयोग से 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 15 घंटे का एडवांस्ड कमर्शियल मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों, मध्यस्थों और न्यायाधीशों को एक साथ लाया, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से जटिल व्यावसायिक विवादों के प्रबंधन में उनकी मध्यस्थता कौशल को उन्नत करना था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा द्वारा माननीय श्री न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरश, सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के विभिन्न सदस्यों तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति के प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्व के प्रमुख मध्यस्थता विशेषज्ञ श्री जोनाथन लॉयड-जोन्स, श्री क्लॉड अमार, श्री टैट लिम, सुश्री प्राची मेहता और सुश्री अनवीक्षा टी. जैन ने व्यावसायिक मध्यस्थता की विशिष्टताओं और जटिल विवादों के प्रबंधन की तकनीकों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया।

सत्रों में इंटरएक्टिव चर्चाएँ, केस स्टडीज़, और व्यावहारिक सिमुलेशन शामिल थे, जिससे प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभव और गहन सीख प्राप्त हुई। प्रशिक्षण का समापन 16 अक्टूबर 2024 को समापन सत्र (Valedictory Session) के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। यह पहल भारत में व्यावसायिक मध्यस्थता को प्राथमिक विवाद समाधान विधि के रूप में प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और नालसा की वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को भारतीय न्याय प्रणाली में एकीकृत करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।



नालसा ने 30 सितंबर 2024 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) के साथ डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता श्री वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय; माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा; और श्री बी.एल. वर्मा, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। श्री भारत पराशर, सदस्य सचिव, नालसा और श्री अमित यादव, सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर SARTHIE 1.0 पहल का भी आधिकारिक शुभारंभ किया गया, जो एक संयुक्त प्रयास है जिसका उद्देश्य वंचित समुदायों को सशक्त बनाना है, जिनमें अनुसूचित जातियां (SCs), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs), वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, मद्यपान एवं नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति, भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्ति, विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियां आदि शामिल हैं। इस साझेदारी के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSAs) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSAs) देशभर में जागरूकता शिविरों का आयोजन करेंगे। इन शिविरों के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स और पैनल वकीलों की सेवाएं ली जाएंगी। शिविरों में निम्नलिखित विधानों के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा —

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019
- हाथ से मैला ढोने का कार्य निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

क्षमता निर्माण एवं विधिक सशक्तिकरण की पहलें

ओरिएंटेशन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम

मई 2024 से मार्च 2025 के बीच विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) द्वारा न्यायिक अधिकारियों, पैनल वकीलों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) के लिए अनेक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने विवाद समाधान कौशल को सशक्त करने के उद्देश्य से 40 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। वहीं दिल्ली और झारखंड में वकीलों को नए कानूनों, व्यावसायिक नैतिकता, अदालती कौशल तथा कहानी कहने की तकनीकों (storytelling techniques) पर अभिमुखीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। अरुणाचल प्रदेश, सिरसा और अजमेर में पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) को नालसा की विभिन्न योजनाओं, बाल

संरक्षण कानूनों और सामुदायिक पहुंच (community outreach) से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, बाल कल्याण समितियों (CWCs) और किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) के साथ कार्यरत अधिवक्ताओं को बाल मनोविज्ञान, आयु निर्धारण और बालक के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत (Best Interest Principles) पर प्रशिक्षित किया गया, ताकि वे बच्चों का अधिक प्रभावी एवं संवेदनशील प्रतिनिधित्व कर सकें।



जेलों में विधिक जागरूकता

देशभर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) द्वारा जेलों में व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका मुख्य फोकस विचाराधीन कैदियों, महिला बंदियों और संवेदनशील समूहों पर रहा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बंदियों को उनके विधिक अधिकारों, जमानत, पैरोल, समयपूर्व रिहाई और नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही, कानूनी परामर्श और आवेदन प्रक्रिया में सहायता भी उपलब्ध कराई गई। वृद्ध, असाध्य रोगी और बिना प्रतिनिधित्व वाले कैदियों के लिए विशेष अभियान चलाए गए, ताकि उनके मामलों में समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें भावनात्मक संतुलन, आत्मबल और पुनर्वास पर विशेष बल दिया गया। साथ ही, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से रिहाई के बाद पुनर्समावेशन (Post-Release Reintegration) को प्रोत्साहित किया गया, जिससे बंदियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिल सके।



DLSA, New Delhi at Tihar Jail



DLSA Nainital (Uttarakhand) at District Jail Nainital and Sub Jail Haldwani

मुख्य विशेषताएँ एवं परिणाम

इन पहलों ने सामूहिक रूप से न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) की क्षमता को सुदृढ़ किया, साथ ही कैदियों और वंचित समुदायों के लिए विधिक सहायता तक पहुंच को बेहतर बनाया। इन कार्यक्रमों ने मध्यस्थता (Mediation), वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तथा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। इन पहलों ने विधिक साक्षरता, पुनर्वास और सशक्तिकरण को एकीकृत करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण को सशक्त किया, जिससे लाभार्थियों को न्याय प्रणाली को प्रभावी रूप से समझने और उसका उपयोग करने में सहायता मिली। साथ ही, इन प्रयासों ने एक अधिक समावेशी और सुलभ विधिक ढाँचा स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो नालसा के “सबके लिए न्याय तक पहुंच” के मिशन को साकार करता है।

नालसा की योजनाएँ, मानक कार्यप्रणाली (SOPs) एवं दिशा-निर्देश (Guidelines)

REVISION OF NALSA SCHEMES FOR CHILDREN AND PERSONS WITH MENTAL ILLNESS OR INTELLECTUAL DISABILITIES

नालसा ने माननीय डॉ. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, संरक्षक प्रमुख, नालसा; माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा LSA; तथा केंद्रीय प्राधिकरण के माननीय सदस्यों की स्वीकृति से दो नई योजनाएँ जारी कीं —

- (1) नालसा (बाल हितैषी विधिक सेवाएँ बच्चों के लिए) योजना, 2024 तथा
- (2) नालसा (मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2024 ।

पहली योजना ने बच्चों से संबंधित पूर्व की दो योजनाओं को एकीकृत और संशोधित किया है तथा इसका उद्देश्य बच्चों, विशेषकर दिव्यांग बच्चों, को निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करना है। यह योजना संवेदनशील बच्चों के लिए एक निवारक, रणनीतिक, आवश्यकतानुसार और उत्तरदायी विधिक सेवाओं के कार्यक्रम को लागू करने की परिकल्पना करती है। दूसरी योजना नालसा की पूर्ववर्ती योजना को अद्यतन और संशोधित करती है तथा इसका उद्देश्य विधिक सेवा संस्थानों के दायित्वों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के विधिक प्रावधानों के अनुरूप बनाना है। इस योजना का लक्ष्य मानसिक रोग से ग्रस्त एवं बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सेवाओं तक समान और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है। यह योजना यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विधिक सेवाएँ इन व्यक्तियों की विशिष्ट कानूनी एवं सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हों। दोनों योजनाएँ विस्तृत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के पश्चात अंतिम रूप दी गईं, जिसमें हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। बालकों के लिए योजना को यूनिसेफ इंडिया (UNICEF India) के सहयोग से तैयार किया गया है, जबकि मानसिक रोगियों एवं बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना को NIMHANS, बेंगलुरु के परामर्श से तैयार किया गया है।

सफलता की कहानियाँ

- 1. सफलता की कहानी : न्याय से सशक्तिकरण** – बेसहारा परिवार को मिला सहारा एक दुखी विधवा श्रीमती भीमवरापु मंगा ने आंध्र प्रदेश के राजमहेन्द्रवरम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से संपर्क किया जब उसके दिवंगत पति के नियोक्ता ने उनके बकाया भुगतान रोक दिए थे। DLSA सचिव के त्वरित हस्तक्षेप से राजमहेन्द्रवरम नगर निगम ने ₹28,93,071 जारी किए, जिससे शोकाकुल परिवार को आर्थिक राहत मिली।
- 2. सफलता की कहानी : पुनर्मिलन के आँसुओं में खुशी-** बांग्लादेश से भटककर असम पहुँचा एक बालक DLSA साउथ सलमारा-मनकाचर के प्रयासों से 26 अप्रैल 2024 को अपने परिवार से मिला। बच्चे को बॉर्डर गार्ड पुलिस ऑफ बांग्लादेश को सौंपा गया, जिससे वह अपने घर सुरक्षित लौट सका।
- 3. सफलता की कहानी : बालिका की अस्मिता की रक्षा-** छत्तीसगढ़ में एक PLV ने 12 वर्षीय यौन शोषण पीड़िता को गर्भवती पाया। DLSA राजनांदगांव की सहायता से माननीय उच्च न्यायालय से चिकित्सा गर्भपात की अनुमति प्राप्त की गई, जिससे बालिका के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा हुई।
- 4. सफलता की कहानी : विधिक सहायता से मिली नयी उम्मीद-** धनबाद, झारखंड की एक विधवा माँ को PLV और DLSA के सहयोग से स्पॉन्सरशिप एवं विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त हुई। इससे उसे और उसके बच्चों को आर्थिक स्थिरता और सम्मान मिला।
- 5. सफलता की कहानी : बुजुर्गों को सम्मान** – परिवार में पुनर्मिलन DLSA श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब के पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता प्रयासों से एक वृद्धा का अपने पुत्र और बहू से पुनर्मिलन हुआ, जिससे परिवार में फिर से शांति स्थापित हुई।
- 6. सफलता की कहानी : समय पर हस्तक्षेप से मजदूर को मिला न्याय-** मेघालय SLSA के सतत प्रयासों से एक बिजली हादसे में घायल मजदूर को नियोक्ता द्वारा ₹62,000 का मुआवजा प्राप्त हुआ।
- 7. सफलता की कहानी : बाढ़ राहत में DLSA की उम्मीद की किरण-** सिक्किम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद DLSA मंगन ने प्रभावित परिवारों को परामर्श, राहत सामग्री और विधिक सहायता प्रदान की, जिससे वे मुआवजा प्राप्त कर पुनः अपने जीवन को स्थापित कर सके।
- 8. सफलता की कहानी : बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव-** फुलबनी, ओडिशा में निरीक्षण के दौरान DLSA अधिकारियों ने निर्माण मजदूरों के असहाय बच्चों को ICDS अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित कराया, जिससे उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ।

9. **सफलता की कहानी : मासूमियत की वापसी-** DLSA कंधमाल, ओडिशा ने कैदियों के बच्चों की पहचान की और उन्हें कल्याण योजनाओं एवं आवासीय विद्यालयों में दाखिला दिलवाकर सामाजिक कलंक से सुरक्षा सुनिश्चित की।
10. **सफलता की कहानी : रिश्तों में फिर जगी मोहब्बत-** DLSA खुर्दा, ओडिशा ने एक वैवाहिक विवाद का सफल मध्यस्थता के माध्यम से समाधान कराया, जिससे दंपति का पुनर्मिलन हुआ और परिवार में पुनः सौहार्द स्थापित हुआ।
11. **सफलता की कहानी : अंधकार से उजाले तक –** (करुणा से सशक्तिकरण) दिल्ली DLSA ने 21 वर्षीय यौन शोषण पीड़िता को परामर्श और विधिक सहायता प्रदान की। निरंतर सहयोग से उसने आत्मविश्वास पुनः प्राप्त किया और अब पत्रकारिता में स्नातकोत्तर कर रही है।
12. **सफलता की कहानी : त्रासदी में न्याय –** (DLSA रेवाड़ी की त्वरित कार्यवाही) हरियाणा के रेवाड़ी में एक औद्योगिक दुर्घटना में 16 मजदूरों की मृत्यु के बाद, DLSA ने पीड़ितों के परिजनों को ₹1.5 से ₹24.5 लाख तक का मुआवजा दिलवाया और घायलों के इलाज की व्यवस्था कराई।
13. **सफलता की कहानी : 30 मिनट में मिला लापता बालक-** 3 अक्टूबर 2024 को मेबो पुलिस (अरुणाचल प्रदेश) ने PLV की मदद से सोशल मीडिया के माध्यम से एक लापता बच्चे का परिवार 30 मिनट में खोज लिया, जिससे बच्चे का सुरक्षित पुनर्मिलन हुआ।
14. **सफलता की कहानी : DLSA हाजीपुर (उ.प्र.) ने वैवाहिक विवाद सुलझाया व रोजगार दिलाया-** DLSA हाजीपुर के प्रभावी परामर्श और मध्यस्थता से एक विधवा को संपत्ति विवाद निपटारा और अपने दिवंगत पति के स्थान पर नौकरी प्राप्त हुई।
15. **सफलता की कहानी : Dibrugarh (असम) में तीन बाल विवाह रोके गए-** नवंबर 2024 में PLV रोफिकुल इस्लाम खंडेकर ने गांव प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस की मदद से तीन बाल विवाह रोककर बच्चों के अधिकारों की रक्षा की।
16. **सफलता की कहानी : पैरा लीगल वॉलंटियर ने सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की (उत्तराखंड)-** PLV दीपा देवी ने एक विधवा को पेंशन योजना का लाभ दिलाया और उसके बच्चों को वात्सल्या योजना में नामांकित कराया। साथ ही, ग्रामवासियों की विवाह पंजीकरण और दस्तावेज सुधार में सहायता की।
17. **सफलता की कहानी : सोनीपत (हरियाणा) में महिला को विधिक सहायता एवं भरण-पोषण PLV और पैनल वकील की मदद से श्रीमती ABC ने भरण-पोषण और उत्पीड़न के मामले दर्ज किए। अब वह प्रति माह ₹10,000 प्राप्त कर रही हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता और सुरक्षा मिली।**

- 18. सफलता की कहानी : 8 वर्ष बाद पेंशन बहाल – सम्मान की पुनर्स्थापना (उत्तराखंड)** DLSA अल्मोड़ा के विधिक जागरूकता शिविर के दौरान एक अपंग वृद्ध व्यक्ति की वृद्धावस्था पेंशन आठ वर्षों बाद पुनः आरंभ की गई।
- 19. सफलता की कहानी : कैंसर रोगी को आर्थिक सहायता (झारखंड)-** PLV दीपेंती कुमारी गुप्ता ने एक कैंसर पीड़ित को मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना के तहत ₹5 लाख की सहायता दिलवाई तथा राशन कार्ड और आयुष्मान भारत योजना में उसका नामांकन कराया।
- 20. सफलता की कहानी : अनाथ बच्चों को मिला सहारा (धनबाद, झारखंड)-** PLV हेमराज चौहान ने चार अनाथ बच्चों की पहचान की और उन्हें राशन, स्वास्थ्य बीमा तथा स्पॉन्सरशिप लाभ दिलाने में प्रशासन की सहायता की।
- 21. सफलता की कहानी : वरिष्ठ नागरिक को अभिभावकता और मुआवजा (पश्चिम बंगाल)-**
DLSA पूर्व बर्दवान ने एक वृद्ध व्यक्ति को अपने पोते-पोतियों की अभिभावकता दिलाने में सहायता की और पश्चिम बंगाल पीड़ित मुआवजा योजना, 2017 के तहत मुआवजा दिलवाया।
ये सभी कहानियाँ नालसा की उस मानवीय दृष्टि को दर्शाती हैं जो न्याय को जीवन से जोड़ती है “न्याय केवल निर्णय नहीं, बल्कि पुनर्स्थापन और आशा का माध्यम है।”

सांख्यिकीय मुख्य विशेषताएँ

NALSA's Impact: A Statistical Overview

NALSA'S IMPACT - A STATISTICAL OVERVIEW OF 2024

A. LEGAL SERVICES AUTHORITIES IN INDIA : NATIONWIDE PRESENCE

At High Court Level	At District Level	At Taluka Level
38	708	2,439

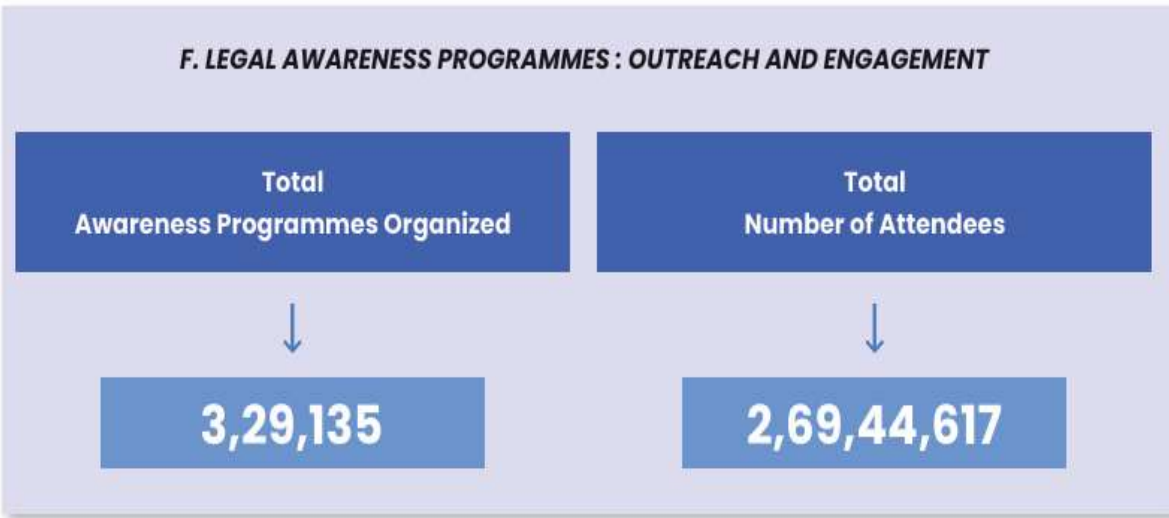
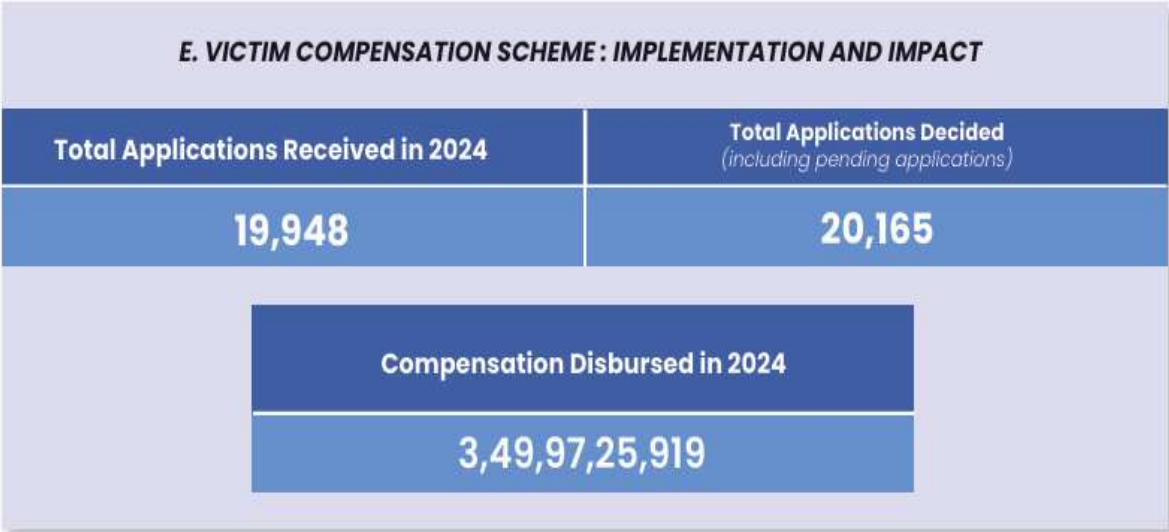
B. LEGAL AID WORKFORCE ACROSS INDIA

Panel Lawyers (including at SCLSC & HCLSC)	Legal Aid Defense Counsel (Chief, Deputy and Assistant)	Para Legal Volunteers (Adhikar Mitrs)	Pro-Bono Lawyers (including at HCLSC)
44,908	3,461	47,614	7,947

C. LOK ADALATS 2024: CASE DISPOSAL STATISTICS

National Lok Adalat	State Lok Adalat	Permanent Lok Adalat
↓	↓	↓
10,45,26,119	12,08,227	1,61,277

NALSA'S IMPACT - A STATISTICAL OVERVIEW OF 2024



NALSA'S IMPACT - A STATISTICAL OVERVIEW (JANUARY-MARCH)

A. LOK ADALAT : CASE DISPOSAL STATISTICS

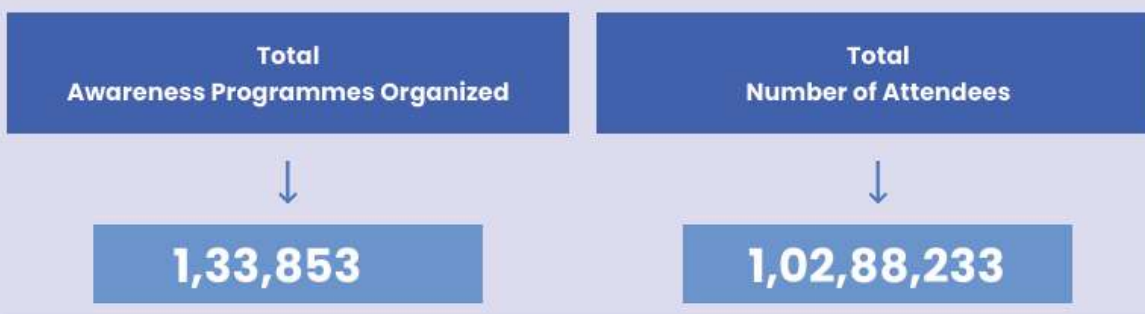


B. VICTIM COMPENSATION SCHEME : IMPLEMENTATION AND IMPACT

Total Applications Received	Total Applications Decided (including pending applications)
6,969	6,846

Compensation Disbursed
1,34,70,11,712

C. LEGAL AWARENESS PROGRAMMES : OUTREACH AND ENGAGEMENT



एडीआर एवं मध्यस्थता सांख्यिकीय जानकारी

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान

अनुक्रम संख्या	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	एडीआर केंद्र	एडीआर केंद्र कार्यशील	एडीआर केंद्रों के अलावा विद्यमान मध्यस्थता केंद्र	न्यायिक अधिकारी मध्यस्थ	अधिवक्ता मध्यस्थ	अन्य कोई मध्यस्थ	नियुक्त न्यायिक अधिकारी मध्यस्थ	नियुक्त अधिवक्ता मध्यस्थ	नियुक्त अन्य मध्यस्थ	मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए गए मामले
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	0	14	0	0	14	0	35
2	आंध्र प्रदेश	0	0	13	594	825	26	5	116	0	715
3	अरुणाचल प्रदेश	21	1	2	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	13	5	25	10	289	0	0	48	0	340
5	बिहार	37	37	1	245	355	0	245	355	0	1675
6	छत्तीसगढ़	6	0	33	83	156	0	21	54	0	500
7	दादरा तथा नगर हवेली	1	1	0	3	1	0	3	1	0	3
8	दमन एवं दीव	1	1	1	4	2	0	4	2	0	29
9	दिल्ली	0	0	6	0	38	0	0	33	0	680
10	गोवा	2	2	13	49	93	7	0	0	0	150
11	गुजरात	12	12	25	32	796	2	32	796	2	1957
12	हरियाणा	19	19	3	218	391	0	3	239	0	2500
13	हिमाचल प्रदेश	11	7	5	0	327	0	0	135	0	585
14	जम्मू एवं कश्मीर	16	14	68	9	158	0	9	158	0	64
15	झारखंड	24	24	0	167	444	161	0	205	101	8441
16	कर्नाटक	19	19	29	370	1717	0	0	829	0	8974
17	केरल	7	7	71	19	696	0	19	696	0	18858
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	45	45	141	1432	862	108	940	644	22	16088

अनुक्रम संख्या	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	एडीआर केंद्र	एडीआर केंद्र कार्यशील	एडीआर केंद्रों के अलावा विद्यमान मध्यस्थता केंद्र	न्यायिक अधिकारी मध्यस्थ	अधिवक्ता मध्यस्थ	अन्य कोई मध्यस्थ	नियुक्त न्यायिक अधिकारी मध्यस्थ	नियुक्त अधिवक्ता मध्यस्थ	नियुक्त अन्य मध्यस्थ	मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए गए मामले
20	महाराष्ट्र	37	37	448	2115	934	1913	1503	265	445	20765
21	मणिपुर	6	6	2	59	82	0	0	0	0	230
22	मेघालय	0	1	1	12	6	9	1	1	0	8
23	मिज़ोरम	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	1	0	11	0	0	0	0	0	0	1
25	ओड़ीशा	16	16	15	56	573	0	0	90	0	201
26	पुडुचेरी	2	2	2	3	44	0	0	24	0	6
27	पंजाब	17	17	5	210	152	12	210	152	12	2809
28	राजस्थान	31	31	144	102	257	1	102	257	1	564
29	सिक्किम	4	4	4	7	55	6	0	29	0	80
30	तमिलनाडु	33	32	157	376	1574	9	11	1278	6	3300
31	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722
32	त्रिपुरा	2	2	7	80	64	0	0	18	0	31
33	चण्डीगढ़	1	1	0	2	43	0	0	37	0	467
34	उत्तर प्रदेश	71	46	0	297	539	0	297	539	0	6756
35	उत्तराखंड	5	5	17	167	127	0	0	0	0	174
36	पश्चिम बंगाल	19	19	1	70	236	10	5	75	0	687
37	लद्दाख	1	1	0	1	11	0	1	11	0	11
	कुल	481	417	1252	6792	11861	2264	3411	7101	589	98406

अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रदान की गई विधिक सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	बच्चे	हिरासत में	विकलांग	औद्योगिक कामगार	ट्रांसजेंडर	मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित	सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप और औद्योगिक आपदा से पीड़ित	सामान्य (जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है)	अन्य	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	120	20	3	1	42	0	0	0	28	127	341
2	आंध्र प्रदेश	234	47	1162	107	3289	8	1	3	0	0	1437	4978	11266
3	अरुणाचल प्रदेश	1658	3946	1979	237	1330	8	30	2	1	0	33	12	9236
4	असम	1536	6183	9000	3130	25489	276	1464	122	2	8	12126	23358	82694
5	बिहार	4673	1399	10374	6550	31677	162	585	48	0	618	2647	25772	84505
6	छत्तीसगढ़	10815	14336	12068	607	21610	109	0	6	0	4	11868	9451	80874
7	दादरा तथा नगर हवेली	1	4	28	0	7	0	5	0	0	0	0	0	45
8	दमन एवं दीव	10	10	39	4	24	3	12	1	1	1	14	0	119
9	दिल्ली	1652	163	19060	2942	18630	336	955	7	510	0	10869	21402	76526
10	गोवा	17	20	892	14	314	15	0	0	0	0	569	48	1889
11	गुजरात	3882	8271	12828	1404	10862	173	83	0	0	8	7999	4957	50467
12	हरियाणा	1689	0	7766	572	66229	65	7	2	0	0	3936	1928	82194
13	हिमाचल	545	88	3159	112	703	86	8	1	0	3	835	682	6222

क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	बच्चे	हिरासत में	विकलांग	औद्योगिक कामगार	ट्रांसजेंडर	मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित	सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप और औद्योगिक आपदा से पीड़ित	सामान्य (जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है)	अन्य	कुल
	प्रदेश													
14	जम्मू एवं कश्मीर	1269	573	5592	1730	1299	705	1	5	1	40	6159	1228	18602
15	झारखंड	41537	42987	72003	30572	33281	3560	3703	194	78	173	5741	94536	328365
16	कर्नाटक	6051	3329	12167	790	8972	254	191	32	9	9	7659	11782	51245
17	केरल	1362	724	12741	2330	3473	176	85	31	73	37	3794	1745	26571
18	लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	मध्य प्रदेश	22764	23211	35058	18240	93264	669	2908	0	0	241	15748	20906	233009
20	महाराष्ट्र	3351	1620	20167	1230	20535	374	240	21	2	36	6248	5630	59454
21	मणिपुर	346	6989	7697	1504	498	159	48	19	0	78868	2433	501	99062
22	मेघालय	20	710	544	86	877	1	0	11	6	0	233	266	2754
23	मिज़ोरम	26	2145	696	20	676	0	0	0	0	0	0	150	3713
24	नागालैंड	608	2365	604	432	499	52	0	0	0	0	452	0	5012
25	ओड़ीशा	1609	1111	3957	221	11536	179	5	40	7	468	2027	974	22134
26	पुडुचेरी	31	0	155	240	100	0	0	0	0	0	53	37	616
27	पंजाब	5516	2	14762	526	33615	86	38	0	0	0	9879	1089	65513
28	राजस्थान	333	103	1812	5755	13064	27	2	1	0	0	1109	10	22216
29	सिक्किम	18	118	464	25	167	1	0	0	0	0	103	5	901

क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	बच्चे	हिरासत में	विकलांग	औद्योगिक कामगार	ट्रांसजेंडर	मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित	सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप और औद्योगिक आपदा से पीड़ित	सामान्य (जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है)	अन्य	कुल
30	तमिलनाडु	2214	357	12479	323	12088	201	197	15	0	59	11110	13485	52528
31	तेलंगाना	323	189	2586	158	5635	31	0	0	0	0	3053	4046	16021
32	त्रिपुरा	829	621	3348	192	1588	61	36	115	0	1460	1244	809	10303
33	चण्डीगढ़	30	0	1330	106	780	7	0	0	0	0	667	31	2951
34	उत्तर प्रदेश	1799	5	2091	616	6979	176	32	107	0	0	5315	5612	22732
35	उत्तराखंड	1974	704	4174	2332	19420	204	378	8	47	8	2922	2037	34208
36	पश्चिम बंगाल	10680	6029	23057	4394	24398	148	1722	53	56	124	19523	2730	92914
37	लद्दाख	0	80	192	9	43	0	0	0	0	0	0	0	324
	कुल	129402	128440	316151	87530	472954	8313	12778	844	793	82165	157833	260324	1657527

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान आयोजित विधिक साक्षरता/विधिक जागरूकता शिविरों/कार्यक्रमों के संबंध में सांख्यिकीय जानकारी			
क्रम संख्या	राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण	आयोजित कार्यक्रम	उपस्थित व्यक्ति
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43	4195
2	आंध्र प्रदेश	10608	873734
3	अरुणाचल प्रदेश	303	25017
4	असम	5241	531210
5	बिहार	4621	412256
6	छत्तीसगढ़	102236	3952175
7	दादरा तथा नगर हवेली	15	755
8	दमन एवं दीव	66	9511
9	दिल्ली	3710	318249
10	गोवा	344	29930
11	गुजरात	14921	2463843
12	हरियाणा	29626	2922868
13	हिमाचल प्रदेश	2565	127654
14	जम्मू एवं कश्मीर	4806	294079
15	झारखंड	42235	2131203
16	कर्नाटक	27144	3463128
17	केरल	5416	390462
18	लक्षद्वीप	1	60
19	मध्य प्रदेश	15491	3274226
20	महाराष्ट्र	14916	2273290
21	मणिपुर	417	2487489
22	मेघालय	1030	76712
23	मिज़ोरम	258	35249
24	नागालैंड	381	45106
25	ओड़ीशा	2887	253857
26	पुडुचेरी	288	7525
27	पंजाब	34228	2248081
28	राजस्थान	62011	3362084
29	सिक्किम	453	15587
30	तमिलनाडु	6284	1010195
31	तेलंगाना	4770	745386
32	त्रिपुरा	2009	232033
33	चण्डीगढ़	1535	68995
34	उत्तर प्रदेश	9837	820020
35	उत्तराखंड	35865	1516076
36	पश्चिम बंगाल	16330	801924
37	लद्दाख	97	8686
	कुल	462988	37232850

पैरा-लीगल वॉलंटियर्स की सांख्यिकीय जानकारी									
क्रम संख्या	राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण	प्रशिक्षित PLVs	तैनात PLVs की संख्या (मार्च 2025 तक)					अन्य विधिक सेवाएँ	कुल
			थाना	फ्रंट ऑफिस	जेलें/पर्यवेक्षण गृह	JJBs/बाल कल्याण केंद्र (CWCs)			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18	9	4	0	5	0	18	
2	आंध्र प्रदेश	2104	22	4	42	23	178	269	
3	अरुणाचल प्रदेश	2357	20	36	0	1	5	62	
4	असम	837	147	30	78	27	269	551	
5	बिहार	1870	588	98	82	89	677	1534	
6	छत्तीसगढ़	1674	433	60	26	13	65	597	
7	दादरा तथा नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	
8	दमन एवं दीव	21	5	0	1	0	15	21	
9	दिल्ली	0	158	20	250	0	97	525	
10	गोवा	20	8	7	1	0	7	23	
11	गुजरात	3219	274	126	111	76	586	1173	
12	हरियाणा	1347	17	21	67	7	255	367	
13	हिमाचल प्रदेश	5786	41	46	27	0	112	226	
14	जम्मू एवं कश्मीर	555	69	89	25	10	362	555	
15	झारखंड	4512	564	65	68	67	1444	2208	
16	कर्नाटक	805	0	1	13	0	16	30	
17	केरल	1224	45	48	119	35	418	665	
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	

क्रम संख्या	राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण	प्रशिक्षित PLVs	तैनात PLVs की संख्या (मार्च 2025 तक)					
			थाना	फ्रंट ऑफिस	जेलें/पर्यवेक्षण गृह	JJBs/बाल कल्याण केंद्र (CWCs)	अन्य विधिक सेवाएँ	कुल
19	मध्य प्रदेश	2738	473	99	177	62	703	1514
20	महाराष्ट्र	6184	138	124	93	38	519	912
21	मणिपुर	351	2	8	8	0	241	259
22	मेघालय	364	57	21	13	13	54	158
23	मिज़ोरम	32	1	24	2	0	5	32
24	नागालैंड	1348	0	11	11	0	166	188
25	ओड़ीशा	2328	42	4	198	25	1345	1614
26	पुडुचेरी	406	13	5	8	4	39	69
27	पंजाब	0	897	90	44	63	12	1106
28	राजस्थान	1376	118	1	135	1	351	606
29	सिक्किम	169	35	5	1	0	16	57
30	तमिलनाडु	1246	4	203	89	8	117	421
31	तेलंगाना	1317	83	22	14	4	224	347
32	त्रिपुरा	246	51	42	16	11	126	246
33	चण्डीगढ़	695	0	30	1	7	0	38
34	उत्तर प्रदेश	2795	89	40	19	8	93	249
35	उत्तराखंड	1123	158	20	34	15	896	1123
36	पश्चिम बंगाल	1365	231	95	74	30	394	824
37	लद्दाख	46	0	4	1	0	41	46
	कुल	50478	4792	1503	1848	642	9848	18633

स्थायी लोक अदालतों (एलएसए अधिनियम की धारा 22-बी के अंतर्गत स्थापित) के संबंध में सांख्यिकीय जानकारी									
अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान									
क्रम संख्या	राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण	पीएलए (स्थायी लोक अदालतों) क्रियाशील / कार्यरत	वर्ष के दौरान बैठके	वर्ष की शुरुआत में लंबित मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त मामले	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	कुल निपटान मूल्य (रु.)		
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0		
2	आंध्र प्रदेश	13	1333	1687	1311	1413	75000778		
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	5	2	0		
4	असम	13	146	103	53	28	20000		
5	बिहार	0	0	0	0	0	0		
6	छत्तीसगढ़	5	1158	677	25971	25546	4076989		
7	दादरा तथा नगर हवेली	0	0	0	0	0	0		
8	दमन एवं दीव	1	0	0	0	0	0		
9	दिल्ली	3	773	921	24973	24363	925154079		
10	गोवा	2	5	0	814	113	2107404		
11	गुजरात	0	0	0	0	0	0		
12	हरियाणा	21	3602	19568	82711	82977	519456968		
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0		
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0	0		
15	झारखंड	24	5313	21942	42007	41638	1108062489		
16	कर्नाटक	6	1411	11369	6096	7786	1038929150		
17	केरल	3	346	22155	397	486	53838718		
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0		

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान							
क्रम संख्या	राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण	पीएलए (स्थायी लोक अदालतों) क्रियाशील / कार्यरत	वर्ष के दौरान बैठके	वर्ष की शुरुआत में लंबित मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त मामले	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	कुल निपटान मूल्य (₹.)
19	मध्य प्रदेश	50	864	130	188	275	7507100
20	महाराष्ट्र	4	985	1782	952	1375	465553238
21	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
22	मेघालय	0	0	0	0	0	0
23	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
25	ओड़ीशा	22	1153	2422	2188	1894	305478269
26	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
27	पंजाब	22	5026	10482	24044	23300	884431635
28	राजस्थान	36	5071	9760	5481	4585	659201747.5
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	32	1067	308	488	409	12394627
31	तेलंगाना	6	78	12920	10066	10454	140981801
32	त्रिपुरा	8	118	20	305	272	2688977
33	चण्डीगढ़	1	239	637	19283	8511	32179154
34	उत्तर प्रदेश	71	3574	15859	1926	1930	148591119
35	उत्तराखंड	4	717	582	849	623	220955739
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
37	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
	कुल	347	32979	133324	250108	237980	6606609982

SLSA /DLSA आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में सांख्यिकीय जानकारी
अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	पैनल वकील		पीएलवी		अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
		आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	10	18	0	0
2	आंध्र प्रदेश	102	529	12	1068	53	1821
3	अरुणाचल प्रदेश	1	1	2	183	8	190
4	असम	86	1000	74	1246	189	5959
5	बिहार	108	1054	129	2280	23	333
6	छत्तीसगढ़	115	2754	237	5755	8	77
7	दादरा तथा नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
8	दमन एवं दीव	1	18	1	17	0	0
9	दिल्ली	84	3877	54	2336	125	2613
10	गोवा	3	28	5	108	3	47
11	गुजरात	67	893	103	1986	28	310
12	हरियाणा	303	4527	306	3054	392	6357
13	हिमाचल प्रदेश	74	992	76	727	40	1045
14	जम्मू एवं कश्मीर	1	30	2	30	3	3
15	झारखंड	124	1957	209	9592	71	1814
16	कर्नाटक	62	1683	49	2992	61	4019
17	केरल	21	772	37	2090	38	2773
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	पैनल वकील		पीएलवी		अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
		आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
19	मध्य प्रदेश	158	2336	163	3693	108	4043
20	महाराष्ट्र	317	7944	188	4599	177	8158
21	मणिपुर	7	169	7	245	8	1078
22	मेघालय	18	291	25	460	17	293
23	मिज़ोरम	1	85	0	0	1	55
24	नागालैंड	2	80	1	28	0	0
25	ओड़ीशा	33	879	51	1509	7	110
26	पुडुचेरी	6	165	5	166	2	20
27	पंजाब	400	5028	245	2986	572	6082
28	राजस्थान	37	385	73	1281	61	1841
29	सिक्किम	15	505	21	101	4	36
30	तमिलनाडु	82	2127	98	1875	106	2611
31	तेलंगाना	47	641	53	1206	18	639
32	त्रिपुरा	7	122	16	265	15	444
33	चण्डीगढ़	8	103	8	107	0	0
34	उत्तर प्रदेश	5	34	17	141	0	0
35	उत्तराखंड	29	471	75	2813	62	1834
36	पश्चिम बंगाल	57	747	138	3077	35	641
37	लद्दाख	1	4	2	97	1	11
	कुल	2382	42231	2492	58131	2236	55257

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में सांख्यिकीय जानकारी
अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	विधिक सेवा संस्थानों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आवेदन (ए)	किसी न्यायालय द्वारा चिह्नित/निर्देशित आवेदन/आदेश (बी)	न्यायालय आदेश सहित प्राप्त आवेदन (ए+बी)	निराकृत आवेदन	लंबित आवेदन	दिया गया प्रतिकर (रु.)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	3	3	1	0	100000
2	आंध्र प्रदेश	33	135	168	130	130	33960000
3	अरुणाचल प्रदेश	61	0	61	4	6	300000
4	असम	221	608	829	798	647	193803762
5	बिहार	311	668	979	464	297	88476000
6	छत्तीसगढ़	3759	1551	5310	7084	1104	700785500
7	दादरा तथा नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
8	दमन एवं दीव	0	1	1	2	0	0
9	दिल्ली	966	2581	3547	5101	1102	1400937471
10	गोवा	1	1	2	2	0	1000000
11	गुजरात	382	581	963	1038	639	270942500
12	हरियाणा	47	473	520	549	88	139625500
13	हिमाचल प्रदेश	121	70	191	86	0	10980000
14	जम्मू एवं कश्मीर	61	19	80	53	0	12727500
15	झारखंड	457	1062	1519	983	1934	253018131
16	कर्नाटक	94	663	757	494	791	98473000
17	केरल	189	444	633	260	487	121932500
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	289	928	1217	877	1362	168332950

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	विधिक सेवा संस्थानों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आवेदन (ए)	किसी न्यायालय द्वारा चिह्नित/निर्देशित आवेदन/आदेश (बी)	न्यायालय आदेश सहित प्राप्त आवेदन (ए+बी)	निराकृत आवेदन	लंबित आवेदन	दिया गया प्रतिकर (रु.)
20	महाराष्ट्र	131	80	211	269	207	33781000
21	मणिपुर	38	80	118	95	15	22650000
22	मेघालय	294	118	412	67	43	9100000
23	मिज़ोरम	114	19	133	23	8	9350000
24	नागालैंड	11	11	22	16	27	1750000
25	ओड़ीशा	1349	686	2035	1824	2209	399997500
26	पुडुचेरी	0	18	18	0	0	4175000
27	पंजाब	81	319	400	423	127	85869602
28	राजस्थान	1975	2317	4292	4462	412	409191500
29	सिक्किम	5	22	27	27	0	5425000
30	तमिलनाडु	566	249	815	626	1130	138700815
31	तेलंगाना	32	216	248	199	253	58812500
32	त्रिपुरा	34	25	59	33	56	10725000
33	चण्डीगढ़	6	14	20	12	20	7650000
34	उत्तर प्रदेश	362	0	362	362	0	52304900
35	उत्तराखंड	235	124	359	346	71	39395000
36	पश्चिम बंगाल	298	299	597	297	964	61240000
37	लद्दाख	9	0	9	4	0	1225000
	कुल	12532	14385	26917	27011	14129	4846737631

सारिणी (क) - अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के मध्य विधिक सेवा क्लिनिक से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी

क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	लॉ कॉलेज/विश्वविद्यालय			गाँव			सामुदायिक केंद्र			न्यायालय		
		कानूनी सेवा क्लिनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लिनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लिनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लिनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	26	152	59	85	951	951	27	250	250	2	355	355
3	अरुणाचल प्रदेश	5	0	0	0	0	0	2	130	97	19	3482	3005
4	असम	28	598	326	75	7816	5476	14	4086	3711	23	5855	4308
5	बिहार	13	966	830	77	9485	7575	77	9032	6248	28	25792	21240
6	छत्तीसगढ़	16	889	580	36	2971	901	6	524	510	0	0	0
7	दादरा तथा नगर हवेली	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
8	दमन एवं दीव	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	19	1043	995	102	11803	8588	7	724	629	14	1363	1361
10	गोवा	36	18	9	3	9	9	2	3	3	5	0	0
11	गुजरात	36	1216	924	194	22809	9536	19	1075	595	35	9466	2973

क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	लॉ कॉलेज/विश्वविद्यालय			गाँव			सामुदायिक केंद्र			न्यायालय		
		कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
12	हरियाणा	5	0	0	146	29359	21420	23	3283	3246	45	16086	15227
13	हिमाचल प्रदेश	20	287	262	65	38781	36825	0	0	0	46	13625	12195
14	जम्मू एवं कश्मीर	15	3749	2670	95	9029	7464	40	1884	1480	25	6528	4546
15	झारखंड	6	9744	5905	1062	168521	88363	9	99108	35587	0	0	0
16	कर्नाटक	131	490	135	63	2802	2388	0	0	0	183	45609	37177
17	केरल	4	2197	1676	156	19592	17379	7	1596	1070	1	180	180
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	89	3893	737	373	6702	4095	117	1756	565	61	10705	5797
20	महाराष्ट्र	90	1241	699	23	2718	1284	33	3698	1704	84	13708	5234
21	मणिपुर	2	93	92	38	9374	7857	2	2102	1412	3	171	118
22	मेघालय	5	35	0	76	312	264	0	0	0	9	705	386
23	मिज़ोरम	0	0	0	1	61	61	0	0	0	9	1064	987
24	नागालैंड	5	751	461	89	1814	1380	19	3279	2673	11	3000	1927
25	ओड़ीशा	21	629	17	132	8022	4752	2	319	319	144	4149	3382
26	पुडुचेरी	9	494	3	55	3575	26	1	0	0	0	0	0

क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	लॉ कॉलेज/विश्वविद्यालय			गाँव			सामुदायिक केंद्र			न्यायालय		
		कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
27	पंजाब	33	855	734	67	3546	2814	8	192	18	30	13673	11494
28	राजस्थान	94	65	65	130	102	102	0	0	0	168	4221	4193
29	सिक्किम	3	0	0	12	0	0	7	0	0	4	0	0
30	तमिलनाडु	26	7093	244	555	11628	630	119	4176	355	0	0	0
31	तेलंगाना	23	3851	3619	23	2157	1501	26	6505	4392	2	98	53
32	त्रिपुरा	3	138	115	134	14993	13062	37	54	54	42	176	176
33	चण्डीगढ़	4	1182	1182	13	12938	12017	2	104	104	2	873	819
34	उत्तर प्रदेश	30	43	31	16	478	427	5	2	2	3	1679	1222
35	उत्तराखंड	16	2128	2128	131	5505	5229	33	2134	1982	13	1710	1516
36	पश्चिम बंगाल	11	1577	488	596	111912	51482	121	89784	31718	36	32726	20869
37	लद्दाख	0	0	0	26	1289	774	0	0	0	0	0	0
	कुल	824	45417	24986	4668	521054	314632	765	235800	98724	1047	216999	160740

सारिणी (ख) - जेल, जेजेबी/सीडब्ल्यूसी/संप्रेक्षण गृह, पूर्वोत्तर के लोगों के लिए, अन्य

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	जेल			जेजेबी/सीडब्ल्यूसी/ संप्रेक्षण गृह			पूर्वोत्तर के लोगों के लिए			अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
		कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	81	5532	5532	6	78	78	4	0	0	78	75	75
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	650	465	1	19	18	0	0	0	21	3277	3246
4.	असम	35	13490	10656	20	0	0	0	0	0	88	8797	6154
5.	बिहार	59	32505	25399	60	12156	9823	2	2337	69	154	31197	19910
6.	छत्तीसगढ़	34	24687	8472	27	5131	2256	2	261	0	8	674	364
7.	दादरा तथा नगर हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दमन एवं दीव	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	18	111766	111766	19	34188	34188	0	0	0	21	3410	2554
10.	गोवा	1	27	17	0	0	0	1	0	0	4	80	12
11.	गुजरात	56	13871	4615	34	3126	585	4	61	0	79	4091	1205

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	जेल			जेजेबी/सीडब्ल्यूसी/ संरक्षण गृह			पूर्वांतर के लोगों के लिए			अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
		कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
12.	हरियाणा	22	49488	45005	9	2383	1755	1	0	0	0	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	14	12563	10042	14	295	267	6	0	0	41	1603	1591
14.	जम्मू एवं कश्मीर	10	1562	966	3	553	405	0	0	0	19	1863	1818
15.	झारखंड	30	34762	27287	24	10968	6907	2	3129	457	296	86142	76058
16.	कर्नाटक	55	21804	18662	29	2845	2203	3	5	5	867	95753	58767
17.	केरल	54	4127	3386	4	1316	638	0	0	0	24	4363	3275
18.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	124	25113	6962	50	3838	2225	2	4	4	323	8828	6707
20.	महाराष्ट्र	57	15583	8418	30	4859	1683	3	1745	725	173	3534	1173
21.	मणिपुर	2	330	319	0	0	0	0	0	0	12	3816	3808
22.	मेघालय	5	205	110	11	21	12	0	0	0	2	37	20
23.	मिज़ोरम	3	286	286	0	0	0	0	0	0	1	0	0
24.	नागालैंड	11	172	83	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ओड़ीशा	86	21274	10409	31	917	604	1	0	0	76	3166	1703
26.	पुडुचेरी	4	929	88	0	0	0	2	0	0	0	0	0

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	जेल			जेजेबी/सीडब्ल्यूसी/ संरक्षण गृह			पूर्वांतर के लोगों के लिए			अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
		कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
27.	पंजाब	31	32201	20999	7	892	203	1	0	0	93	7923	5584
28.	राजस्थान	112	41379	40402	34	0	0	0	0	0	176	8791	8771
29.	सिक्किम	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	तमिलनाडु	131	40200	8472	43	3297	860	1	0	0	0	0	0
31.	तेलंगाना	35	20385	8828	9	2071	1188	4	0	0	112	2321	1560
32.	त्रिपुरा	12	1957	1838	8	0	0	0	0	0	22	2378	2016
33.	चण्डीगढ़	2	1672	1672	1	537	537	1	0	0	9	1609	1601
34.	उत्तर प्रदेश	8	2080	1879	2	118	110	1	45	45	25	2590	1539
35.	उत्तराखंड	12	15333	15333	14	0	0	0	0	0	166	22641	21205
36.	पश्चिम बंगाल	42	48529	21043	16	10198	6568	1	106	99	116	37996	18154
37.	लद्दाख	1	118	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	1156	594580	419517	511	99806	73113	42	7693	1404	3006	346955	248870

सारिणी (ग) - कुल

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	कुल		
		कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	309	7393	7300
3.	अरुणाचल प्रदेश	53	7558	6831
4.	असम	283	40642	30631
5.	बिहार	470	123470	91094
6.	छत्तीसगढ़	129	35137	13083
7.	दादरा तथा नगर हवेली	13	0	0
8.	दमन एवं दीव	8	0	0
9.	दिल्ली	200	164297	160081
10.	गोवा	52	137	50
11.	गुजरात	457	55715	20433
12.	हरियाणा	251	100599	86653
13.	हिमाचल प्रदेश	206	67154	61182
14.	जम्मू एवं कश्मीर	207	25168	19349
15.	झारखंड	1429	412374	240564
16.	कर्नाटक	1331	169308	119337
17.	केरल	250	33371	27604
18.	लक्षद्वीप	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	1139	60839	27092
20.	महाराष्ट्र	493	47086	20920
21.	मणिपुर	59	15886	13606
22.	मेघालय	108	1315	792
23.	मिज़ोरम	14	1411	1334
24.	नागालैंड	136	9016	6524
25.	ओड़ीशा	493	38476	21186

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	कुल		
		कानूनी सेवा क्लीनिकों की मौजूदा संख्या	दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कानूनी सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
26.	पुडुचेरी	71	4998	117
27.	पंजाब	270	59282	41846
28.	राजस्थान	714	54558	53533
29.	सिक्किम	32	0	0
30.	तमिलनाडु	875	66394	10561
31.	तेलंगाना	234	37388	21141
32.	त्रिपुरा	258	19696	17261
33.	चण्डीगढ़	34	18915	17932
34.	उत्तर प्रदेश	90	7035	5255
35.	उत्तराखंड	385	49451	47393
36.	पश्चिम बंगाल	939	332828	150421
37.	लद्दाख	27	1407	880
	कुल	12019	2068304	1341986

लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम: न्याय तक पहुँच को सशक्त बनाना

परिचय

भारत के संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देती है। इस संवैधानिक उद्देश्य को साकार करने हेतु संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह समान अवसर पर आधारित न्याय सुनिश्चित करे और यह भी कि कोई नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। इन प्रावधानों के बावजूद समाज का एक बड़ा वर्ग विशेषकर गरीब और हाशिए पर स्थित लोग अब भी सक्षम विधिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करते हैं। इस अंतर को पाटने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने वर्ष 2019 में लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम (LADCS) की परिकल्पना की, ताकि गरीब अभियुक्तों को संरचित, पेशेवर और समर्पित विधिक रक्षा सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

उद्भव और विस्तार

वर्ष 2019 में नागपुर में आयोजित 17वीं अखिल भारतीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की बैठक में नालसा ने 17 ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया। यह योजना प्रारंभ में 13 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। इसने विधिक सहायता की गुणवत्ता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार दिखाया। इस सफलता को देखते हुए, मार्च 2023 में इसे केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) के रूप में अपनाया गया, जिससे इसका देशव्यापी विस्तार संभव हुआ। इस योजना के अंतर्गत विचाराधीन अभियुक्तों एवं सिद्धदोष व्यक्ति को गिरफ्तारी पूर्व, गिरफ्तारी, रिमांड, संपूर्ण विचारण और जिला स्तर की अपीलें में निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

प्रणालीगत ढाँचा और कार्यान्वयन

हर ज़िले में एक लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम कार्यालय स्थापित किया गया है, जो पूर्णकालिक रूप से आपराधिक मामलों का संचालन करता है।

टीम की संरचना:

- चीफ लीगल ऐड डिफेंस काउंसल
- डिप्टी चीफ लीगल ऐड डिफेंस काउंसल

- असिस्टेंट लीगल ऐड डिफेंस काउंसल
- सहायक कर्मचारी (ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, परिचारक)

सभी सदस्य पूर्णकालिक एवं संविदा संविदा के आधार पर नियुक्त हैं, जिन्हें रिटेनरशिप आधार पर नियुक्त किया गया है, जिससे उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और वृत्तिक दक्षता सुनिश्चित होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभार्थियों को सतत, सक्षम और गुणवत्तापूर्ण विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

उद्देश्य

लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम के प्रमुख उद्देश्य हैं —

- आपराधिक मामलों में गुणवत्तापूर्ण, सक्षम और समयबद्ध विधिक सेवाएँ प्रदान करना।
- विधिक सहायता प्रणाली को संस्थागत और पेशेवर बनाना।
- गरीब और हाशिए पर स्थित अभियुक्तों को विधिक सहायता की पहुँच सुलभ कराना।
- जवाबदेही, पारदर्शिता और संगठित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना।

लक्षित लाभार्थी

लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम के अंतर्गत विधिक सहायता उन सभी अभियुक्तों और दोषियों को प्रदान की जाती है जो हिरासत में हैं या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में वर्णित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

इनमें शामिल हैं —

- अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
- मानव तस्करी या बंधुआ मजदूरी के शिकार व्यक्ति
- महिलाएँ और बच्चे
- दिव्यांगजन
- प्राकृतिक आपदा, जातीय हिंसा, या औद्योगिक दुर्घटना के पीड़ित
- औद्योगिक श्रमिक

- किसी भी प्रकार की सुरक्षात्मक या सुधार गृह, किशोर गृह या मानसिक चिकित्सालय में बंद व्यक्ति
- कम आय वाले व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय राज्य/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है।

सेवाओं का दायरा

लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम कार्यालय निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करते हैं —

- विधिक परामर्श एवं सहायता
- सभी प्रकार की आपराधिक अदालतों (सेशन, विशेष, मजिस्ट्रेट, कार्यकारी) में मुकदमे, अपील एवं याचिकाओं का संचालन
- रिमांड, जमानत और गिरफ्तारी पूर्व कानूनी सहायता
- DLSA सचिव द्वारा सौंपे गए विधिक सहायता कार्यों का निष्पादन
- जेलों का नियमित दौरा कर बिना प्रतिनिधित्व वाले बंदियों की सहायता करना

परिणाम और प्रणालीगत लाभ

- लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम की संख्या और उपलब्धता में वृद्धि
- अनुभवी वकीलों द्वारा सतत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित
- विधिक सहायता मामलों की निगरानी और फॉलो-अप प्रणाली मजबूत हुई
- आपराधिक न्याय प्रणाली में पेशेवर प्रबंधन और उत्तरदायित्व बढ़ा
- नियमित क्लाइंट परामर्श और पारदर्शी केस अपडेट
- प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू
- ज़िला स्तर पर संस्थागत क्षमता निर्माण
- LADC और कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम, “न्याय सब के लिए (Justice for All)” की संवैधानिक अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि विधिक

प्रतिनिधित्व का अधिकार केवल एक संवैधानिक वादा नहीं, बल्कि हर गरीब और असहाय नागरिक के लिए एक जीवंत वास्तविकता बने। लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम के माध्यम से भारत की विधिक सहायता प्रणाली को संरचित, पेशेवर और जवाबदेह रूप मिला है, जो अनुच्छेद 39A की भावना को सशक्त बनाते हुए न्याय तक समान पहुँच के राष्ट्रीय संकल्प को साकार कर रही है।

मार्च 2025 तक लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम में नियुक्त मानव संसाधन की सांख्यिकीय जानकारी

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	चीफ लीगल ऐड डिफेंस काउंसल	डिप्टी चीफ लीगल ऐड डिफेंस काउंसल	असिस्टेंट लीगल ऐड डिफेंस काउंसल	सहायक कर्मचारी	कुल कर्मचारी	अप्रैल माह, 2024 से मार्च, 2025 तक कुल जेल भ्रमण की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	12	18	30	35	95	1101
2	अरुणाचल प्रदेश	8	11	17	31	67	568
3	असम	33	97	196	222	548	5734
4	बिहार	34	52	70	0	156	3762
5	छत्तीसगढ़	21	28	50	65	164	2106
6	गोवा	2	5	11	14	32	24
7	गुजरात	33	91	183	62	369	1558
8	हरियाणा	14	32	47	20	113	4352
9	हिमाचल प्रदेश	8	14	28	33	83	2227
10	जम्मू एवं कश्मीर	3	19	24	0	46	320
11	झारखंड	24	38	67	48	177	4324
12	कर्नाटक	28	28	37	85	178	2292
13	केरल	14	30	54	42	140	2813
14	मध्य प्रदेश	48	89	130	0	267	3953
15	महाराष्ट्र	32	57	145	141	375	6434
16	मणिपुर	4	6	8	14	32	47
17	मेघालय	11	21	52	71	155	561
18	मिज़ोरम	4	11	21	28	64	24
19	नागालैंड	5	5	5	15	30	93

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	चीफ लीगल ऐड डिफेंस काउंसल	डिप्टी चीफ लीगल ऐड डिफेंस काउंसल	असिस्टेंट लीगल ऐड डिफेंस काउंसल	सहायक कर्मचारी	कुल कर्मचारी	अप्रैल माह, 2024 से मार्च, 2025 तक कुल जेल भ्रमण की संख्या
20	ओड़ीशा	17	36	40	0	93	816
21	पंजाब	22	42	60	111	235	4688
22	राजस्थान	36	48	135	204	423	5302
23	सिक्किम	2	6	12	7	27	26
24	तमिलनाडु	28	75	166	175	444	4835
25	तेलंगाना	30	35	81	182	328	1459
26	त्रिपुरा	7	23	46	52	128	305
27	उत्तर प्रदेश	73	78	144	122	417	9471
28	उत्तराखंड	13	6	16	47	82	647
29	पश्चिम बंगाल	9	20	27	16	72	1936
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
31	चण्डीगढ़	1	3	4	4	12	351
32	दादरा तथा नगर हवेली	0	0	1	2	3	24
33	दमन एवं दीव	1	0	1	4	6	4
34	दिल्ली	7	20	39	33	99	270
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	2	1	3	0	6	0
37	लद्दाख	0	2	2	0	4	10
	Total	586	1047	1952	1885	5470	72437

अप्रैल 2014 माह की अविधि से मार्च 2025 की अविधि तक लीगल ऐड डिफेंस काउंसल सिस्टम को समुनिदेशित एवं निराकृत जमानत एवं मामलो की सांख्यिकीय जानकारी

क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	मार्च, 2025 तक एलएडी सी कार्यालय कार्यरत जिलों की संख्या	अप्रैल 2024 माह की अविधि से मार्च 2025 की अविधि तक समुनिदेशित जमानत एवं दाण्डिक प्रकरण					अप्रैल 2024 माह की अविधि से मार्च 2025 की अविधि तक निराकृत जमानत एवं दाण्डिक प्रकरण								
			सत्र प्रकरण	मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रकरण	न्यायालयों में रिमांड कार्य	जमानत			सत्र प्रकरण u/s 480	मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रकरण	न्यायालयों में रिमांड कार्य	जमानत				
						u/s 480	u/s 482	u/s 483	अन्य आवेदन/या चिकाएँ				u/s 480	u/s 482	u/s 483	अन्य आवेदन/या चिकाएँ
1	आंध्र प्रदेश	13	1175	975	209	612	1	862	407	409	491	213	493	0	639	381
2	अरुणाचल प्रदेश	21	368	562	589	228	8	88	108	56	124	257	178	21	58	47
3	असम	33	4021	6754	10099	8932	127	1795	3930	986	2312	8101	7986	91	1632	3873
4	बिहार	37	5317	4066	40846	2922	51	3297	2897	1154	898	31081	2520	38	3096	2786
5	छत्तीसगढ़	23	2024	3175	6166	1998	28	911	2203	1099	1778	4342	1880	84	828	2181
6	गोवा	2	88	112	148	123	0	14	29	21	67	91	118	0	14	58
7	गुजरात	34	3300	5971	1274	2728	5	1933	317	1462	4132	1274	2683	5	1838	203
8	हरियाणा	18	3901	6986	14423	2984	14	620	816	1176	2798	11943	2941	13	603	765
9	हिमाचल प्रदेश	11	471	575	4477	281	3	278	508	240	247	3661	280	3	266	512
10	जम्मू एवं कश्मीर	20	683	607	4111	384	58	320	592	95	153	4100	326	58	233	551
11	झारखंड	24	3166	7323	16178	2772	85	1944	7977	1204	3022	15877	2579	71	1586	7834
12	कर्नाटक	30	2279	2002	760	1022	55	1008	1180	1007	1007	783	901	31	788	1186

क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	मार्च, 2025 तक एलएडी सी कार्यालय कार्यरत जिलों की संख्या	अप्रैल 2024 माह की अविधि से मार्च 2025 की अविधि तक समुनिदेशित जमानत एवं दाण्डिक प्रकरण					अप्रैल 2024 माह की अविधि से मार्च 2025 की अविधि तक निराकृत जमानत एवं दाण्डिक प्रकरण								
			सत्र प्रकरण	मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रकरण	न्यायालयों में रिमांड कार्य	जमानत			सत्र प्रकरण u/s 480	मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रकरण	न्यायालयों में रिमांड कार्य	जमानत				
						u/s 480	u/s 482	u/s 483				अन्य आवेदन/या चिकाई	u/s 480	u/s 482	u/s 483	अन्य आवेदन/या चिकाई
13	केरल	14	2439	4186	4218	2897	24	1852	1980	1097	1333	3367	2815	24	1738	1881
14	मध्य प्रदेश	50	4739	8645	3194	4382	19	1685	6166	2316	4533	2354	4362	19	1632	6194
15	महाराष्ट्र	33	4182	7210	4340	3908	85	1628	5610	1392	3686	3874	3528	74	1293	5424
16	मणिपुर	4	94	51	345	62	1	75	132	23	23	226	54	1	70	115
17	मेघालय	11	1015	847	708	91	4	72	60	65	91	143	72	1	67	52
18	मिज़ोरम	4	664	1234	806	317	0	144	13	163	792	227	239	2	84	12
19	नागालैंड	5	72	128	6	62	0	19	1	19	77	6	49	0	13	1
20	ओड़ीशा	25	1925	2314	4077	3387	4	1452	802	634	821	3621	3297	4	1268	746
21	पंजाब	22	6877	8665	11290	3216	151	2843	4987	1820	3150	7758	3086	118	2267	4730
22	राजस्थान	36	1736	4097	1494	2153	4	1471	724	1030	2372	1041	2122	6	1425	694
23	सिक्किम	2	110	86	0	18	0	71	53	13	38	0	18	0	70	46
24	तमिलनाडु	30	2606	1867	9517	3562	49	3348	2652	1101	1174	9223	3099	46	2885	2388
25	तेलंगाना	33	1719	3684	986	1984	65	1239	732	668	1665	529	1744	42	1026	622
26	त्रिपुरा	8	612	1409	931	3096	4	176	2155	253	950	503	797	4	1969	1309
27	उत्तर प्रदेश	74	13301	12781	9270	7157	147	5434	7587	2679	4091	8344	6713	147	5192	6879

क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	मार्च, 2025 तक एलएडी सी कार्यालय कार्यरत जिलों की संख्या	अप्रैल 2024 माह की अविधि से मार्च 2025 की अविधि तक समुनिदेशित जमानत एवं दाण्डिक प्रकरण					अप्रैल 2024 माह की अविधि से मार्च 2025 की अविधि तक निराकृत जमानत एवं दाण्डिक प्रकरण								
			सत्र प्रकरण	मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रकरण	न्यायालयों में रिमांड कार्य	जमानत				सत्र प्रकरण u/s 480	मजिस्ट्रेट न्यायालय के प्रकरण	न्यायालयों में रिमांड कार्य	जमानत			
						u/s 480	u/s 482	u/s 483	अन्य आवेदन/या चिकाएँ				u/s 480	u/s 482	u/s 483	अन्य आवेदन/या चिकाएँ
28	उत्तराखंड	13	1053	1206	873	762	0	589	612	326	523	800	753	0	582	599
29	पश्चिम बंगाल	10	3015	3834	11533	9930	39	1178	1700	1065	1240	9864	9737	37	1105	1629
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	चण्डीगढ़	1	155	840	1009	242	1	103	3	133	444	1009	240	1	100	3
32	दादरा तथा नगर हवेली	1	0	12	19	13	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0
33	दमन एवं दीव	1	15	574	71	30	0	4	24	3	550	71	29	0	4	25
34	दिल्ली	7	2721	6385	8087	4421	127	782	3157	755	1138	5435	4179	127	684	2696
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	2	42	34	0	17	4	18	4	9	4	0	17	4	6	1
37	लद्दाख	2	19	11	13	5	0	2	0	1	3	8	5	0	1	0
	Total	654	75904	109208	172067	76698	1163	37255	60118	24474	45727	140139	69853	1072	35062	56423

